राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: **4** सोलहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का दसवां दिवस संख्या: **6**

बुधवार,

10 सितम्बर **2025**

(राजस्थान विधान सभा की बैठक **11.00** बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। राम-राम। विराजो।

प्रश्न संख्या 98

प्रश्नकाल। श्री भगवाना राम सैनी।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

...(व्यवधान)... प्रश्न काल के बाद आपको पूरी अनुमति है। प्रश्न काल हो जाये, आपको पूरी अनुमति है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रश्न काल हो जाये।

श्री अध्यक्ष: बाकी सब विराजो।

अनुरोध एवं मांग

प्रतिपक्ष की सदन में कैमरों द्वारा निजता हनन पर रोक की मांग

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, कल भी हमने अपनी बात रखी थी। हमने भी अपनी बात रख दी थी, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने भी अपनी बात रख दी थी। सचेतक महोदय ने भी अपने मन के जो उद्गार थे वो यहां पर प्रकट कर दिये थे। कल जो भी वाकया हुआ और हमने कैमरे को लेकर जो बातें कहीं, ये हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हम चाहेंगे कि आसन इस पर व्यवस्था दे कि कैमरे कब लगे, किस मद से लगे और क्या इंटेलिजेंस से इसकी परमिशन ली गयी? इसका एक्सेस कहां-कहां पर है, ये जासूसी कौन कर रहा है, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल के बाद इसकी पूरी व्यवस्था दे दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं पहले। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल के बाद दे दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पहले, इसमें हमारा अनुरोध है, आप व्यवस्था दे दें, आप व्यवस्था दे दें, हम कोऑपरेट करेंगे। ...(व्यवधान)... आप व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे दो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः व्यवस्था दे रहा हूं न, प्रश्न काल के बाद मैं इसकी व्यवस्था दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कल से आज आ गये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आसन से व्यवस्था दे दी, प्रश्न काल के बाद, आप स्वीकार कीजिये। ...(व्यवधान)... आसन ने व्यवस्था दे दी, प्रश्न काल के बाद इस पर व्यवस्था दे देंगे। ...(व्यवधान)... आप बाध्य नहीं कर सकते। आप आसन को बाध्य नहीं कर सकते।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे पर कैमरे लग रहे हैं, हम कैसे स्वीकार करें? ...(व्यवधान)... आप व्यवस्था दे दो, हम पूरा सहयोग करेंगे। हम बैठेंगे, बात सुनेंगे। आप यह बता दो, कैमरे कैसे लगे? ...(व्यवधान)... आप कैमरों की व्यवस्था दे दो, आप व्यवस्था दे दो, हम बैठ जायेंगे।

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश और नारे)

श्री अध्यक्षः इस वातावरण में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, प्रश्न काल के बाद आपके एक-एक प्रश्न की व्यवस्था दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप व्यवस्था दे दो, इन हालातों के अन्दर कैमरे जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ये कैमरे जब से भवन बना है तब से हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे जब तक नहीं हटेंगे जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम आप लोगों के बीच में रहेंगे। कैमरे जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। आप ये कैमरें हटायें। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,, जो आसन से व्यवस्था मांग रहे हैं, वो आसन की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन है कि आप आसन से व्यवस्था मांग रहे हैं, आप आसन की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे, आपको आसन से व्यवस्था मिलेगी। ...(व्यवधान)... आसन ने व्यवस्था दे दी है कि प्रश्न काल के बाद आपके द्वारा जो क्वेरी की गयी है इसकी व्यवस्था दी जायेगी, इस व्यवस्था को स्वीकार करने में आपको मर्यादा रखनी चाहिए, अपनी हठधर्मिता राजस्थान की आठ करोड़ जनता देख रही है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः व्यवस्था प्रश्न काल के बाद दी जायेगी। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा आप सबसे पुनः अनुरोध है कि कृपया

आप विराजें। आसन की व्यवस्था को मानें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपके हर प्रश्न पर व्यवस्था दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप पहले व्यवस्था दे दो, हम बैठ जायेंगे। आप पहले व्यवस्था कर दो।

श्री अध्यक्षः श्री यूनुस खान। ...(व्यवधान)... कह रहा हूं व्यवस्था बाद में दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न काल पांच मिनट बाद हो जायेगा, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं, आप व्यवस्था दे दीजिये। ...(व्यवधान)... आप व्यवस्था दे दीजिये।

श्री अध्यक्षः मैंने कहा है कि मैं व्यवस्था दे दूंगा। प्रश्न काल के बाद व्यवस्था दूंगा, यह व्यवस्था दे दी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप पहले व्यवस्था दे दीजिये।

श्री अध्यक्षः आप सदन को हाईजैक नहीं कर सकते। मैं सदन को हाईजैक नहीं करने दूंगा, व्यवस्था अनुशासन के अनुसार दूंगा, व्यवस्था हमेशा प्रश्न काल के बाद ही आती है। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान और नारे)

रीको औद्योगिक क्षेत्र (डीडवाना) में मूलभूत सुविधाएं

99. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में रीको औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां व कब से स्थापित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र, डीडवाना में क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में संचालित औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक इकाइयों के लिए पृथक् से 33/11 के.वी. जीएसएस स्वीकृत कर जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला मुख्यालय डीडवाना में उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में एक रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। वर्ष 1998 में स्थापित यह औद्योगिक क्षेत्र उपखण्ड डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन में मेगा हाईवे से लगभग 02 कि.मी. दूरी पर सूपका रोड़ पर स्थित है।

(2) वर्तमान में रीको औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में आधारभूत सेवायें यथाः सड़क, पावर लाईन, स्ट्रीट लाईट आदि उपलब्ध है। पानी की सुविधा इस औद्योगिक क्षेत्र में अभी

उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।

(3) वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में विद्युत आपूर्ति 132 केवी जीएसएस दयालपुरा से निकलने वाले 33 केवी ललासरी फीडर संचालित है, जिस पर 33/11 केवी के दो सब-स्टेशन ललासरी एवं रीको डीडवाना स्थापित है।

उक्त 33/11 केवी सब-स्टेशन रीको डीडवाना, औद्योगिक इकाईयों के लिए ही स्थापित किया गया है जिस पर कोई विद्युत कटौती नहीं जाती है।

(4) जी हां। नवगठित जिला डीडवाना-कुचामन हेतु उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे दो सप्लीमेंट्री हैं। पहला माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह आग्रह है कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें 124 प्लॉट हैं, उन 124 प्लॉटों में ज्यादातर बाहर के लोगों ने इंवेस्ट कर दिया था जब औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन हुआ था उस समय, ये डवलप नहीं हो पाये थे और राज्य सरकार ने 2017 में इनको अर्द्ध विकसित घोषित किया था। फरवरी माह में मैंने आपसे निवेदन किया तो आपने कहा कि इसको दिखवायेंगे, उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि स्थानीय लोगों ने उन प्लॉट्स को पर्चेज कर लिया, उनके पर्चेज करने के बाद इसको निरस्त कर दिया, तो मेरा आपसे आग्रह है कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ का एम.ओ.यू. आपने किये हैं और आप लोगों को मौका दे रहे हो तो अगर स्थानीय लोगों को भी इसमें आप मौका दे देते हो इसमें वापस बहाल करने का तो मतलब उनको मौका मिल जायेगा और छह महीने में विकसित कर लेंगे, आपकी निगरानी में इस तरीके से आप डाइरेक्शन दें तो। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि क्या सरकार इन पर अपनी लिबर्टी बरतते हुए इनको छह महीने का समय देगी, जिससे ये अपने उद्योग लगाने में कामयाब हों।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि डीडवाना से आने वाले माननीय विधायक, माननीय यूनुस खान साहब चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के अन्दर खासतौर से डीडवाना के रहने वाले जो उद्यमी हैं, उनके उद्योग अच्छी तरह से चल पाये। हमारे सामने एक चुनौती रहती है कि लम्बे समय से राजस्थान के अन्दर रीको के इण्डस्ट्रियल एरियाज के अन्दर उद्योग उतने नहीं लग रहे हैं जितने रियल एस्टेट के लिए जमीनें लोग लेकर बैठे हुए हैं। इन दोनों को बैलेंस करके हमको चलना है, निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा मौका मिले जो अपने उद्योग लगा सकें। मैं माननीय यूनुस खान साहब ने जो आग्रह किया है मैं उसके ऊपर जरूर दिखवाऊंगा और जितनी मदद होगी वहां के उद्योगपतियों को मैं करवाऊंगा।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सप्लीमेट्री के लिए माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मंत्रीजी, मेरा दूसरा आपसे आग्रह यह है कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें अगर पीने का पानी और काम में लेने के लिए पानी दे दिया जाये क्योंकि अभी डीडवाना में आईजीएनपी का पानी आता है, डीडवाना शहर में 8 एमएलडी पानी उपलब्ध है और अगर वहां पर ओवरहैड टैंक बना दिया जाये और डेडिकेटेड बिजली का 33/11 के.वी. का स्टेशन बना दिया जाये तो मैं समझता हूं कि वहां उद्योग पनप जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में एक सवाल और है कि अब नया जिला बन गया है डीडवाना, उस जिले में राज्य सरकार क्या उद्योग केन्द्र खोलने का या उद्योग का कार्यालय वहां रीको का कार्यालय है, पहले से वहां पर जमीन उपलब्ध है, वहां रीको का कार्यालय, उद्योग का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? मेरा निवेदन है कि शीघ्र उस कार्य को करवायें।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान और नारे)

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीडवाना के अन्दर जो रीको का इण्डस्ट्रियल पार्क है, उसमें शुरू से पानी की उपलब्धता नहीं थी, उसको अर्द्ध विकसित घोषित हमने कर दिया है। वहां पर फिर भी कई उद्योग आ गये हैं। माननीय विधायक साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि अभी वहां पर पानी की सुविधा है, हम इसको दिखवा लेंगे और निश्चित रूप से हमारा ध्येय यह रहता है, हमारा यह लक्ष्य रहता है कि हम हर तरह की सुविधा अपने इण्डस्ट्रियल पार्क्स में दें। निश्चित रूप से अगर वहां पर पानी की उपलब्धता है तो हम पानी की टंकी वहां पर बनवा देंगे और वाटर सप्लाई वहां पर करवायेंगे, यह पहली बात है।

दूसरी बात जो उद्योग का ऑफिस वहां पर चाहते हैं उसको हमने अपने वित्त विभाग को लिखा हुआ है, वहां से जैसे ही अनुमति आयेगी, जो नये जिले हैं उनमें हम उद्योग के कार्यालय खुलवायेंगे।

तीसरा जो इन्होंने सवाल पूछा था बिजली की लाइन का, डीडवाना के अन्दर शहर का जो फीडर है उस पर बहुत ओवरलोड है और इसलिए हमने अलग से इण्डस्ट्रियल पार्क के लिए फीडर लगाया डीडवाना रीको फीडर, उसके अन्दर कोई कटौती नहीं होगी लेकिन फिर भी उसको दिखवा लेंगे, जैसे भी आपूर्ति की जरूरत होगी उसको रीको पूरा करवायेगा।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

सादुलपुर में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्य

100. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में जल जीवन मिशन का कार्य कहां-कहां व किस-किस फर्म द्वारा किया जा रहा है? उक्त कार्य कब प्रारंभ हुए व कब तक पूर्ण होने थे? समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई? उक्त

कार्यों को सरकार कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना में सम्मिलित गांवों में से कितने गांवों में कार्य पूर्ण कर दिया गया तथा कितने गांवों में अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जहां पेयजल टंकियों का निर्माण हो चुका है, उनसे पेयजल का वितरण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में जल जीवन मिशन योजना में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

MLS/RTM/10.09.2025/11:10/1b

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घर-घर जल समन्वयन हेतु बूंगी-राजगढ़ पेयजल परियोजना का कार्यादेश दिनांक 27.02.2021 को मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया लिमिटेड, जोधपुर को राशि 119 करोड़ रुपये का जारी किया गया। कार्यादेश अवधि 18 माह नियत थी। निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए अन्तरिम समयावधि दिनांक 30.09.2025 तक बढ़ायी गयी है। परियोजना कार्यों के कुल 187 गांवों में विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के 140 गांव शामिल हैं जिनमें से 99 गांवों में घर-घर जल समन्वयन किये जाने का प्रावधान है। 99 गांवों में से 39 गांवों में कार्य पूर्ण, 36 गांवों में कार्य प्रगतिरत है तथा 24 गांवों में कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। बूंगी-राजगढ़ परियोजना के तहत विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कुल 13 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाना था जिसमें सभी उच्च जलाशय निर्माणाधीन हैं।

आज दिनांक को भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत, वित्तीय प्रगति 63 प्रतिशत है।

आपको यह जो जवाब आ गया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पूछना है, वह पूछें आप।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि आपका यह प्रोजेक्ट 06.11.2021 से शुरू हुआ था और 05.05.2023 को कम्प्लीट होना था। चार वर्ष से अधिक का समय हो गया और आप इस मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया लिमिटेड का जो बढ़ा रहे हैं, 119 करोड़ रुपये में से 50 परसेंट कार्य नहीं हुआ और 75 करोड़ रुपये का भुगतान आपके ए.ईएन., जे.ईएन., एक्स.ईएन. और एडीशनल चीफ ने कर दिया है। इसमें से मैं मानता हूं कि 30 करोड़ से अधिक का भुगतान फर्जी एमबी भरकर और सरपंचों की फर्जी एनओसी से किया है। माननीय मंत्री महोदय, क्या इस सम्पूर्ण टैंडर की आप जांच कराएंगे? जो फर्जी एमबी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश करके भुगतान उठाया है, उसके खिलाफ एफआईआर करने का विचार रखते हैं और इनसे रिकवरी करने का विचार रखते हैं? यह मेरा पहला प्रश्न है। इसके बाद दूसरा करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वास्तव में बहुत जायज है। संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण परियोजना कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। विभाग परियोजना कार्य 31.03.2026 तक पूर्ण कराने के लिए प्रयासरत है। परियोजना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किये जाने के कारण संवेदक को किये जाने वाले भुगतान में से 3.96 करोड़ रुपये की राशि रोकी गयी है, जबकि इनकी 6 करोड़ रुपये की राशि रोकी जानी थी। इसके लिए मैंने अधिकारियों को डायरेक्शंस दे दिये हैं कि 6 करोड़ रुपये इसकी पैनल्टी रोकी जाये।

दूसरा आपका जो सवाल था, इन्होंने जो फर्जी पेमेंट किया है, इसकी जांच के लिए 16.06.2025 को आपका पत्र मुझे मिला था। पत्र के बाद में हमने इसके लिए एक कमेटी बनायी 28.07.2025 को। इस कमेटी में अधिशाषी अभियन्ता श्री अंकित गोयल, सहायक अभियन्ता श्री सुरेश मेहरा और सहायक लेखाधिकारी श्री मुकेश जोशी को रखा है। हमने इस प्रोजेक्ट की जितनी भी मेजरमेंट बुक्स हैं और जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबका कलेक्शन कर लिया है। हम यह नहीं चाहते कि 15 दिन में जल्दी-जल्दी हो जाये, क्योंकि हजार किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन जगह-जगह बिछी है। उनके लिए हमने मौके पर जांच करने के लिए डायरेक्शंस दे दिये हैं। वह रिपोर्ट दो महीने में आने के बाद जितना भी फर्जी भुगतान है, वह भी वसूल करेंगे।

संवेदक के साथ अधिकारियों के खिलाफ 100 परसेंट जो भी दण्डात्मक कार्यवाही होगी, वह करेंगे।

आपने प्रश्न किया था कि लगभग 39 गांव कम्प्लीट दिखा दिये, उनमें पंचायत के सरपंचों के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र देने की आपने जो बात उठायी है, उसके लिए उस पंचायत का सरपंच हमें लिखित में दे दे कि हमारे गांव में यह काम कम्प्लीट नहीं हुआ है, मेरा फर्जी प्रमाण पत्र दिया है। हम 100 परसेंट उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। जो भी जिस धारा के तहत हो सकता है, संवेदक और अधिकारियों के खिलाफ 100 परसेंट कार्यवाही करेंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मंत्री महोदय, एक छोटा सवाल और है मेरा। आपने 1 हजार किलोमीटर पाइपलाइन का बताया। इसमें 400 किलोमीटर फर्जी पाइप का भुगतान उठा है और डीआई पाइपलाइन की 20 किलोमीटर लाइन का फर्जी भुगतान उठ गया जो लाइन मौके पर नहीं है। आप जांच करने के लिए कह रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात के लिए, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसकी टाइमलाइन तय करें आप। कितने दिन में इन दुष्ट लोगों के खिलाफ, इसमें एडीशनल चीफ, एससी, एक्स.ईएन., जो भी अधिकारी शामिल हैं, उन सबके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? आप एक निश्चित समय निर्धारित करें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वास्तव में लैंथ काफी ज्यादा है, फिर भी जितनी भी जो भी कमी निकलती है, जो भी माह पुस्तिका में अगर फर्जी अंकन निकलता है, आने वाले

3 महीने में इसकी जांच कराकर जो भी अधिकारी हैं, उन पर 100 परसेंट कार्यवाही करेंगे और जो भी फर्जी भुगतान किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न संख्या 101

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

श्री लक्ष्मण राम।

मेड़ता में अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का सर्वे

102. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में माह जून व जुलाई 2025 में हुई अतिवृष्टि से फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे हेतु सर्वे या गिरदावरी करवायी गयी है? यदि हां, तो उक्त सर्वे अथवा गिरदावरी के क्या मानदण्ड रखे गये थे? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री) (राजस्व मंत्री के स्थान पर): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में माह जून व जुलाई 2025 में अतिवृष्टि से फसल खराबा नहीं होने से सर्वे या गिरदावरी नही करवायी गयी।

(2) वर्तमान में गिरदावरी कार्य जारी है। गिरदावरी कार्य पूर्ण होने के पश्चात फसल खराबे की स्थिति पायी जाती है तो आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा एसीडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार आदान-अनुदान वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मूंग, बाजरा, ज्वार और कपास की 76 प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है, सरकार कब तक गिरदावरी कराकर किसानों को राहत देने का काम करेगी?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कथन सही है। राजस्थान में जहां-जहां भी अतिवृष्टि हुई है, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया, प्रश्न काल के बाद आपका उत्तर देंगे। आप अपनी सीटों पर जाइये। व्यवस्था मैंने दे दी है। प्रश्न काल के बाद आपके मुद्दे का उत्तर दूंगा।

बहिर्गमन

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन।)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने सभी जिलों में जिला कलक्टरों को निर्देश दिये हैं, गिरदावरी करवानी हो, स्पेशल गिरदावरी करवानी हो, नुकसान का जायजा लेना हो तो हमारे सभी अधिकारी इसमें करेंगे और आपके विधान सभा क्षेत्र में भी इस सम्बन्ध में अगर खराबा पाया जायेगा तो खराबे के अनुसार, नुकसान के

अनुसार किसानों को सहायता देने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीएम साहब को धन्यवाद दूंगा जो किसानों की चिन्ता करते हैं, लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे मेड़ता में लगभग सब खाली जमीन है और पूरी फसलें नष्ट हो गयी हैं, पानी भरा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या मेड़ता के लिए कोई विशेष पैकेज की योजना सरकार के जेहन में है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 दिन पहले तक मानसून का दौर जारी था और सभी जिला कलक्टर, सभी प्रभारी मंत्री और सभी प्रभारी सचिव अपने-अपने जिलों में गये थे, आकलन किया है। आकलन की रिपोर्ट आ रही है। यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने सभी प्रभारी सचिवों, प्रभारी मंत्रियों की बैठक ली है और आकलन आने के उपरान्त नियमानुसार सभी विधान सभा क्षेत्रों सहित आपके विधान सभा क्षेत्र में भी जो नुकसान पाया जायेगा, नियमानुसार काश्तकारों की सहायता की जायेगी। यह सरकार काश्तकारों के साथ खड़ी थी और रहेगी। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 103

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुनसिंह बामणीया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री गोविन्द प्रसाद।

नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना

104. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 01 जनवरी 2023 से माह जुलाई 2025 तक राज्य में विद्युत उत्पादन की किन-किन नवीन इकाइयों में कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नवीन इकाइयों के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवाकर विद्युत उत्पादन कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) दिनांक 01 जनवरी 2023 से माह जुलाई 2025 तक राज्य में स्थापित डिस्कॉम्स से अनुबन्धित नवीन इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता 4457.98 मेगावाट एवं इनसे 6308.66 मिलियन यूनिट विद्युत खरीद का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त सौर ऊर्जा संयंत्र और बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना विभिन्न विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं के स्तर पर की गयी है एवं इनसे विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। उक्त आणविक ऊर्जा संयंत्र का निर्माण केन्द्रीय सरकार के अधीन उपक्रम न्यूक्लियर पावर

कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। उपरोक्त हेतु कोई राशि स्वीकृत एवं व्यय नहीं की गयी है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के उपक्रमों जेवी पर आधारित एमओयू किये हैं तो इससे कितनी बिजली उत्पादित होने की सम्भावना है?

Mkd/rtm/10.09.2025/1120/1c

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में वर्तमान बिजली परिदृश्य और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं केन्द्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत 4 हजार 898 मेगावाट क्षमता की परम्परागत, 38 हजार 343 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने हेतु 2 लाख 800 करोड़ के निवेश को संयुक्त उद्यम जेवी के माध्यम से विकसित करने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): दूसरा मेरा प्रश्न है कि दिन में तो सोलर से बिजली ले सकते हैं, लेकिन रात में बिजली की कमी होगी, उसकी पूर्ति कैसे होगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 में 1 हजार मेगावाट 1 घंटे की क्षमता के साथ बैटरी भंडारण की स्थापना की घोषणा की क्रियान्विति में 500 मेगावाट, 1 हजार दो घंटे तक का, एक हजार घंटे हेतु भारत सरकार द्वारा स्टेट कम्पोनेंट के तहत वीजीएफ सहायता के रूप में 27 लाख प्रति मेगावाट घंटे के साथ उक्त 500/1000 मेगावाट घंटे की स्थापना हेतु उत्पादन निगम द्वारा कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं।

परियोजनाओं की स्थापना हेतु 2026 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। शेष हमारी 500 मेगावाट, 1 हजार मेगावाट प्रति घंटा के राजस्थान में स्थापना हेतु एनवीवीएन द्वारा कार्यादेश जारी कर बजट घोषणा को मूर्त रूप दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 09.06.2025 को वीजीएफ सहायता 18 लाख प्रति मेगावाट घंटे के साथ राजस्थान को 4 हजार मेगावाट घंटे की बेस क्षमता आवंटित की गई है। जिससे 1 हजार मेगावाट, 2 हजार मेगावाट प्रति घंटा के साथ बेस की स्थापना के लिए आरवीयूएनएल द्वारा 16.6.2025 को आरएफएस जारी की गई है। जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 04.09.2025 को खोल दी गई है। शेष 2 हजार मेगावाट घंटे की बेस की स्थापना हेतु आरवीयूएनएल द्वारा दिनांक 05.08.2025 को निविदाएं खोली जा चुकी हैं। निविदा खोलने की दिनांक 24.09.2025 प्रस्तावित हैं।

इस तरह से केन्द्र सरकार की सहयोग से बैटरी स्टोरेज के लिए वहां से लगभग 6 हजार

मेगावाट की क्षमता के लिए वीजीएफ के साथ हमें बैटरी स्टेरोज लगाने के लिए सरकार ने जो सहयोग दिया है, उससे हम रात की बिजली देना सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि, दिन में हमारे पास सोलर से पर्याप्त बिजली है, उसको स्टोरेज करके रात के समय उसको देने के लिए सरकार प्रयासरत है ताकि रात की भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): धन्यवाद, साहब।

प्रश्न संख्या 105

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश गुर्जर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की इस विधान सभा ..व्यवधान..।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन ऑवर के बाद कह दें तो अच्छा है। श्री सुरेश गुर्जर। आपको पूरी अनुमति होगी।

श्री सुरेश गुर्जर। श्री धर्मपाल।

खेतड़ी में विकसित खेल मैदान

106.श्री धर्मपाल (खेतड़ी): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विगत दो वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खेतडी मे विगत 2 वर्षो में जिन ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए गए उनका विवरण निम्नानुसार हैः-

1. ग्राम पंचायत देवता के ग्राम देवता में खेल मैदान का विकास कार्य।

2. ग्राम पंचायत मांदरी मे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांदरी के खेल मैदान मे 400 मीटर टेक निर्माण कार्य।

शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राउमावि. मेहाड़ा जाटूवास विद्यालय चारदीवारी के अन्दर खेल मैदान विद्यालय हेतु ग्राम पंचायत महाड़ा जाटूवास कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विकसित किया गया है तथा राउमावि. चारावास में एमएलए लेड योजना में खेल मैदान विकसित कार्य एसडीएमसी कार्यकारी एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे मूल प्रश्न का जवाब मिल गया है। माननीय मंत्री जी से मैं पूरक प्रश्न एक करना चाहता हूं। बजट घोषणा 2025-26 में 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान बनाये जाने की घोषणा की गई थी। उसके अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रस्तावित है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उससे पहले कि मैं धर्मपाल जी के प्रश्न का जवाब दूं, मैं सदन की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप सदन को चला रहे हैं।

सेना में एक कहावत है, 'मुश्किल वक्त, कमांडो सख्त'। आपकी उम्र में भी आज आप सदन के कमांड़ो हैं, जो इन विपरीत परिस्थितियों के अन्दर चला रहे हैं। लेकिन, एक बात जरूर है कि विपरीत परिस्थितियों में प्रश्नों के उत्तर देने का एक अलग मजा आता है, जो अब खालीपन-सा महसूस हो रहा है। उनके चिल्लाने के बावजूद भी उत्तर देने का जो मजा होता है, वह अलग मजा है और सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब यह दु:ख की बात है कि विपक्ष टोपी और टी शर्ट की राजनीति में सिमटकर रह गया है, राजस्थान की बात नहीं हो पा रही है।

अध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर हमने घोषणा की थी कि हर ग्राम पंचायत के अन्दर हम ओपन जिम खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात पर मैं इतना ही कहूंगा कि मैं किसी भी दबाव में नहीं आता हूं और ना आऊंगा। मैं केवल सदन में नियमानुसार सारी कार्यवाही करवाने में विश्वास रखता हूं और नियमानुसार यह सदन चलेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके साथ-साथ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आपको पूरा, ये तो इन्होंने छेड़ दिया, बाकी इनको भी नहीं दी। आपको पूरा सम्मान है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, धर्मपाल जी ने जो पूरक प्रश्न पूछा है कि हर ग्राम पंचायत के अन्दर हमारे संकल्प पत्र में घोषणा हुई थी कि हम ओपन जिम खुलवाएंगे, निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है। संख्या, आबादी के हिसाब से उस पर काम हो रहा है। उसकी जिम्मेदारी पंचायती राज को दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, जिसे मैं पहले भी दो बार विधान सभा में उठा चुका हूं। क्या खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जमालपुर में, जो हरियाणा सीमा से लगता हुआ है और वहां पर पहलवानी का बहुत ज्यादा चलन है, वहां पर एक सिंथेटिक ट्रेक निर्माण की मंशा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मैं धर्मपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारी एक योजना है, मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम योजना, उसके अन्दर वे अगर अपनी तरफ से किसी भी साधन से उसके लिए धन देते हैं तो हम बराबर का धन देकर वहां पर सिंथेटिक ट्रेक या फिर कोई स्टेडियम बनाने की जरूर कार्यवाही करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

चित्तौड़गढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा भू-जल दोहन

107.श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में भू-जल दोहन कितना प्रतिशत है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला चित्तौड़गढ़ में हो रहे अत्यधिक भू-जल दोहन की रोकथाम के सम्बन्ध में मानदंड निर्धारित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये जा रहे अत्यधिक भू-जल दोहन के सम्बन्ध में औद्योगिक इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

भू-जल मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) जिला चित्तौडगढ में भूजल आकलन प्रतिवेदन मार्च, 2024 के अनुसार चित्तौडगढ जिले की भू-जल दोहन दर 161.62 प्रतिशत है एवं श्रेणी अतिदोहित में वर्गीकृत है। विधानसभावार भूजल दोहन की दर निम्नानुसार है-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	ब्लॉक का नाम	भू-जल दोहन की दर(प्रतिशत में)	श्रेणी
1	बेंगू	भैसरोड़गढ़	126.29	अतिदोहित
2		गंगरार	140.95	अतिदोहित
3		बेंगू	167.82	अतिदोहित
4	बडी सादडी	डूंगला	158.92	अतिदोहित
5		बड़ी सादड़ी	190.00	अतिदोहित
6	चित्तौड़गढ़	भदेसर	195.40	अतिदोहित
7		चित्तौड़गढ़	198.93	अतिदोहित
8	कपासन	राशमी	169.73	अतिदोहित
9		भोपालसागर	183.59	अतिदोहित
10		कपासन	176.74	अतिदोहित
11	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	124.76	अतिदोहित

(2) जी हां। राज्य में भू-जल दोहन पर नियंत्रण, भू-जल संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु बिल विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है और आज इस पर बहस होगी।

(3) जी हां। औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जा रहे जल दोहन पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण करने हेतु भू-जल संरक्षण एवं प्रबन्धन बिल विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप यह बताएं कि चित्तौड़गढ़ जिले में

वैध और अवैध जल दोहन का आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ने का क्या कारण है?

माननीय मंत्री महोदय, औद्योगिक इकाइयों द्वारा भू-जल दोहन पर कोई विशेष प्रावधान भी इस बिल में पेश किये गये हैं तो थोड़ा सारांश बताएं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे अधिक दोहन दूसरी जगह 11 प्रतिशत है तो यहां पर लगभग 147 परसेंट दोहन राजस्थान में है। उसमें चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा है। कहीं न कहीं इंडस्ट्री के कारण ज्यादा दोहन हो रहा है। वहां ज्यादा काम आ रहा है।

इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने औद्योगिक इकाइयों के लिए जितना वे दोहन करेंगे, उसका कैसे पुनर्भरण करेंगे, इसके लिए आज सदन में बिल ला रहे हैं। जिसमें हम किसानों के लिए और जो भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए पेयजल के लिए उन योजनाओं को छोड़कर बड़ी इंडस्ट्रीज को कैसे रोके अति दोहन को, यह बिल लेकर आए हैं। जिस पर आप सब लोग अपनी बात रखना। उसको हंड्रेड परसेंट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। दो प्रश्न हो गये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेंट मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन में है। क्योंकि डार्क जोन में हमारे वहां सीमेंट हब है, औद्योगिक घराने काफी हैं, सब कुछ है, पर उद्योग लगाने के लिए डार्क जोन के कारण वह निकल नहीं पा रहा है। बारिश अच्छी हुई और सब कुछ अच्छा है, आसपास के जिलों में डार्क जोन नहीं है, चित्तौडगढ़ जिले को आप डार्क जोन से हटाने का क्या विचार रखते हैं? क्योंकि, पानी का इतना दोहन होने के बाद भी वहां अच्छा पानी है, नदी है, सब कुछ है, बांध है और बिलकुल पानी अच्छा है।

मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि..

Bhs/Rtm/10.09.25/11.30/1d

आप इसको डार्क जोन से निकाल दें वहां सिरेमिक टाइल्स व और भी उद्योग खूब आना चाह रहे हैं और वहां एक औद्योगिक हब बनना चाह रहा है, इसलिये आप इसको डार्क जोन से निकालने के लिए आदेश फरमायें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बार-बार कह रहे हैं कि अतिदोहन से कैसे यह चित्तौड़गढ़ बाहर निकले, इसी के लिए जल दोहन पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण करने हेतु भू-जल संरक्षण एवं प्रबन्धन बिल विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है, इसमें जितने कड़े प्रावधान होंगे जिससे ज्यादा, आप कह रहे हो कि वहां पर इन्वेस्टमेंट तो राइजिंग राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी पूरा वो जितने भी इन्वेस्टर आ सकते थे वो लेकर आये हैं, हण्ड्रेड परसेंट उनको वहां पर जो सुविधाएं होंगी वो भी देंगे और उनके लिए जो भी... ...(व्यवधान)... डार्क जोन के लिए ही बिल लेकर आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया। दो प्रश्न, तीन हो गये। हो गया।

प्रश्न संख्या 108

श्री शान्ती धारीवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत आवासीय योजनाएं

109. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कई वर्षों से स्वीकृत आवासीय योजनाओं का कार्य किन-किन स्थानों पर अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अपूर्ण आवासीय योजनाओं को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की कोई आवासीय योजना नहीं है। विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय एवं आश्रम छात्रावास संचालित किये जाते है। उदयपुर ग्रामीण में लम्बित कार्यों का विवरण 'परिशिष्ट-अ' पर संलग्न है।

(2) योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट का पूर्ण उपयोग कर कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए प्रयास किये जाते है। अधूरे निर्माण कार्यों की स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण 'परिशिष्ट-अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। अपूर्ण आवासीय निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रभावी मॉनिटरिंग कर कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश प्रदान किए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया उससे मैं संतुष्ट हूं, मगर स्वच्छ परियोजना का जो काम होता है उसमें हमारे जन प्रतिनिधि को वो कभी भी भूमि पूजन के लिए भी नहीं बुलाते हैं, इसलिये कम से कम जन प्रतिनिधियों का सुपरविजन होना चाहिये। साथ में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस का जो भवन बन गया है उसका पेमेन्ट कब तक होगा और खेल गांव में बालिका छात्रावास बनाने का पूर्व में प्रपोजल है, उसकी जमीन की वजह से वह अभी तक भी पेंडिंग है, क्या उस छात्रावास को जमीन लेकर तुरन्त प्रभाव से बालिका छात्रावास बनाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, चित्रकूट नगर, उदयपुर उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति जन जाति बालिका छात्रावास निर्माण विद मॉडर्न फेकल्टीज एंड एमेनिटीज सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस रेजिडेंसियल परिसर, मधुबन, उदयपुर के नाम से विभागीय पत्र 36256 दिनांक 20.09.2019 राशि 1776 लाख की जारी करते हुए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को कार्यकारी एजेंसी निर्धारित किया गया। कार्यकारी एजेंसी द्वारा मैसर्स मुद्रित कंस्ट्रक्शन, प्रतापगढ़ को कार्यादेश क्रमांक 223651 दिनांक 26.09.2019 द्वारा राशि 1278.20 लाख रुपये कार्यादेश जारी किया गया। उक्त कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की निर्धारित दिनांक 6.10.2019 एवं पूर्ण करने की दिनांक 5.10.2021 24 माह निर्धारित की गई। उपरोक्त स्वीकृति में भूतल के अतिरिक्त 6 मंजिल का कार्य प्रस्तावित था।

दिनांक 6.3.2020 को स्वच्छ परिसर बड़ी में बनाने की अनुमति आयुक्त, टी.ए.डी. द्वारा दी गई। परिसर में उपलब्ध भूमि को कार्यकारी एजेंसी द्वारा उपयुक्त नहीं माना। दिनांक 14.7.2020 को यू.आई.टी. उदयपुर को चित्रकूट नगर में उपयुक्त भूमि आवंटन हेतु पत्र लिखा गया। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2021 को चित्रकूट नगर में भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा 15 जुलाई, 2021 को भूमि आवंटित की गई। नवीन ड्राइंग डिजाइन के बाद लोअर बेसमेन्ट, अपर बेसमेन्ट, भू-तल के अतिरिक्त 7 फ्लोर का अनुमोदन प्रमुख शासन सचिव, टी.ए.डी. द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 को अनुमोदन दिया गया। दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को आयुक्त, टी.ए.डी. द्वारा नवीन नक्शों एवं डिजाइन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर द्वारा मैसर्स मुद्रित कंस्ट्रक्शन, प्रतापगढ़ को दिनांक 10.11.21 को नवीन आवंटित भूमि कार्य प्रारम्भ करने के 24 माह में कार्य पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई। अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर द्वारा भवन निर्माण कार्य 31.3.24 को कार्य पूर्ण का प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस कार्य पर 1761.96 लाख का व्यय दर्शाया गया, जिसके विरुद्ध आयुक्तालय द्वारा राशि 1510.16 लाख जारी किये गये। शेष राशि 251.80 लाख के भुगतान हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 25834 दिनांक 23.7.2025 द्वारा कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यकारी एजेंसी को पत्र लिखा गया, जिसका जवाब अप्राप्त है। आयुक्तालय के पत्र क्रमांक 12862 दिनांक 9.4.2021 द्वारा दो लिफ्ट, डी.जी. सेट, फायर फाइटिंग सिस्टम का एस्टीमेट चाहा गया। उपरोक्त कार्य हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर द्वारा राशि 188.21 लाख अतिरिक्त मांगी गई। इस कार्य हेतु स्वीकृतराशि जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उदयपुर में सिविल कार्य पूर्ण कर लिया। 2 लिफ्ट,

डी.जी. सेट, ये काम शेष हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम पूरा होने के बाद में जो राशि बची है, वो पूर्ण करेंगे। दू

सरा आपका यह है खेल गांव। खेल गांव उदयपुर नवीन जनजाति बालिका खेल छात्रावास, क्षमता 100, खेल गांव उदयपुर के निर्माण हेतु यू.आई.टी., उदयपुर के पत्र क्रमांक 722123 दिनांक 24.1.2022 को खेल गांव परिसर में 5 हजार वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई। विभागीय पत्र 2282347 दिनांक 11.7.2022 द्वारा राशि 399.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए स्वच्छ परियोजना को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया तथा राशि 150 लाख की प्रथम किस्त जारी की गई। स्वच्छ परियोजना द्वारा दिनांक 23.9.2022 को इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई। मैसर्स दातार कंस्ट्रक्शन, उदयपुर को पत्र क्रमांक 4089 दिनांक 2.12.2022 के द्वारा राशि 360.60 लाख रुपये का कार्यादेश जारी किया गया। निर्धारित स्थल पर भूमिगत विद्युत लाइन केबल होने के कारण स्थान परिवर्तन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की गई जिस पर प्रभारी खेल अधिकारी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई तथा अन्यत्र भूमि आवंटित कर कार्य करवाने हेतु कहा गया। सचिव, राजस्थान क्रीड़ा परिषद, जयपुर ने पत्र क्रमांक 232 दिनांक 2.6.2023 एवं 702 दिनांक ...।

श्री अध्यक्ष: हो गया। आप उनको दे दीजिये। माननीय मंत्री जी, उनको दे दीजिये, इतना लम्बा क्या देंगे।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मंत्री महोदय, मैंने छात्रावास के लिए पूछा है वह बता दीजिये खाली।

श्री अध्यक्ष: अभी बाकी रह गया क्या?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): छात्रावास के लिए जो वर्षों से पेंडिंग पडा है वह और दूसरा प्रश्न और पूछ लेता हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: आपस में मिल लेना या तो।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक तो स्वच्छ परियोजना के लिए मैंने पूछा था कि उन अधिकारियों को पाबन्द करें ताकि जनप्रतिनिधियों को वो शामिल करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो पेमेन्ट बाकी है जो वर्षों से 30:70 के रेश्यो का पेमेन्ट भी अभी यह जो पूर्व सरकार ने नहीं दिया,...

Kas/rtm/10.09.2025/11.40/1e

कम से कम अपनी सरकार तो दे। तीसरा मेरा सवाल है..

श्री अध्यक्ष: एक ही प्रश्न पूछा जाता है, तीन-तीन एक में नहीं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, पाई में बालिका छात्रावास की

डिमांड है, कृपया करके वहां पर बालिका छात्रावास ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। एक ही प्रश्न में चार-चार पूछोगे क्या?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): ....(व्यवधान).... वहां पर पढ़ने के लिये मंत्री महोदय के ही लोग आते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर बालिका छात्रावास की अर्जेंट जरूरत है।

श्री अध्यक्षः विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्री जी, कुछ कहना है? चार-चार प्रश्न एक ही में, ऐसे थोड़े ही होता है। आप एक मिनट में बता दीजिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कुछ अधिकारी हमको भूमि पूजन में और अन्य कामों का लोकार्पण होता है, उसमें उनको बुलाते नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी काम होंगे, उसमें सम्बन्धित विधायक को बुलाने के लिये निर्देशित करेंगे।

इसके बाद आपका इश्यू है कि 30:70 का पेमेंट नहीं हुआ, यह इससे सम्बन्धित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जानकारी करके इनको सूचना पहुंचा दूंगा।

प्रश्न संख्या 110

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। डा. ऋतु बनावत।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री गोपाल शर्मा।

सिविल लाईन्स में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विकास कार्य

111. श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिविल लाईन्स में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में कितने विकास कार्य कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के संचालित हैं? प्रत्येक कार्य का योजनावार नाम, स्थान, कार्य की प्रारंभ तिथि, निर्धारित समय-सीमा, अनुमानित लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माह जनवरी, 2023 से माह जुलाई, 2025 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में जे.डी.ए. द्वारा कौन-कौन से विकास कार्य कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए हैं? प्रत्येक स्वीकृत परियोजना का नाम, निर्माण प्रारंभ की तिथि, प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने की दिनांक, समय-सीमा तथा अनुमानित लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जे.डी.ए. द्वारा माह माह दिसम्बर, 2023 से जुलाई, 2025 तक कौन-कौनसी योजना व कार्य किन कारणों से कब-कब निरस्त या स्थगित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने या निरस्तीकरण से पूर्व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्रोजेक्ट की उपयोगिता के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था? यदि नहीं, तो स्वीकृति उपरान्त कार्य निरस्त किए जाने के क्या कारण रहे? क्या सरकार

स्थगित किये गये प्रोजेक्ट को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) विधान सभा क्षेत्र सिविल लाइन्स में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। विधान सभा सिविल लाईन्स में जे.डी.ए. द्वारा वर्तमान में एक आर.ओ.बी का कार्य सिविल लाइन फाटक पर राशि रुपये 75.00 करोड़ का संचालित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट/योजना का नाम, स्थान, कार्य की प्रारंभ तिथि, निर्धारित समय-सीमा, अनुमानित लागत सहित विवरण परिशिष्ट-'अ' में समाहित है।

(2) जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक सिविल लाइंस विधान सभा क्षेत्र में जविप्रा द्वारा किये गये विकास कार्यों, निर्माण की तिथि, प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने की दिनांक, समय-सीमा तथा अनुमानित लागत सहित विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जविप्रा में उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर ऐसे स्वीकृत कार्य जो मौके पर प्रारंभ नहीं किये गये थे, उनका उच्च स्तर पर परीक्षण किया गया। प्राधिकरण में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं वरियता को मद्देनजर रखते हुए कुछ कार्यों को निरस्त किया गया था, विवरण परिशिष्ट-'स' में समाहित है।

(4) जी नहीं। प्राधिकरण में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं वरीयता के आधार पर ऐसे स्वीकृत कार्य जो कि मौके पर प्रारंभ नहीं किये गये थे, उनका उच्च स्तर पर परीक्षण उपरांत निरस्त कर दिये गये थे। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है एवं भविष्य में आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए उच्च स्तर से निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय स्पीकर साहब, विपक्ष के प्रति विनम्रता के लिये आपका आभार।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो। यह तो वो आ जाएं, तब बोल लेना।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आप सबको बोलने देते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको भी देंगे।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, जवाब दे रहे मंत्री जी, गा रहे विधायक हैं। यह जो जे.डी.ए. का जवाब मेरे को दिया गया है, यह जवाब आपत्ति जनक है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): इसमें असत्य है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो। ....(व्यवधान)....

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): विधान सभा में बीच में सलाह देने की स्थिति नहीं मानी जाती। मेरे साथी भी सलाह दें, तो वह भी अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): कृपया सवाल नंबर 4 पर जाइए।

श्री अध्यक्ष: खण्ड 4।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): खण्ड 4, इसमें लिखा हुआ है उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट की स्वीकृति देने या निरस्तीकरण से पूर्व स्थानीय प्रतिनिधियों से प्रोजेक्ट की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया था? आपका जवाब है, जी नहीं। किसकी सरकार है?

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैं जवाब पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आपने क्या जवाब दिया है और क्यों दिया है, यह जानना चाहता हूं? पूछ लिया। जनप्रतिनिधि से क्यों नहीं पूछा जाता?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सिविल लाईन्स के माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उनके विधान सभा क्षेत्र में 2023 से लेकर 2025 तक कुल 101.25 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये और उनके निर्वाचन क्षेत्र में केवल दो कार्य, जिनकी लागत 9 करोड़ 48 लाख रुपये थी, वह निरस्त किये गये। उनके विधान सभा क्षेत्र में जो आर.ओ.बी. का काम चल रहा है, उस आर.ओ.बी. में रेलवे और जे.डी.ए., दोनों की धनराशि है। इस आर.ओ.बी. की चौड़ाई 17.10 मीटर और लंबाई 706 मीटर प्रस्तावित है। आर.ओ.बी. के बाइडेक्ट की लंबाई 381.28 मीटर होगी। इसमें 17 स्पान होंगे। रेलवे स्पान की लंबाई 34.78 मीटर है तथा अन्य स्पान की लंबाई 25 मीटर होगी और दोनों ओर साढ़े पांच मीटर की सर्विस रोड का निर्माण भी कराया जायेगा। इस परियोजना के निर्माण हेतु 75.5 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 11.12.2020 को जारी की गई और अभी तक कार्य पर लगभग 38 करोड़ 91 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। 50 परसेंट कॉस्ट शेयर बेसिस के अनुरूप 35 करोड़ रुपये रेलवे द्वारा तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। वर्तमान स्थिति में आर.ओ.बी. सिविल लाईन्स के निर्माण कार्य के लिये कार्यादेश राशि 36.40 करोड़ का दिनांक 31.03.2021 को मैसर्स एम.डी. इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन को जारी किया गया था। जिसकी कार्य प्रारंभ और पूर्ण करने की तिथियां क्रमश: 10.4.2021 से 9.10.2022 थीं। संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति पर संवेदक पर नियमानुसार शास्ति राशि 3 करोड़ 32 लाख रुपये आरोपित भी की गई है और कार्य विड्राल कर लिया गया है। कार्य की पुन: निविदा आमंत्रित की जा कर शेष कार्य का कार्यादेश मैसर्स शिवम कनवे प्राइवेट लिमिटेड को 40.7 करोड़ रुपये का दिनांक 3.5.2023 को जारी किया जा चुका है। जिसकी कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण करने की अंतिम तिथियां क्रमश: 12.5.2023 और 11.8.2024 थीं। निर्माण कार्य में विलंबता के लिये द्वितीय संवेदक पर भी नियमानुसार शास्ति राशि लगभग 107 लाख रुपये लगाई गई है। वर्तमान में लगभग 58 परसेंट कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कार्य

पूर्ण होने की संभावित तिथि दिसम्बर 2025 है।

इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि लगभग 535 वर्ग मीटर भूमि निर्माण कार्य के लिये उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम के अधीन जोन 1 द्वारा जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक सिविल लाईन्स विधान सभा क्षेत्र में दो कार्य करवाये गये थे, जिनकी कुल राशि 4,95,67,666 रुपये व्यय किये गये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम के अधीन जोन 1 के क्षेत्राधिकार में दिसम्बर, 2023 से जुलाई, 2025 तक सिविल लाईन्स विधान सभा क्षेत्र में राशि रुपये 5,72,89,864 का एक कार्य उच्च स्तर पर परीक्षण के उपरांत कार्य फिजिबिलिटी एवं डिजाइन के दृष्टिगत निरस्त किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम के अधीन जोन 2 सिविल लाईन्स विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक अधिशासी अभियंता प्रकोष्ठ 2 में कुल 3 कार्य, कुल राशि 88.51 लाख प्रगतिरत है तथा 10 कार्य, कुल राशि 1132.51 लाख पूर्ण किये जा चुके हैं और शून्य कार्य स्थगित किये गये हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): यह तो पूछा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जो पूछा है, वह बता दो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मेरा सवाल यह थोड़े ही है। अगर आर.ओ.बी. पर पूछना होगा तो मैं यह पूछूंगा कि आपने सदन में क्या जवाब दिया था? उस तारीख तक काम हुआ या नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। आप विराजिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): जिस काम में भूमि की उपलब्धता नहीं हो रही है, वहां भूमि अधिग्रहण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बिना भूमि के कोई निर्माण नहीं हो सकता, भूमि प्राप्त होते ही निर्माण तेजी से पूर्ण करवाने का प्रयास किया जायेगा। और जहां तक विधान सभा के माननीय विधायकों से विचार-विमर्श की बात है, तो मैं आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर दूंगा कि वो जिन-जिन विधान सभा क्षेत्रों में जयपुर विकास प्राधिकरण योजना बनाता है, कार्य प्रस्तावित करता है, उससे पहले स्थानीय माननीय विधायकों से विचार-विमर्श कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। अगला प्रश्न। ....(व्यवधान).... आपकी सब बात हो गई।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आप सबको चार-चार की अनुमति देते हैं, अजमेर ने तो कभी गलती की ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: पूछो, पूछो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सर, मैं पूछना चाहता हूं इसमें एक सवाल का जवाब है कि जे.डी.ए. ने सिविल लाईन्स विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र में 30 फीट चौड़ी सड़क बनाई। मैं सवाल करना चाहता हूं कि जे.डी.ए. को नगर निगम के क्षेत्र में घुसने, तोड़फोड करने, लोगों को उजाड़ने और लोगों को कराहने के लिये किसने मजबूर किया हुआ

है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): नगर निगम क्षेत्र में जे.डी.ए. कैसे जा सकता है?

श्री अध्यक्ष: उत्तर दिलवा रहा हूं ना, आप विराजो। ....(व्यवधान).... विराजिए माननीय सदस्य।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन, दोनों विभाग समन्वय से काम करें। जहां नगर निगम काम कर सकता है, वहां नगर निगम काम करता है।

Msk/rtm/10.09.25/1150/1f

कई जगह ऐसी हैं जहां नगर निगम और जेडीए दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, वहां जयपुर विकास प्राधिकरण काम कर देता है। अगर माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से हम इसको दिखवा लेंगे कि दोनों विभाग, चाहे वे नगर निगम हो, चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण हो, आपसी समन्वय से काम करें।

साथ ही, भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने पूरे प्रदेश के लिए यह प्रश्न किया था। मैं उनसे निवेदन कर दूं कि नगर पालिकाओं और नगर परिषद् के बोर्ड में माननीय विधायक सदस्य के रूप में समाहित हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो अभी इन्हीं का उत्तर दे दें। माननीय मंत्री जी, उनका उत्तर बहुत है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): निवेदन कर रहा हूं, इसलिए आप अपने विचार वहां प्रकट करें और अगर आपके विचारों को वहां सुना नहीं जाता है, तब हम तक पहुंचे। नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरण में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम सभी नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरणों को निर्देशित करेंगे कि वे आप से भी विचार-विमर्श करे। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): 74वें संविधान संशोधन के बाद जेडीए की जरूरत क्या है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठें। अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम विश्नोई

फलौदी में लंबित कृषि कनेक्शन

112. श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नये कृषि कनेक्शन की डिमांड राशि जमा करवाने के पश्चात भी कनेक्शन लम्बित है? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि कनेक्शनों को समय पर जारी करने के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्तमान में कितने कृषि कनेक्शन, किन कारणों से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) जी हां। कृषि कनेक्शन नीति-2017 के अनुसार जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे है।

उक्त के अतिरिक्त कृषि कनेक्शन नीति-2017 बिन्दु संख्या 7.1.2 में आंशिक संशोधन के अनुसार कुसुम-'ए' एवं 'सी' योजना के तहत 33/11 केवी सब-स्टेशन, जहां कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित एवं प्रचालित (Commissioned) किये जा चुके हैं एवं भविष्य में भी 33/11 केवी सब-स्टेशनों पर कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा सयंत्र Commissioned किये जाने हैं, ऐसे कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्रों के Commissioned होने के पश्चात, इन सब-स्टेशनों पर लम्बित सभी कृषि कनेक्शन जिनके मांगपत्र जमा/आवेदित हैं, वहां कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्रों की उपलब्ध क्षमता के अनुसार कृषि कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता पर जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है।

आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में जमा मांग पत्र आवेदकों के 874 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना लंबित है, जिनमें से 214 कनेक्शन फसल खड़ी होने/रास्ता उपलब्ध न होने के कारण कनेक्शन जारी करने का कार्य बाधित है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। उक्त लंबित कृषि कनेक्शन फसल कटने के साथ रास्ता उपलब्ध होने पर एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे पूरक पर आता हूं, ताकि अन्य माननीय सदस्यों को भी अवसर मिल सके। उत्तर आ गया।

श्री अध्यक्ष: पूरक पूछें।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर में यह बताया गया कि 874 कृषि विद्युत कनेक्शन बाकी हैं और इनके डिमांड नोटिस 2017 से लेकर 2022 तक के जमा हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों से 7-8 साल पहले डिमांड नोटिस जमा करवा दिये गये और वे सात-आठ साल तक इंतजार करते रहे। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पूर्व की सरकार के दौरान यह डिमांड राशि जमा की गयी थी और उन्होंने कनेक्शन जारी नहीं किये और आपने कुछ कनेक्शन बड़ी संख्या में जारी किये हैं। परन्तु 7-8 साल से डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद किसान इंतजार करेगा और उसकी राशि वहां पर डम्प होगी। तो क्या आप यह विचार रखते हैं कि किसान से छह माह पूर्व डिमांड नोटिस जमा करवा लिया जाये और छह माह के बाद उसको कृषि कनेक्शन दे दिया जाये? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा वाजिब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 22.02.2022 को चुनाव नजदीक होने के कारण बिना सोच-समझे कि हम जिन कृषि कनेक्शनों के डिमांड नोटिस जारी कर रहे हैं, उन्हें जारी करने

के बाद, उनके लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं हैं, इसकी बिना किसी जांच-पड़ताल के, बिना किसी आधार के उन्होंने चुनावी नतीजा प्रभावित करने के लिए बड़ी संख्या में कनेक्शन जारी किये। उसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये जो 874 कृषि कनेक्शन बाकी हैं, ये लंबित हैं। इनमें से 214 कनेक्शन फसल खड़ी होने के कारण, रास्ता उपलब्ध नहीं होने और वहां पर आरओडब्ल्यू की प्रोब्लम के कारण लंबित हैं। बाकी कनेक्शनों को हम वरीयता के अनुसार जारी करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रयासरत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जेएसएस ऐसे हैं जहां पर प्रसारण के माध्यम से, जो क्षमता उपलब्ध है, वह नहीं हो पा रही है। हमारे जोधपुर डिस्कॉम में विशेषकर जीआईबी की समस्या है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की बंदिश के कारण से हम प्रसारण की लाइनें नहीं खींच पा रहे हैं। वहां पर हमारे सबसे ज्यादा कनेक्शन लंबित हैं। इन सब चीजों की, जो बिना किसी परीक्षण के जारी किये गये थे, उन पर हम लगातार प्रयासरत हैं। अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह तय किया है कि जहां हम कुसुम 'ए' और कुसुम 'सी' के जो सौलर के प्लांट लगा रहे हैं, उन सौलर के प्लांटों को लगाकर वहां पर अगर ट्रांसमिशन की लाइन में दिक्कत भी है तो हम ऐसी जगह पर प्लांट लगा रहे हैं, जहां पर हमारे कनेक्शन पैंडिंग हैं। वहां प्लांट लगाकर उनको सौलर से दिन में लाइट दे सकें। इसके लिए हमने कृषि कनेक्शन नीति-2017 बिन्दु संख्या 7.1.2 में आंशिक संशोधन के अनुसार कुसुम-'ए' एवं 'सी' योजना के तहत 33/11 केवी सब-स्टेशन पर , जहां कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित एवं प्रचालित (Commissioned) किये जा चुके हैं एवं भविष्य में भी 33/11 केवी सब-स्टेशनों पर कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्र Commissioned किये जाने हैं, ऐसे कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्रों के Commissioned होने के पश्चात, इन सब-स्टेशनों पर लम्बित सभी कृषि कनेक्शन जिनके मांगपत्र जमा/आवेदित हैं, वहां कुसुम-'ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा संयंत्रों की उपलब्ध क्षमता के अनुसार कृषि कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता पर जारी करने का प्रावधान किया गया हैं। जो हाल ही में हमने किया है। मैं सदस्य को आश्वस्त करूंगा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि पूर्व सरकार के समय जारी डिमांड नोटिस की भी जल्दी से जल्दी आने वाले वित्तीय वर्ष तक पूर्ति करें। ऐसा हमारा प्रयास है।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2013 से 2018 के बीच में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हर घर में उजाला करने की योजना बनायी थी, उस योजना के तहत लगभग 90 परसेंट काम पूरा हो गया है, परन्तु कुछ घर फिर भी वंचित रह गये थे। उसके लिए 2018 से 2023 में मेरे आग्रह पर माननीय गजेन्द्र सिंह शेखावत ने घरेलू कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना के तहत हमारे क्षेत्र को सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि दो बार आवंटित की। दो बार भी, तत्कालीन सरकार में किस कारण उस राशि का उपयोग नहीं होकर उन उपभोक्ताओं को अंधेरे में जीने के लिए मजबूर किया। यह आपराधिक लापरवाही पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई। क्या आप उन लोगों को नयी योजना,

आरडीएसएस के तहत कनेक्शन दिलाना चाहते हैं? यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि उनका कहना सही है कि जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा 1,47,431 अविद्युतीकृत लैटआउट हाउसहोल्ड का विद्युतीकरण करने के लिए 735.10 करोड़ की डीपीआर ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन, नई दिल्ली को 07.07.2000..., को भेजी गयी। आरईसी, नई दिल्ली द्वारा 89,941 हाउसहोल्ड ग्रिड से और ऑफ ग्रिड से विद्युतीकरण हेतु 403 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 26.07.2021 को जारी की गयी। जिसकी विद्युतीकरण की समय-सीमा 31.12.2021 थी। परन्तु पूर्ववर्ती सरकार के समय डिस्कॉम प्रशासन द्वारा दिनांक 23.10.2021 को मीटिंग में ग्रिड से 68609 कनेक्शनों में से 25 प्रतिशत कनेक्शन सीएलआरसी पर और शेष 25 परसेंट कनेक्शन टर्नकी पर देर से निर्देश जारी किये गये। उस कारण से उपरोक्त कनेक्शनों को जारी करने के लिए समय कम होने के कारण आरईसी, नई दिल्ली को कार्य पूर्ण करने की अवधि बढ़ाने हेतु निवेदन करने पर पुनः 15.02.2022 तक अवधि बढ़ायी गयी। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 07.03.2022 के द्वारा उक्त कार्य दिनांक 15.03.2022 तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिये गये। आरईसी द्वारा उक्त कार्य के लिए समय-सीमा 15.03.2022 से आगे नहीं बढ़ाने के कारण के कारण टर्नकी पर कोई भी कार्य नहीं हुआ और कार्य समय पर नहीं होने से सीएलआरसी पर 21670 कनेक्शन ही हो पाये। इस कारण से 54 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।

फलौदी जिले में हाउसहॉल्ड विद्युत कनेक्शनों का कार्य नहीं हो पाया है और ये बन्द हो चुकी है। अब हमने आरडीएसएस पर इन योजनाओं को शामिल किया है, जिसके टेण्डर प्रक्रिया में चल रहे हैं। आरडीएसएस के माध्यम से इन बचे हुए कनेक्शनों को कराने के लिए हमने आगे प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और केन्द्र से भी हमें मंजूरी मिल गयी है।

mdp/rtm/10.09.25/12:00/1g

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल समाप्त।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था दें, उससे पहले।

श्री अध्यक्षः पहले आपको अनुमति दी थी, बोलिए। ये कहते हैं एब्सेंस में बोलते हैं, सामने बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज सुबह माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): व्यवस्था पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः हां, व्यवस्था पर अनुमति दी है। बाकी तो मैं टोक देता।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आज सुबह माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने आपसे

कोई व्यवस्था देने का निवेदन किया था और आपने यह कहा कि प्रश्न काल के उपरांत मैं व्यवस्था दूंगा। परंतु अब जो मैं कह रहा हूं और नम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि दो दिन पहले माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने आपसे निवेदन किया था कि हमारे जाने के बाद में बोलते हैं +++।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि क्या व्यवस्था मांगने वाले, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करने वाले व्यक्ति खुद ही अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था का उल्लंघन करें, हाथोंहाथ ही, जब, माननीय अध्यक्ष महोदय आपने ये कह दिया कि प्रश्न काल के बाद में आपके इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था दूंगा तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए एक घंटे का इंतजार भी नहीं करना था। ...(व्यवधान).... आपकी व्यवस्था का हाथोंहाथ उल्लंघन करना था।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): पहले व्यवस्था देनी चाहिए थी। ...(व्यवधान).... आप करते वॉक आउट।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप समझ सकते हैं कि इस विपक्षी दल के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी हमारी परम्पराओं, हमारे ऐतिहासिक गौरव और हमारी व्यवस्थाओं को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे बोलने पर बीच में खड़े हो जाते हैं। ...(व्यवधान).... वह समझ ही नहीं पाते हैं कि व्यवस्था कैसे देनी है और ये बीच में बार-बार बोलेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं यह कहूंगा, ...(व्यवधान).... मैं मेरी बात कहूंगा पूरी, आपको जो जवाब देना है, वह आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मुझे मेरी बात कहनी है। पारीक साहब, आप विराजिए। जो टोपी, टी-शर्ट और ओवरकोट में उलझे हुए विपक्ष के लोग आज आपके सामने ये कह रहे हैं कि साहब, हमें व्यवस्था दीजिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि क्या आज कोई ऐसा इश्यू था जिसकी वजह से उनको वॉक-आउट करने की आवश्यकता पैदा हुई। मेरा निवेदन है ...(व्यवधान).... आप कौन है बीच में बोलने वाले, मैं कहूंगा मेरी बात, मेरा अधिकार है। जितना बोलना है, उतना बोलिए, राजस्थान की आठ करोड़ जनता आपको देख रही है। टोपी पहनने से, ओवरकोट पहनने से, पोस्टर लटकाने से जनता के विकास के काम नहीं हो रहे हैं।

सदन कूप में

(कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्षः अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। ...(व्यवधान).... सीटों पर जाइए। सभी विराजिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बरसात का सीजन आया ...(व्यवधान).... मेरी बात सुनिए। मैं मेरी बात कहूंगा, आपके कहने से रुकने वाला नहीं। ...(व्यवधान).... आपको

सुनना पड़ेगा और नहीं सुनना है तो आपकी इच्छा।

श्री अध्यक्षः सभी अपनी-अपनी जगह पर विराजिए। सब बैठिए। माननीय हो गयी आपकी बात।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हर समस्या का समाधान है, लेकिन आप जैसा अभी विपक्ष का हंगामा देख रहे हैं, ...(व्यवधान).... माहौल देख रहे हैं, नौटंकी देख रहे हैं, बार-बार बीच में व्यवधान करना। ये क्यों करते हैं, मैं आपको चार कारण गिना रहा हूं। ये क्यों करते हैं? इनका कारण ये है..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज की व्यवस्था पर बोल रहे हैं आप? ...(व्यवधान).... आज की व्यवस्था पर बोल रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनका कारण ये है कि ...(व्यवधान).... इनके प्रश्न नहीं लगे, इनकी नौटंकी नहीं लगी, इनकी व्यवस्था नहीं लगी। इनके आपस में अंतर्कलह है, इसलिए ये काम कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप अध्यक्ष जी की व्यवस्था ...(व्यवधान).... नहीं मानना चाह रहे हैं। आप नहीं मानना चाह रहे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): और कोई कारण नहीं है ...(व्यवधान)... जो नौटंकी करनी है, कीजिए।

श्री अध्यक्षः सभी अपने-अपने स्थानों पर बैठिए। ...(व्यवधान).... सभी अपने स्थानों पर बैठिए।

सदन की कार्यवाही 01.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.04 बजे 13.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Ans/rtm 13.00 1n 10.09.2025

(समय:13.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री फूलसिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापतिः सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिये दो बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

VPS-RTM-10.09.2025-14.00-2c

(समय:14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम राम। राम राम।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों से नारे)

माननीय सदस्यगण, आप विराजिये। आपने जिस पर कहा था, उस पर बात तो सुनेंगे? बैठें।

अनुरोध एवं मांग

(1) प्रतिपक्ष को सदन की कार्यवाही में नियमानुकूल भाग लेने की अनुमति व

(2) सदन में लगे कैमरे प्रतिपक्ष पर केन्द्रित कर उनकी निजता हनन के प्रयासों पर रोक की मांग

यह सदन लोकतंत्र का मन्दिर है। हम सभी इस मन्दिर में आते हैं। यहां की कुछ मर्यादाएं बनी हुई हैं। यहां के कोई नियम हैं, यहां की कुछ परंपराएं हैं और राजस्थान की आठ करोड़ जनता हम सबको रोज लाइव यू-ट्यूब पर देखती है इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि जो भी आपने मुद्दे उठाये हैं उन सबका उत्तर, उसका निश्चित रूप से पूरा स्टेटमेंट दूंगा इसीलिए आगे से भी, पिछले लगातार तीन-चार दिन से मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि कहीं न कहीं गरिमा में कमी आ रही है। सब लोग मिलकर गरिमा रखेंगे तो एक अच्छा संदेश जायेगा।

दिनांक 09 सितम्बर, 2025 को नेता, प्रतिपक्ष तथा प्रतिपक्ष के कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा सदन में स्थापित कैमरों के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के संदर्भ में मुझे सभी सदस्यों को सूचित करना है कि विधान सभा के नवीन भवन के इस सदन की स्थापना से ही यहां पर कैमरे लगे हुए हैं। पुराने सदस्यों को तो यह भी याद होगा कि सवाई मानसिंह टाउन हाल स्थित पूर्व विधान सभा भवन में भी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग करायी जानी आरम्भ हो गई थी।

हाल ही में वन-नेशन-वन-एप्लिकेशन के तहत पेपरलैस प्रणाली नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन को अंगीकार किया गया है। इस परियोजना के तहत सदन में स्थापित विभिन्न उपकरणों को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया गया है जो एक सामान्य प्रक्रिया है। सभी माननीय सदस्यों को विदित ही है कि इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का एक निश्चित जीवनकाल होता है, उसके उपरांत उनके स्थान पर नवीन तकनीक के उपकरण लगाए जाते हैं। सदन में स्थापित कैमरों को भी उनके अप्रचलित होने पर समय-समय पर बदला जाता रहा है, ताकि बेहतर क्वालिटी का प्रसारण सम्भव हो। पन्द्रहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आरम्भ हुए यू-ट्यूब पर लाइव प्रसारण के लिये सम्पूर्ण सदन के कवरेज के लिए भी आवश्यकतानुसार कैमरे प्रयोग में लाये जाते हैं।

सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान

शाखा के तत्वावधान में आयोजित होने वाली विभिन्न सेमिनार एवं युवा संसद जैसे आयोजनों के सजीव एवं समग्र प्रसारण हेतु विभिन्न एंगल से कवरेज के लिये कैमरे स्थापित हैं।

जैसा कि पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की कम उपस्थिति की ओर समय-समय पर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है तथा आसन पैरों पर होने पर भी अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों का आवागमन होता रहा है, उसके लिए मेरे से पूर्व के विधान सभा अध्यक्ष ने भी यह कैमरे लगवाये थे। अधिकारियों की उपस्थिति तथा विधान सभा की गरिमा को बनाये रखने के लिये भी अधिकारी दीर्घा में कैमरा स्थापित किया गया है।

मुझे सदस्यों को यह भी जानकारी भी देनी है कि सदन में स्थापित किसी भी कैमरे से ऑडियो कैप्चर करने की व्यवस्था नहीं है, ना ही ये कैमरे किसी सदस्य विशेष पर केन्द्रित किये जाते हैं तथा उक्त कैमरे 360 डिग्री क्षमता के हैं जिन्हें संचालित करने हेतु दिशा-निर्देश बने हुए हैं जिसके अनुसार ही इन कैमरों का संचालन किया जाता है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन कैमरों की स्थापना से किसी सदस्य की निजता भंग नहीं होती है। इस सदन में ऊपर की दीर्घा में भी काफी लोग आते हैं और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी आते हैं, विभिन्न जन भी आते हैं और यह सदन, सबसे ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक होता है कि सदन की सुरक्षा बनी रहे अतः इसमें कैमरे, बाकी भी सारे राज्यों की विधान सभाओं में भी है, लोक सभा में भी है और आजकल तो अपन अपने घरों पर भी लगवाते हैं, यहां परिसर में भी है। इस कैमरे की आवश्यकता कितनी है, यह आज की परिस्थिति में हम सब महसूस कर सकते हैं। लोक सभा में तो इतना भी ध्यान है कि एक व्यक्ति कूद गया था, उसके बाद से वहां की सुरक्षा और बढ़ा दी गयी। यहां सुरक्षा रहे, यह हम सबके लिए भी यह आवश्यक है कि यहां पर यदि हमारी पारदर्शिता है तो किसी को भी यहां पर शंका करने की आवश्यकता नहीं है। न ही निजता कोई भंग की गयी है, न आगे भी किसी की निजता भंग की जायेगी। इतना मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं और जो आरोप लगाये गये, वे आरोप बिलकुल निराधार हैं। इतना मैं आप सबकी ओर से कह सकता हूं। बाकी यदि, अब ये कहें क्योंकि दर्शक दीर्घा में तरह-तरह के लोग आते हैं। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है तो फिर संकोच काहे के लिए करना और दबाव में लाने के कई बार मेरे को प्रयत्न होते हैं। मैंने आज पहले भी सदन में यह कहा था कि न दबाव में आया हूं और न दबाव में आऊंगा, यह आप बिलकुल निश्चित रूप से समझें। काम नियमानुसार करूंगा, सदन की गरिमा की रक्षा के लिए करूंगा, जब तक इस सदन का मेरे पर विश्वास है तब तक मैं इस सदन के स्थापित नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करवाने में अपनी क्षमता के अनुसार पूरा काम करूंगा इसलिए मैं आपसे भी यह अपील कर रहा हूं कि आप इस तरह की बातों को लेकर समय नष्ट न करें क्योंकि मेरा हमेशा यह स्वभाव रहा है कि विपक्ष को साथ लेकर चलना और पक्ष को साथ लेकर चलना। यह सदन का काम चलाना अपने दोनों का है, पक्ष और विपक्ष दोनों का है।

इसलिए आपने देखा होगा, पुराने अध्यक्षों की भी अपने कार्यशैली देखी है। सदन में उनको सुना है, देखा है। मैंने आने के बाद उन सबको पढ़ा है। मैं यह समझता हूं कि उनकी तुलना में मेरा बहुत ही लचीलापन रहा है, मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, सुनता हूं, सब करता हूं और कई बार पीड़ा इसलिए होती है कि जो हम तय कर लेते हैं कोई बात और उसके बाद फिर उसका व्यवहार में नहीं आ पाना मन को पीड़ा देता है इसलिए मैं आप सबसे यह अपील करता हूं कि निजता न भंग हुई है और न भंग होगी। यह कैमरा पहले से भी है। पहले अलग डिग्री के होंगे, अब 360 डिग्री, पक्ष हो, विपक्ष हो, सारी गैलरीज हो, चाहे यह दोनों दीर्घा हो, वह भी सब उस कैमरे के अन्दर ही है, यह आज की तारीख में आवश्यक है। चाहे यह मेरा भी आसन है, यह भी उसी कैमरे के अंतर्गत है।

हम इतना जब स्पष्ट कर रहे हैं तो मैं यह समझता हूं कि इस बात को तुरंत समझकर, अपना एक दिन, डेढ़ दिन अपन जाया न करें। आइये, हम सब शांतिपूर्वक सदन चलायें और अब जो बहस होनी है, बिल है, आप बहस में भाग लें तो इससे सदन की गरिमा भी बढ़ेगी और आपके क्षेत्र में भी लोग कहेंगे कि आपने मुद्दे उठाये हैं इसलिए आप लोगों से मैं यह एक अपील करता हूं कि अब शांतिपूर्वक सुनें और अपन बहस में भाग लें।

मैंने आज तक किसी को रोका नहीं है। एक बार जरूर हुआ, उसमें भी मैंने यह स्पष्ट कहा था पारीक साहब को कि मेरे पास सूची पहले आनी चाहिए। जब सदन में बिल आता है तो आप सूची देंगे तो मैं सबको तीसरे वाचन में, जितनी भी आपकी सूची होगी, सबको मैं अनुमति दूंगा और सदन में आपके इस माइक की बात हुई तो मैंने यह निर्देश दे दिये कि आपका माइक सदैव चलेगा, यह मैंने निर्देश दे दिये हैं और तीसरा आपका कोई ऐसा मुद्दा था नहीं जिसको मैं बोलूं। बाकी भी कोई बात हो तो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। ...(व्यवधान)...

बैठे-बैठे नहीं। अब आपका नेता बैठा है। नो। आसन पाँवों पर है। मतलब, मैं जितना लचीला हो रहा हूं आप उतने खड़े हो रहे हो। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं। आप बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने जो आसन से निर्देश दिये, कैमरे लगाने से एतराज नहीं है। एतराज इस चीज का है कि आपने यह अभी बताया कि हमने कैमरों को अपग्रेड किया है। नये कैमरे लगाना अपग्रेड में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष: वह ही उनकी संख्या है। नये नहीं लगाये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूर्व में 9 कैमरे लगे हुए हैं। 9 कैमरों के अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी यहां सदन में कोई बात कह रहा हूं तो किसी बात को लेकर ही कह रहा हूं, यहां सब कैमरे लगे हुए हैं। यह सही है कि सदन के अन्दर ऑलरेडी जो कार्यवाही है वह यू-ट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है। वह पहले भी जा रही थी, आज भी जा रही है, हमने तो कभी एतराज किया नहीं। यह एतराज हम इससे पहले भी कर सकते थे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। बात यह है कि यह जो 2 कैमरे लगे हैं, यह

किस मद से लगे हैं? आपने कहा कि अपग्रेड किये हैं तो अपग्रेड वाले तो ऑलरेडी 9 लगे हुए थे, 2 की अलग से आपसे परमिशन ली या नहीं ली? यह किस मद से लगे और वह कैमरे सदन जो है एडजर्न होने के बाद में भी वह कैमरे चालू रहते हैं, रिकार्डिंग चालू रहती है, उस पर हमारा एतराज है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। मैंने कह दिया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग न आज तक हुई है और न आगे भी होगी। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हो रही है, साहब। रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने खुद कहा। आपने परसों मेरे को खुद कहा कि मैंने तुम पर दो अलग कैमरे लगाये हैं जो आपकी एक-एक चीज पर मैं नजर रखूंगा। आपकी सब गतिविधियों पर नजर रखूंगा।

श्री अध्यक्षः यह कैमरा 360 डिग्री पर चलता है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जब ऑलरेडी लगे हुए थे तो फिर इन 2 की कहां जरूरत पड़ गयी? मेरा तो इतना सा ही निवेदन है। सदन में कैमरे ऑलरेडी लगे हुए थे तो और 2 अलग से कैमरे लगाने की कहां जरूरत पड़ गयी और यह इनमें जो लाइटें आ रही हैं, यह हमारी रिकार्डिंग होती है। जब सदन नहीं चल रहा होता है, उस समय भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है, उसका हमें एतराज है। आप बता दो उस पर। आप बता दो कि क्यों लगाये और कौनसे मद से लगे हैं?

श्री अध्यक्षः इसमें जो भी सदन में लगता है, इसका सारा मद, विधान सभा सचिवालय के मद से लगे हैं और निश्चित रूप से इसमें कहा है कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी, उसमें 360 डिग्री के नहीं थे, अब नयी टेक्नोलॉजी आयी है। पक्ष को भी देख रहे हैं, विपक्ष को भी देख रहे हैं, दोनों गैलरीज को देख रहे हैं, ऊपर दर्शक दीर्घाओं को भी देख रहे हैं। पहले इसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। जैसे-जैसे समय आ रहा है, नये-नये कैमरे आ रहे हैं, उनको हमने लगाया है और उससे मैं समझता हूं कि किसी की निजता भंग नहीं हुई है। यदि, पारदर्शी आप कहते हो कि आप पारदर्शी हो तो पारदर्शिता में आपको क्यों संकोच है?

ssy/rtm/10.09.2025/14.10/2d

पारदर्शी व्यवस्थाएं हैं और यह हाउस सबका है। हाउस केवल ना आपका है, ना मेरा है। यह हाउस 200 लोगों का है। इसमें कोई प्राइवेसी नाम की चीज है ही नहीं कि जिसकी हम चिंता करें। हम सदन में आते हैं, बैठते हैं, बहस करते हैं, चले जाते हैं। यह सब चीजें होती हैं। कोई भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है, आजकल होने लगी हैं बाहर की दीर्घाओं से भी, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। यह सदन की सुरक्षा के लिए हमने रखे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि आपकी बात पूर्णतया निराधार है। इसको मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ना निजता भंग हुई है, ना करूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, फिर वही बात आई है। अब आप कह रहे

हो कि मैंने लगाये हैं, 360 डिग्री के लगाये हैं। अभी आपने कहा कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अपग्रेड हुए हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 2 चीज अलग-अलग हैं। पुराने लगे हुए को अपग्रेड किया गया है कि 2 अलग लगाये हैं हमारे ऊपर? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः किसी के ऊपर नहीं लगाये हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप अगर चाहें तो मैं आपके साथ चल लेता हूं। इसका एक्सेस कहां है? 15 मिनट के लिए विधान सभा को आप एडजोर्न कर दो। इसका एक्सेस मैं दिखा देता हूं कि कहां पर है।

श्री अध्यक्षः मेरे को जो कहना था वह कह दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कौन देखता है? कौन वह एक्सेस देखता है इन 2 कैमरों का? इसको भी यू ट्यूब पर जारी करो ना ...(व्यवधान)... आप हमको गुमराह करना चाहते हो। हमको गुमराह करना चाहते हो आप लोग। हमको गुमराह मत करो। इन 2 कैमरों का एक्सेस भी यू ट्यूब पर है या नहीं है? आप बताइये।

श्री अध्यक्षः जो आपको बताना था, बता दिया। अब शोकाभिव्यक्ति।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यह जबरदस्ती नहीं चलेगी। आज बताइये सदन के अन्दर। आप सदन के अन्दर बताइये कि इसका एक्सेस है या नहीं है? ...(व्यवधान)...यू ट्यूब पर इसका एक्सेस है या नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, बात हो रही है तो क्लियर होनी चाहिए। इन 2 कैमरों का भी यू ट्यूब पर एक्सेस है या नहीं है?

श्री अध्यक्षः आपको व्यवस्था चाहिए थी वह मैंने दे दिया। शोकाभिव्यक्ति।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सदन के नेता यहां पर मौजूद हैं, सदन के नेता सदन के अन्दर मौजूद हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर आप जवाब दीजिये। सदन के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस चीज को क्लियर कीजिये कि यह कैमरे किसके इशारे पर लगाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री प्रभुलाल पटेल के निधन पर सवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

प्रभुलाल पटेल, श्री, पूर्व माननीय सदस्य

पूर्व सदस्य श्री प्रभुलाल पटेल का जन्म 15 अगस्त, 1947 को सपोटरा तहसील के आडा डूंगर ग्राम में हुआ। आपने बी. ए. प्रथम वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री प्रभुलाल पटेल नौवीं राजस्थान विधान सभा में सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में

आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री पटेल ग्राम पंचायत आडा डूंगर के सरपंच तथा पंचायत समिति, सपोटरा के उप प्रधान रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति, आडा डूंगर के अध्यक्ष भी रहे।

श्री प्रभुलाल पटेल का दिनाक 21 अप्रैल, 2025 को निधन हो गया।

मैं अपनी तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति सवेदना व्यक्त करता हूँ तथा दिवगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

देश व प्रदेश में अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा की घटनाओं के मृतक

गत दिनों हुई अतिवृष्टि एव प्राकृतिक आपदा में देश एवं प्रदेश में कई व्यक्ति दिवंगत हो गये। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के कारण कई मकान भी ढह गये। जिनमें दबने के कारण कई व्यक्तियों का देहावसान हो गया तथा संपत्ति को भारी क्षति पहुँची। प्रदेश में विद्यालयों के भवन गिरने के कारण भी विद्यार्थियों का देहावसान हो गया।

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के मृतक

गत दिनों राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में भी कई व्यक्तियों का देहावसान हो गया।

यह सदन अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं, विद्यालयों में हुए हादसों तथा सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगतों के प्रति तथा विभिन्न दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

ओम शांति।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ललित मीना।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजो। अभी सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, उसके बाद में।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): शोकाभिव्यक्ति से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। हां, बताइये।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): एक मिनट, ऑपरेशन सिंदूर के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: आप भेज दें उसको जोड़ देंगे।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के अन्दर शहीद हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: यह हो चुका है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सर, नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं, सुरेन्द्र

शहीद हुए हैं। उनको भी अगर यहां पर हो।

श्री अध्यक्षः ठीक है, उसको जोड़ देते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोपाल शर्मा, माननीय सदस्य, की आपत्तिजनक टिप्पणी का कार्यवाही से अपलोपन

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सर, एक और व्यवस्था का प्रश्न है। कल जो बिल पास हुआ...

श्री अध्यक्षः नहीं, अब नहीं। शोक प्रस्ताव था मैंने एड कर लिया।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सर, मुझे आपत्ति है, मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। गोपाल जी शर्मा जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने यह बात कही कि कैमरे इसलिए लगाये गये हैं कि जब आप लोग धरने पर बैठते हैं....

श्री अध्यक्षः उन्होंने क्या कहा, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): नहीं, एक्सपंज कराओ उसको। एक्सपंज कराने के लिए कह रही हूं।

श्री अध्यक्षः ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात होगी तो उसको मैं देख लूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह 2 कैमरे यू ट्यूब से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं यह तो क्लियर करो।

श्री अध्यक्षः मेरे को जो उत्तर कहना था आपको कह दिया ...(व्यवधान)... सबके ही ऊपर है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बारां जिले में अवैध खैर कटाई, तेंदू पत्ता तुड़ाई एवं वन विभाग के कार्यों में भ्रष्टाचार

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा नियम 131 के अंतर्गत मैं माननीय वन मंत्री का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप तो केवल ध्यानाकर्षित करें।

श्री ललित मीना (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जब आप इस पर चर्चा ही करा रहे हैं तो यह भी बता दो कि यह यू ट्यूब से जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कैमरे लगा दिये तो ऐसी क्या प्राइवेसी है? ...(व्यवधान)...

श्री ललित मीना (किशनगंज): बारां जिले में हो रहे अवैध खैर कटाई एवं तेंदू पत्ता तुड़ाई एवं वन विभाग के कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके सदन के नेता को बोलो ...(व्यवधान)... आपके सदन के नेता से पूछो, क्या प्राइवेसी है...(व्यवधान)...अपने घरों में लगवा लो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): किस चीज का डर है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अपने घरों में लगवाओ आप लोग ...(व्यवधान)... अपने घरों में लगवाओ आप लोग। यहां विधान सभा में जनता की आवाज उठाने आते हैं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज से आने वाले विधायक महोदय ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उसके सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि बारां जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कटान इत्यादि के संबंध में निम्नांकित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यहां कोई मजाक बना रखा है। यहां की परंपराएं हैं, यहां की मर्यादाएं हैं। यह क्या मजाक बना रखा है ...(व्यवधान)... एक बात का जवाब दे दो कि यू ट्यूब से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): शासन उप सचिव के पत्रांक प14 (1) वन/विविध/2024 दिनांक 13.05.2025 बारां जिले में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में आमजन की शिकायत।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सी.एम. साहब, आप बोलिये। आप सदन के नेता हैं। यहां पर मौजूद हैं ...(व्यवधान)... आप तो कुछ बोलिये ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): उप वन संरक्षक, वन मण्डल, बारां द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों के भ्रष्टाचार के संबंध में डॉ० ललित मीना, माननीय विधायक का पत्र दिनांक 18.04.2025 एवं 27.05.2025।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रियों की जासूसी है ...(व्यवधान)... यह क्या मतलब हो गया ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): बारां जिले में अवैध कटान, अतिक्रमण एवं विकास कार्यों की अनियमितता के संबंध में श्री विपिन मेहता व अन्य की शिकायत। उप वन संरक्षक बारां द्वारा वन विभाग के कार्यों के भ्रष्टाचार के संबंध में श्री प्रताप सिंह सिंघवी, माननीय विधायक छबड़ा (बारां) की शिकायत दिनांक 06.04.2025।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सदन के नेता भी मौजूद हैं ...(व्यवधान)... करवा दो ना जनता देख लेगी ...(व्यवधान)... पता तो चले कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): उप वन संरक्षक बारां द्वारा रोक के बावजूद भी कार्य एवं भुगतान करवाने, अतिक्रमण के विरुद्ध असत्य कार्यवाही करने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में डॉ० ललित मीना, माननीय विधायक किशनगंज शाहबाद (बारां) की शिकायत दिनांक 11.07 2025।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इनको यू ट्यूब से जोड़िये ...(व्यवधान)... यह गलत

है ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): बारां जिले में वन विभाग के लगभग 51 करोड़ रुपये के बजट कार्यों को सत्यापित कर भुगतान करने के संबंध में श्री हेमराज मीना, पूर्व विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 08.09.2025।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह गलत है ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): क्रम संख्या 3 तथा 4 पर अंकित शिकायतों के संबंध में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 27.03.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को प्रारम्भिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। मुख्य वन संरक्षक, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 3014 दिनांक 16.06.2025 से दो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये है जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा घोर विरोध है ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्री जी तीसरी बार आये हैं और तीसरी बार ना डीजीपी हैं, ना चीफ सेक्रेटरी है, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ...(व्यवधान)... तीसरी बार सी.एम. आये हैं ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): क्रम संख्या 5 पर अंकित डॉ ललित मीणा, माननीय विधायक, किशनगंज-शाहबाद जिला बारां की शिकायत की जाँच करने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1390 दिनांक 04.09 2025 से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर को प्रारम्भिक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

spp/rtm/10.09.2025/14.20/2e

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

वन मण्डल बारां के संबंध में प्राप्त हो रही निरन्तर शिकायतों के दृष्टिगत प्रकरण में विस्तृत एवं गहनता से जांच करने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 1390 दिनांक 04.09.2025 को अधिलंधित करते हुए मुख्य वन संरक्षक (समन्वय), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर को प्रारम्भिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उप वन संरक्षक बारां द्वारा निरंतर अनुशासनहीनता और राजकार्य में लापरवाही बरती जा रही है जिसके लिये इनके विरुद्ध निम्न अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित हैः-

(1) शासन उप सचिव, वन विभाग राजस्थान जयपुर के ज्ञापन संख्या प.13 (01) वन/2025 दिनांक 25.02.2025 द्वारा श्री अनिल यादव, उप वन संरक्षक, बारां को सी.सी.ए. नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान).. हो ही नहीं रही है, ऐसे ही इश्यू बना रहे हो। ...(व्यवधान).. कोई जासूसी नहीं हो रही है। ...(व्यवधान).. आपके कहने से थोड़े होगी। ..(व्यवधान)..

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): (2) शासन उप सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर के

ज्ञापन संख्या प.13 (16) वन/2024 दिनांक 16.05.2025 द्वारा श्री अनिल यादव, उप वन संरक्षक, बारां को सी.सी.ए. नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त उप वन संरक्षक, बारां जिले के संबंध में कई बार जन- प्रतिनिधियों द्वारा वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कटान की शिकायत भी प्राप्त हो रही है। जिसकी जांच भी उक्तानुसार गठित जांच दल द्वारा की जायेगी जांच दल से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही संम्पादित की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: आपको बिलों पर बोलना नहीं है। ...(व्यवधान)..

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी जो उप वन संरक्षक बारां है, उनकी धौलपुर में भी पोस्टिंग रही है, सवाई माधोपुर रही है और वर्तमान में बारां में है। कई सारे ऐसे घोटाले हैं। अभी भी वर्तमान में 51 करोड़ का घोटाला वानिकी के कामों में करके वन समितियों को पैसा जारी कर दिया और वहां पर आदिवासी क्षेत्र होने के नाते वन समितियों से पैसा लेने का काम कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी सवाई माधोपुर में वहां पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा, वहां पर शंकरपुरा नरसिंह घड़ियाल परियोजना में भी घोटाले का प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहां पर जांच चल रही है। पाली घाट, जहां पर अधिक विकास कार्य और भ्रष्टाचार के और अधीनस्थ अधिकारियों को धमकाने के कई सारे इश्यू हैं। 17 सीसीए के दो-दो नोटिस होने के बावजूद उप वन संरक्षक बारां के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदन के माध्यम से निवेदन है कि क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने ठीक कहा। विभाग द्वारा डी.एफ.ओ. अनिल यादव को ए.पी.ओ. किया गया था 04 अगस्त, 2025 को, लेकिन सिविल सेवा अपील प्राधिकरण में उन्होंने चुनौती दी और उसमें वह स्टे लेकर आ गये। दिनांक 21.08.2025 को उन्होंने वापस पदभार ग्रहण कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को यह बताना चाहता हूं कि श्री अनिल कुमार यादव, उप वन संरक्षक, बारां के खिलाफ भ्रष्टाचार, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कटान जैसी गंभीर शिकायतों, निरन्तर अनुशासनहीनता एवं राजकार्य में लापरवाही बरतने एवं विचाराधीन जांचों को देखते हुए मैं, श्री अनिल कुमार यादव, उप वन संरक्षक, बारां को आज ही निलम्बित किए जाने हेतु सदन को आश्वस्त करता हूं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री रामनिवास गावड़िया। (अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्रीमती दिया कुमारी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

<u>वित्त (वित्तीय नियम) विभाग</u>

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (वित्तीय नियम) विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2(3)एफडी/ एफआर/ एसपीएफसी/ 2025, दिनांक 28.08.2025 जी.एस.आर. 64 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 (4) में कार्यों की खरीद के मामलें में, कार्य पूरा होने और अंतिम बिल पारित होने पर ठेकेदार की निष्पादन सुरक्षा का पचास प्रतिशत वापस कर दिया जाएगा। और निष्पादन सुरक्षा का शेष पचास प्रतिशत दोष दायित्व अवधि के संतोषजनक पूरा होने पर वापस कर दिए जाने से संबंधित परन्तुक जोडा गया है; एवं
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(3)एफडी/ एफआर/ एसपीएफसी/ 2025, दिनांक 28.08.2025 जी.एस.आर. 65 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42(2) में आपूर्ति के स्थान पर आपूर्ति या सेवा प्रदान करने और 75(2) में माल की आपूर्ति के स्थान पर माल या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ8(06)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2024/rajkaj ref/ 13635603 दिनांक 17.02.2025 जिसके द्वारा खरीफ फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने के कारण जिला डूंगरपुर की तहसील गलियाकोट, ओबरी, झौथरीपाल, सीमलवाडा एवं चिखली के कुल 293 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा./ओ.वृ. व पा.शी./गि.री./2024 2024/ Rajkaj Ref No./15816202 दिनांक 28.06.2025 जिसके द्वारा ओलावृष्टि से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर 08 जिलों के 143 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.8(7)आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2025/rajkaj ref. No./14520635 दिनांक 24.04.2025 जिसके द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य के नवगठित जिलों के लिए (फलौदी, बालोतरा,

ब्यावर, सलूम्बर, डीग, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड़) में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2023-24)

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री फूल सिंह मीणा।

समिति प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं.1)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2025-26 के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण एवं विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में किये गये परीक्षण पर आधारित समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। श्री कन्हैयालाल।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इस महत्वपूर्ण बिल राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया। जाहिर सी बात है, प्रदेश की सरकार अगर यह बिल लायी है तो काफी सोच और विचार उन्होंने किया होगा। पर मेरा निवेदन है कि अपने प्रदेश राजस्थान में भूजल दिन-ब-दिन कम होता जा रहा है। आप विचार करेंगे कि भूजल का उपयोग और दोहन के मामले में राजस्थान पहले पायदान पर है। अगर मैं बात करूं राजस्थान में भूजल दोहन की

तो 74 प्रतिशत तक हम दोहन लगातार करते जा रहे हैं और लगातार यह बढ़ते-बढ़ते 151 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में मौजूदा 301 ब्लॉकों में से 295 ब्लॉक डार्क जोन में है। इसके साथ ही इसके कारण जो पानी माफिया है, वह दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस मामले में विचार करना चाहिये। इसके साथ ही जल शक्ति अभियान के तहत बाड़मेर जिला जो अधिक भूजल पुनर्संरचना में हजारों करोड़ों रुपये जो लगाये गये थे, उनका भी सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। आज इन तमाम चीजों पर विचार करते हुए भूजल को ज्यादा कैसे बढ़ायें। हम भूजल पर ज्यादा कैसे काम करें, इसके लिये हमें इसके अन्दर तमाम चीजों को रखने की जरूरत है। साथ ही साथ मेरे जो विपक्ष के साथी हैं, उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा कि यह आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है। आप साथ में आयें और इन तमाम चीजों पर विचार करें। आज प्रदेश के मुखिया भी इस सदन में बैठे हैं तो जो भी बातें हैं, वह इनके बीच में रखें। प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपको और हमें और यहां बैठे सारे सदस्यों को देख रही है। आप आमजन से जुड़े हुए विषय को रखें और सदन को आखिरी दिन तरीके से चलायें। मेरा विपक्ष के साथियों से निवेदन है, उम्र में मैं आपसे छोटा हूं और पहली बार का सदस्य हूं। पर विशेषकर विपक्ष के साथियों से निवेदन रहेगा कि जल का मामला चल रहा है। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं जहां पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। वहां पर भूजल दिन-ब-बिन गिरता जा रहा है। आप इसको बढ़ाने के लिये क्या सुझाव दे सकते हैं, वह सदन के पटल पर रखें ताकि सरकार की सामने सुझाव आयें। शांति व्यवस्था को बनाये रखें और अपनी बात को और अपने क्षेत्र के लोगों की बात इस सदन में रखें, जिनके लिये आपको चुनकर भेजा है। मेरा पुन: प्रदेश की सरकार से और विशेषकर विपक्ष के साथियों से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात जरूर रखें।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द्र कृपलानी। ..(व्यवधान)..

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

एक सैकण्ड। ..(व्यवधान).. माननीय सदन के नेता कुछ बोल रहे हैं। अपनी-अपनी सीटों पर जायें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम इनकी बात को सुन रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: कम बात नहीं है, अहसान कर रहे हो क्या? यह सदन की गरिमा है और नियम है। ..(व्यवधान)..

अनुरोध एवं मांग

(1) प्रतिपक्ष को सदन की कार्यवाही में नियमानुकूल भाग लेने की अनुमति व

(2) सदन में लगे कैमरे प्रतिपक्ष पर केन्द्रित कर उनकी निजता हनन के प्रयासों पर रोक की मांग

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कुछ सदन की परम्पराएं, मर्यादाएं होती हैं। यह सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। यह जो अभी मानसून सत्र है, इसको इसलिये आहूत किया जाता है कि जनता की समस्याओं

का ध्यान आकर्षित कर सकें, जनता की समस्याओं से हम जुड़ सकें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः सदन के नेता बोल रहे हैं। ..(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): और मैं जो कह रहा हूं, इसको आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्षः सदन के नेता बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)..

jyg/rtm/10.09.2025/14.30/2f

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व व्यवधान)

फिर आपके विपक्ष का नेता नहीं बोल पायेगा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर चर्चा की जाये। सिर्फ ये विषय वो है क्योंकि विपक्ष की ताकत जब मालूम पड़ती है जब विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है। आपने सहज में यह कार्यक्रम बना लिया।

श्री अध्यक्षः आप भी कभी बोलोगे तो यही स्थिति बनेगी।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): जब सहज में कार्यक्रम बना लिया इन्होंने कि हमारे को अख़बार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। आप मेरी आवाज को पहले भी नहीं रोक पाये और आज भी नहीं रोक पायेंगे। ये आवाज ऐसी नहीं है जिसको रोकने का किसी में दम हो। ये मेरी आवाज को नहीं रोक पायेंगे।

श्री अध्यक्षः किसी को नहीं है अनुमति। आप सीटों पर जाओ तब सुनूंगा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्षजी, यह सदन जनता के काम के लिए है, यह 8 करोड़ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए है।

श्री अध्यक्षः आप सीटों पर जाओ अपनी। ...(व्यवधान)... बीच में व्यवधान मत करो। ...(व्यवधान)... बीच में मत आओ।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपने सदन में लगातार व्यवधान डालने का काम किया है।

श्री अध्यक्षः आप सदन के नेता को बोलने दो। ...(व्यवधान)... उसके बाद बोलना।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपको चर्चा चाहिए लेकिन यह कोई मतलब नहीं है, यह कोई मतलब नहीं है, जिस तरह से आप करते हैं, अभी किया है, आपने जिस तरह से सदन में किया है, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता देख रही है और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जनता के जो विषय होते हैं उनको एक को भी नहीं उठाया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्षः पहले सीटों पर जाओ।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, राजस्थान में अतिवृष्टि हो रही है, आप कहां गये ये तो बताइये, आप एक भी व्यक्ति के पास गये हों तो बताइये, कहीं आपने राजस्थान के किसी गांव या ढाणी में जाकर

किसी के आंसू पोंछने का काम किया हो तो बताओ, जनता के बीच में गये हो क्या? सिर्फ इनका मकसद, इनका मकसद विधान सभा में रहकर अपने आपको सीमित करना है। ...(व्यवधान)... मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी आंदोलन से निकलकर आये हैं। लोगों के बीच में जाते हैं तो पसीना बहाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। इस तरह से सस्ती लोकप्रियता नहीं ली जाती, इस तरह से नहीं ली जाती, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)... मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिस तरह से आपने सदन का जो समय बर्बाद किया है वो राजस्थान की जनता आपके आनेवाले समय में जवाब देगी कि किस तरह से राजस्थान की जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आप हमेशा तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोगों और जनता की बात करने वाले लोगों में अंतर होता है, जनता की बात करने वालों में अंतर होता है। आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कभी कुछ पहनकर आ जाते हैं और कभी कुछ पहनकर आ जाते हैं, राजस्थान की जनता आपके नाटक देख रही है, जिस तरह का नाटक आप यहां कर रहे हो। यह आवाज, यह आवाज को रोकने वाले, आप में इतना दम नहीं है कि इस आवाज को रोक सको, इतना कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस का एक भी व्यक्ति अगर जनता के बीच में गया हो तो हमें बता दें कि जनता के दु:ख और दर्द में शामिल हुआ हो।

बर्हिगमन

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बर्हिगमन)

हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा एक-एक जनप्रतिनिधि चाहे हमारे विधायक हों, सांसद हों, चाहे हमारे सरकारी अधिकारी यहां हों, सभी जनता के बीच में जाकर उनसे उनके मन की बात की है और जनता के दु:ख और दर्द में मरहम लगाने का काम किया है, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक करने आते हैं। कभी कुछ डालकर आते हैं, कभी कुछ डालकर आते हैं, इनको दर्द उसका नहीं हो रहा है, इनको दर्द धर्मान्तरण का हो रहा है और ये उस दर्द से ऊबर नहीं पा रहे हैं, ये उससे ऊबर नहीं पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप जिस तरह से मर्यादा से, जिस संस्कार से और हमारी विधान सभा चल रही है उस हिसाब से आप चलाते रहिये, इन लोगों का कुछ नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस तरह का नाटक करते हैं, ये सामना करने वाले लोग नहीं हैं। अगर विपक्ष में हैं तो मेरे साथियों से पूछो, जब बादल होता है तो उनके सीने में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है क्योंकि उन्होंने विपक्ष में रहकर लाठियां झेली हैं। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं तब वो यहां आकर बैठे हैं, वो जनता के बीच जुड़कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गये हैं, जनता के बीच में पूरा काम किया है और जनता के काम को करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

विधेयक पर विचार

प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अब सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं कि आज आपने यह हालत कर दी कि विपक्ष को आज भागना पडा। कभी ये बुर्के पहनकर आ रहे हैं और कभी ये टोपियां पहनकर आ रहे हैं, भगवान जाने कौनसी इवेंट कम्पनी को इन्होंने बुक किया है, वो इवेंट कम्पनी रोज नई-नई चीज बता रही है इनको। कल को इनको, छोड़ो, वो मैं नहीं कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बिल पर पहले भी चर्चा हुई है और प्रवर समिति में हमने इसको भेजा। राजस्थान में जल की बहुत कमी है, यह सबकी जानकारी में है। जल की बढ़ती हुई मांग के साथ मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन है, भूजल स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। इस बिल के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास माननीय मंत्रीजी ने किया उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में चाहे, कृषि हो, औद्योगिक हो, घरेलू हो, वाणिज्यिक इत्यादि के मध्य जल की प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगी मांगे हैं, लेकिन अत्यधिक और अनावश्यक भूजल दोहन से भूमिगत जल की स्थिति भी संकटपूर्ण बन गयी है। प्रदेश में जल संकट से पूरा सदन भली-भांति परिचित भी है और चिंतित भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कई चीजें रखी गयी है, कहने को तो बहुत चीजें हैं लेकिन मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति द्वारा जो कुछ विशेष संशोधन इसमें किये गये हैं, प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद हेतु शासन सचिव के साथ ही मुख्य अभियंता भूजल विभाग को ही मान्यता दी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि हिन्दुस्तान के कई राज्यों में इस तरह के प्राधिकरण जहां बने हैं वहां पर उस डिपार्टमेंट के मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है, अगर इसको आप संशोधन करके बनायेंगे तो वो जनता की भावना को हर चीज को समझते भी हैं और ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इसमें क्योंकि पिछली बार जो बिल आया था उस बिल में विधायक शामिल नहीं थे सदस्य के रूप में आपने इसमें इस बार दो विधायक रखे हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दो जगह क्योंकि राजस्थान साढ़े आठ करोड़ की आबादी वाला क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है किसारे जिलों में तो नहीं हो सकता लेकिन हर डिविजन से एक विधायक उसमें मेम्बर होना चाहिए, हर डिविजन से, हर डिविजन से होगा तो आपको भी काफी चीजें, उस डिविजन की समस्याओं को सुनने में और सरकार उसमें क्या

कर सकती है वो आपके सामने जानकारी आयेगी। ...(व्यवधान)... हां, अलग-अलग है विभाग की परिस्थितियां। प्राधिकरण में भूजल दोहन की अनुज्ञा से किसी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने इसको कृषि से मुक्त रखा है। कृषि में ट्यूबवैल लगाना हो, कुछ भी करना हो तो उसमें एक बार सब तालियां बजाकर इनको धन्यवाद दो कि किसानों के लिए आपने निश्चित रूप से इसमें चिंता की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, उसमें जितने एम.ओ.यू. हुए, पहले बड़ी इण्डस्ट्रीज को, छोटी इण्डस्ट्रीज को एनओसी के लिए दिल्ली जाना पड़ता था।

MLS/RTM/10.09.2025/14:40/2g

अब इसमें प्रावधान है कि उन्हें यहीं से आप एनओसी दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारा राइजिंग राजस्थान का लक्ष्य पूरा होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता और हो भी रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाली एक-दो चीजें और कहूंगा। हमारा चित्तौड़गढ़ जिला है, उसी तरह राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जिनको कई वर्षों से डार्क जोन में डाल रखा है। मंत्री महोदय, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में ट्यूबवैल्स लगाने की छूट दे रहे हैं, लेकिन जिनजिलों में डार्क जोंस हैं, उनमें ट्यूबवैल्स लगाने के लिए परमिशन नहीं है तो यह दोहरी चीज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पानी की अब कमी नहीं है राजस्थान में, हमारे जिले में भी पानी की कमी नहीं है, राजस्थान के कई जिले अभी डार्क जोन में हैं, उन्हें डार्क जोन से मुक्त करें ताकि किसान वहां ट्यूबवैल्स लगाकर खेती कर सकें। अगर वे डार्क जोन से मुक्त होंगे तो निश्चित रूप से पीने का पानी भी मिलेगा और खेती का पानी भी मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात इस बिल में नहीं है, लेकिन जल जीवन मिशन और अन्य स्कीम्स जो आपके डिपार्टमेंट से चल रही हैं, मेरा इसमें निवेदन है कि जो अवैध कनेक्शंस हैं, हमने देखा जहां पानी पहुंचना चाहिये, वह समय पर नहीं पहुंच पाता और रास्ते में उसके पहले ही तोड़कर पानी, जिस तरह आपने बिजली विभाग में कर रखा है कि कोई भी अवैध कनेक्शन लेता है तो उसके खिलाफ वीसीआर भरी जाती है, उसी तरह इस पर कानून में कोई संशोधन होना चाहिये कि जिन हजारों-लाखों लोगों तक पानी पहुंचना चाहिये, वह पानी पहुंचने के पहले ही उसमे खड्डे करके इंडस्ट्री वाले, छोटे-मोटे और लोग जो चोरी करते हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिये। मैं इतनी बात कहकर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इनका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री यूनुस खान। (अनुपस्थित)

श्री हरिमोहन शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू-जल

(संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका आभार, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखूं, उससे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि पिछली विधान सभा में मैं भी था और जिस तरीके से हमें बोलने नहीं दिया जाता था, परन्तु जिस उदारता के साथ आप विधान सभा का संचालन कर रहे हैं, सभी को पर्याप्त अवसर दे रहे हैं, उसके बाद भी जो विपक्ष की भूमिका है और ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर, कल धर्मान्तरण जैसा महत्त्वपूर्ण विषय था, परन्तु चूंकि इनकी भूमिका सदैव से धर्मान्तरण को लेकर जो रही है, कल भी इन्होंने वही किया।

आज भी भू-जल संरक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि पूरे 5 साल, 2018 से 2023 की सरकार में इन्होंने कोई कार्य इस ओर नहीं किया, इसलिए आज भी वे कुछ कहने में अक्षम थे और इसीलिए पूरा ड्रामा, नाटकबाजी..., इसीलिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जिस उदारता के साथ, जिस सहजता के साथ विधान सभा का संचालन कर रहे हैं, उसके लिए हम सब विधायक आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार जो यह राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक लेकर आयी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और मुझे विश्वास है कि इस राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक से मरुधरा में भी जल की समस्या का निराकरण होगा एवं यह विधेयक प्रभावी सिद्ध होगा।

आज क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पूरे देश में सबसे बड़ा भू-भाग है, परन्तु कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत और भू-जल का 1.70 प्रतिशत ही हमें मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा मरु प्रदेश सदियों से पानी की किल्लत सहता रहा है और पिछली सरकार में 2013 से 2018 के मध्य 2016 में भाजपा शासन में जल संरक्षण की दूरगामी सोच के साथ जल स्वावलम्बन योजना बनायी गयी। माननीय अध्यक्ष जी, उस योजना का इतना लाभ मिला कि हमारा जो सतही भू-जल स्तर था, वह लगभग 1.30 मीटर बढ़ गया था। वर्षों से सूखे कुएं, हैंडपम्प, जल स्रोत, इन सब पर कार्य किया गया था। योजना के प्रथम चरण में 1192 करोड़ की लागत से 94 हजार जलाशयों का निर्माण कराया गया, जिससे पूरे प्रदेश के सूखाग्रस्त 3529 गांवों को जल के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाया जा सका, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, आज भी जिस तरीके से इन्होंने नाटक किया, ड्रामा किया, इनको क्या भविष्य में मंडराते इस खतरे की चिन्ता नहीं है, आने वाली पीढ़ी की चिन्ता नहीं है?

क्या आज इतने महत्त्वपूर्ण विषय पर भी ये चर्चा नहीं कर सकते? इनका कोई लेना-देना नहीं है। पिछली बार जब ये सत्ता में आये तो इन्होंने इन जीवनदायी योजनाओं को ठण्डे बस्ते में डाल दिया और नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2022 तक राजस्थान के 70 फीसदी ब्लॉक डार्क जोन में चले गये थे। इन्होंने सिर्फ योजना ही बन्द नहीं की, बल्कि भू-जल दोहन पर नियंत्रण के लिए ट्यूबवैल पर जिला कलक्टर की स्वीकृति की अनिवार्यता भी खत्म कर दी। उसका हाल यह हुआ कि जिसने जहां मर्जी हो, वहां 5 साल तक अन्धाधुन्ध दोहन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का, जो राम

सेतु योजना है, क्योंकि सबसे अधिक जल दोहन किया जाता है सिंचाई के माध्यम से, लगभग 85 प्रतिशत जल दोहन होता है सिंचाई के लिए, लेकिन राम जल सेतु परियोजना से ईआरसीपी की योजना के उपरान्त सिंचाई अब इस नहर के माध्यम से होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना पहले भी बन सकती थी, लेकिन कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। यह योजना बनी। हमारी सरकार में 2008 में इसकी नींव रखी गयी। अब माननीय मुख्य मंत्री जी के भागीरथ प्रयासों से यह सपना पूरा हो सकेगा और भू-जल को रीचार्ज करने में अहम भूमिका मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक-दो संशोधन बताना चाहता हूं। प्राधिकरण की स्थापना और निगमन के नियम 3 में प्राधिकरण में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका 20 वर्ष से इस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो अथवा राज्य व केन्द्र सरकार से अवॉर्डी हों, को भी इसमें सदस्य बनाया जाना चाहिये। अध्यक्ष और पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को हटाये जाने में ऐसे व्यक्ति को हटाये जाने का प्रावधान भी होना चाहिये, जिसने सरकारी व गैर सरकारी विभाग में वित्तीय गबन किया हो या उस पर आक्षेप लगा हो या वित्तीय संस्था जैसे बैंक से ऋण चुकता नहीं किया हो।

सैक्शन 17(2) में जांच अधिकारी को यह शक्ति भी प्रदान की जाये कि वह मौके का निरीक्षण कर सकेगा और रिपोर्ट ले सकेगा। अप्राधिकृत कार्यों की सूची में भू-जल के स्रोतों में हेर-फेर, तोड़-फोड़ कर भू-जल के भराव को कम करके निजी कार्य के लिए उपयोग करता हो, को भी इसमें जोड़े जाने की आवश्यकता है। पश्चातवर्ती अपराध में सरकारी संस्थाओं से वित्तीय लाभ भी नहीं ले सकेगा, को भी दण्ड के रूप में जोड़ा जाये। सैक्शन 24 में इस निधि के उपयोग में जोड़ा जाये कि कोई सामाजिक संस्था या सामाजिक कार्यकर्ता जनहित में भू-जल संग्रह करता हो या करवाता हो, उसे वित्तीय अनुदान प्रदान करना है। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज हम इस राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा ही संवेदनशील और बड़ा ही क्रिटिकल इश्यू है। न केवल राजस्थान, पूरे देश और पूरे विश्व में एक वॉटर क्राइसिस की स्थिति है। मैं इस सन्दर्भ में उल्लेख करना चाहूंगा, सीएजी ने वॉटर मैनेजमेंट पर 2017 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट की अगर स्टडी करें तो बड़ी अलार्मिंग पोजिशन है। नॉदर्न स्टेट्स की सबसे ज्यादा हालत खराब है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान हैं, ये 5 स्टेट्स तो ऐसे हैं जो पूरी तरह डार्क जोंस हैं और जहां पानी का करीब-करीब ओवर एक्स्प्लॉइटेशन हो रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह जरूरी भी था कि यह बिल आये।

सदन में पिछली बार बिल आया था। दो बार प्रवर समिति को सौंपा गया। मैं मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगा, कम से कम प्रवर समिति के पास जाने से 2 संशोधन तो आपने किये। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और कमेटी के मैम्बर्स को भी धन्यवाद देना

चाहूंगा, लेकिन फिर भी जैसा कि मुझ से पूर्व कृपलानी जी ने भी कहा, मैं भी इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगर आप वॉटर की स्टडी करें तो आप देखेंगे, स्टेट्स का बता रहा हूं मैं आपको, अगर पांचों जो फैक्टर्स होते हैं, जो कंटेनमेंट की बात करते हैं, चाहे फ्लोराइड हो, चाहे आयरन हो, नाइट्रेट हो, ऐसे चार-पांच तरह के फैक्टर्स हैं, जो पानी को पीने योग्य नहीं छोड़ते, उसमें करीब-करीब 15 से लेकर 25 स्टेट्स हैं।

Mkd/Rtm/10.09.2025/14-50/2h

डिफरेंट पैरामीटर्स पर जायेंगे तो किसी की वजह से 250 जिले, कभी 300 जिले किसी न किसी चीज से प्रभावित हैं।

राजस्थान के भी डिफरेंट जोंस हैं और आपने इस एक्ट में प्रोविजन किया है कि - ""ground water" means water occurring under its natural state, where it exists below the surface in the zone of saturation...", आप केवल बात कर रहे हैं सेचुरेशन की। आप केवल सेचुरेशन की बात कर रहे हैं, जहां वाटर का सेचुरेशन हो गया है, वहीं यह एक्ट लागू हो गया। यही इसमें मैंशन है।

मैं समझता हूं, इसको भी देखने की जरूरत है। जहां सेचुरेशन है, इसे दूसरे शब्दों में डार्क जोन मान लें। वहां तो यह बात कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरे जोंस हैं, मान लो पानी की बहुतायत भी है तो वहां यह एक्ट लागू होगा या नहीं होगा, पहली चीज तो यह थी।

दूसरी चीज, मैं बात करना चाहूंगा कि आपने इसमें मैम्बर्स की बात कही थी। पिछली बार भी मैंने यह क्वश्चन किया था कि मंत्री क्यों नहीं हो सकता प्राधिकरण का चेयरमैन। इसका जवाब अभी तक तो मुझे और दूसरे सदस्यों को भी कई बॉडीज के लिए नहीं मिला। चाहे सत्ता पक्ष में हम थे और आज आप हैं। उस पैटर्न से मैं कह रहा हूं, क्या कारण है कि मंत्री को चेयरपर्सन बनाने में हिचक क्यों होती है, यह समझ में नहीं आता है। जबकि, दूसरे स्टेट के मैंने आपको एक्ट भी प्रस्तुत किये थे, जहां प्राधिकरण का चेयरपर्सन मंत्री होता है।

(समयः)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

दूसरा, एक धन्यवाद है आपको, आपने दो एमएलए रखे हैं, अच्छी बात है। एक विधायिका का रिप्रेजेंटेशन हुआ। कम से कम जनता की बात तो पहुंचेंगी, जनता की जो समस्याएं हैं, वे ध्यान में आयेंगी। लेकिन, इसके साथ-साथ बिलकुल सही कहा, क्योंकि आप वाटर मैनेजमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल का वाटर मैनेजमेंट कंवर्जेशन प्लान बनेगा, उस पर बात तो करें। कम से कम डिफरेंट जोन की स्टडी करवायेंगे, सर्वे करवायेंगे और सर्वे के आधार पर डिफरेंट वाटर मैनेजमेंट का प्लान बनेगा तो उसी को ठीक करने के लिए जैसा कि सम्भागीय हैडक्वार्टर्स की बात कही कि सम्भागीय हैडक्वार्टर्स के हिसाब से एक-एक लेजिस्लेटिव का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो अपनी बात को पहुंचा सके, रख सके। आप अगर देखेंगे, मैंने जितने भी प्राधिकरण अब तक देखे हैं, इस

सदन में आये हैं, चाहे पूर्व में भी आये, अभी भी आये, ये 18-19 लोगों की लिस्ट जिसमें से 15-16 परमानेंट होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यह पहली बार है कि आपने किसी प्राधिकरण में दो एमएलए रखे हैं।

अब इसमें आपने एक प्रोविजन किया है, इसी के आगे अगर आप चलेंगे, चैयरमेन का टिन्योर जो होगा, वह 65 ईयर्स और दो टर्म, जो भी जल्दी हो जाये। भाई, क्या कारण है। क्या आप हर चीज को, रिटायरमेंट के बाद किनकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या और एक्सपर्ट्स नहीं है आपके पास, एक टर्म बहुत होता है, उसमें कहा है मैक्जिमम टू टर्म दिये जा सकते है तो इसे भी सोचने की जरूरत है। इसमें ऐसा क्या है, इसका जब वाटर मैनेजमेंट प्लान बन जायेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, एक्सपर्ट्स की राय आ जायेगी और वह स्थाई होगा और भविष्य में जो भी दोहन होगा, उसके हिसाब से आप परिवर्तन कर सकते हैं तो कुछ नई एनर्जी आने दो प्राधिकरण में। सही कहा, कुछ ऐसे लोगों को भी उसमें दो एक्सपर्ट रखे हैं आपने, कुछ ऐसे जो एनजीओ चलाते हैं, अच्छा काम करते हैं, जो राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको अवार्ड मिल चुके हैं पानी के क्षेत्र में कंवर्जेशन के लिए, उनका भी अगर पार्टिसिपेशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यु है कि पहले आपका प्रोविजन था, पहली वाली प्रवर समिति की रिपोर्ट आई थी - "however no such permission shall be required for extraction of ground water for agricultural purpose.", अब आपने इसको रिप्लेस कर दिया है - " however no such permission shall be required for extraction of ground water for purposes or conditions as notified by the State Government in public interest.", आपका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन अगर इस एक्ट में ही प्रोविजन रहने देते कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इसकी जगह आप यह कर देते, 'however no such permission shall be required for extraction of ground water for agricultural purpose and also as notified by the State Government in public interest.' What is harm in it! क्योंकि अब क्या होगा, जो एग्जिक्यूटिव है, नीचे के लोग हैं, वो इसमें इतना दिक्कत करेंगे। आप निकालेंगे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन निकाल देंगे और इसी के कंटीन्युएशन में आपको कह रहा हूं, जनरली जितने भी प्राधिकरण के बिल आते हैं, उसमें यह होता है कि जो भी रूल्स बनाये जायेंगे, वो विधान सभा के पटल पर ले-डाउन किये जायेंगे और वे रूल्स का प्रारूप लेंगे।

इसमें आपने क्या कर दिया, "Power to make rules - The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.", नोटिफिकेशन द्वारा कई बार आप जानते हैं कि कितने नोटिफिकेशंस आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है, ना विधायका को मालूम पड़ पाता है और ना जनता को मालूम पड़ पाता है। लेकिन, यदि वे रूल्स विधान सभा के पटल पर आये और अगर कोई कमी है तो विधायक भी अपना-अपना इनपुट दे सकते हैं, उसमें आप काफी kind hearted हैं, उन संशोधनों को इंक्ल्यूड करें और राज के हित में क्या है, पब्लिक के हित में क्या है, उनको

लागू कर सकते हैं।

श्री सभापतिः विराजिए, साहब।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मेरा भी इसमें यही थाकि इसको भी देखा जाये। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि आपने इसमें टैरिफ की बात की है। इसमें मेरा आपसे एक आग्रह है कि एग्रीकल्चर पर्पज और डोमेस्टिक पर्पज, जो अभी कह रहे थे, माननीय सभापति महोदय खुद ही कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने, आप एमएलएज से ले लीजिये, सर। वो बाइंडिंग हटाने से करप्शन कम हुआ था, नहीं तो एक एप्लीकेशन कलक्टर के यहां पर लगाने के लिए एक-एक, दो-दो लाख की रिश्वत देनी पड़ती थी। वह बाइंडिंग, आप किसानों से इंटरव्यू करवा लीजिये, विधायकों से पूछ लीजिये।

मैं मानता हूं डार्क जोन है। पानी का दोहन बड़ा ही रेशनली करना चाहिए, लेकिन जहां हम पानी नहीं दे सकते, किसानों को पानी नहीं पहुंचा सकते, पीने का पानी नहीं दे सकते तो उस स्थिति में वे अपने निजी साधनों से पानी का दोहन करते हैं। आज भी ऐसी जनसंख्या है, जहां पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं एक बात यही कहना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें हैं, आपने अलार्म दे दिया है। फिर भी, मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके ये दो-तीन प्रोविजन और कर दीजिये। आपने बहुत अच्छा किया है और थोड़ी से प्रभावशीलता को दिखाते हुए इनको इनकार्पोरेट कर लें। जो रूल्स आपने बनाये इसमें, उसमें क्लीयर कट मैंशन कर दें। मैं चाहूंगा कि वह एक्ट के अनुसार वापस वे रूल्स विधायिका के पटल पर आये। जिससे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके।

दूसरा यह है कि इसमें एमएलएज की संख्या और बढा दीजिये और मंत्री को चेयरपर्सन बना दीजिये प्राधिकरण का तो अच्छा रहेगा, धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री रफीक खान। (अनुपस्थित)

डॉ. शिखा मील बराला। (अनुपस्थित)

श्री पितराम सिंह काला। (अनुपस्थित)

श्री डूंगरराम गेदर। (अनुपस्थित)

श्री हाकिम अली खां। (अनुपस्थित)

श्री मनोज कुमार, सुजानगढ़। (अनुपस्थित)

श्री घनश्याम। (अनुपस्थित)

श्री दीन दयाल। (अनुपस्थित)

श्री ललित यादव। (अनुपस्थित)

श्री अभिमन्यु। (अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (अनुपस्थित)

श्री गणेश घोगरा। (अनुपस्थित)

श्री गुरवीर सिंह। (अनुपस्थित)

श्री पूसाराम गोदारा। (अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री, उत्तर देंगे। विराजिये, बैठिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज महत्वपूर्ण विधेयक, जो राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण था। इस विषय पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के सदस्य, जहां राजस्थान की जनता के लिए, पानी जैसे विषय के लिए, वे भगकर चले गये। इस पर चर्चा करते, उनके सुझाव आते तो राजस्थान की जनता के लिए और कुछ नया करने का मौका मिलता।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन का मूल आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर जितने भी जीव-जन्तु, पेड़-पौधे और मनुष्य सभी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है। मानव के शरीर में 70 प्रतिशत जल है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, वे नदी किनारे बसी हुई हैं, क्योंकि जल बहुत महत्वूपर्ण है। ये नदियां केवल पानी का स्रोत नहीं थीं, बल्कि जीवन, व्यापार, कृषि और संस्कृति की धारा थी।

Bhs/Rtm/10.09.25/15.00/2j

केवल भौतिक विकास ही नहीं जल ने धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना भी जगायी है। गंगा, यमुना, नील और टाइग्रिस जैसी नदियों को देवताओं के रूप में पूजा गया है। जल शुद्धता, पवित्रता और जीवन का प्रतीक बन गया है। जल है तो जीवन है, यह कोई साधारण वाक्य नहीं है बल्कि एक गम्भीर सच्चाई है। यदि हमने आज भू-जल का संरक्षण, संवर्धन व उचित प्रबन्धन समय रहते नहीं किया तो आने वाली पीढियां भू-जल के बिना परेशान होगी। अतः हम सबका नैतिक दायित्व भी है और कर्तव्य भी है कि भू-जल को बचायें और इसका महत्व समझें।

राजस्थान की धरा सदियों से जल संकट से जूझती आयी है। अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा जल का संकट है तो वह राजस्थान में है। यहां का आकाश अकसर तपी से भरा रहता है। सबसे ज्यादा टैम्प्रेचर राजस्थान में रहता है और बरसात भी तुलनात्मक रूप से राजस्थान में सबसे कम होती है। 'जलस्य संरक्षणम्, जीवनस्य संरक्षणम्' अर्थात् जल का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। हमारे पूर्वजों द्वारा जल संरक्षण हेतु लगभग प्रत्येक गांव में तालाब, जोहड़, कुएं, टांके, बावड़ी का निर्माण किया जाता था जो कि मानव जाति के लिए एक जीवनरेखा थी और विशेषकर अगर हम मारवाड़ की बात करें तो पीने के पानी से लेकर नहाने, कपड़े धोने सारे काम टांकों के द्वारा बरसात को संरक्षित करके उसके बाद में किया

जाता था।

राजस्थान में जल संरक्षण केवल पर्यावरण आवश्यकता नहीं बल्कि जीवित रहने का आधार है। परम्परागत जल संरचनाओं का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचय, बूंद-बूंद पानी की बचत और जागरूकता इस समस्या का स्थायी समाधान है। इसके लिए इस बार भी हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री ने वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया और उस अभियान में गंगा जी की कृपा से आशीर्वाद से इस बार पिछले दो वर्षों से अच्छी बारिश भी हो रही है।

राज्य में भू-जल परिदृश्य आज मैं आपके सामने रखूंगा। राजस्थान राज्य भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन देश की तुलना में लगभग 5.67 प्रतिशत जनसंख्या, 13.88 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि एवं 11 प्रतिशत पशुधन है। देश की तुलना में केवल राजस्थान में 1.16 प्रतिशत सतही जल एवं 1.7 प्रतिशत भू-जल संसाधन उपलब्ध हैं। राज्य में वर्ष भर बहने वाली मात्र चम्बल एवं माही नदी है। राज्य में सतही जल की कमी, तापमान की अधिकता, वर्षा में असमानता, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा उच्च वाष्पीकरण दर के कारण विषम परिस्थितियां देखने को मिलती हैं।

देश में भू-जल दर 60.67 प्रतिशत तथा मात्र 11 प्रतिशत क्षेत्र ही अति दोहित श्रेणी में आता है, जबकि राज्य की भू-जल दोहन दर 149.86 प्रतिशत है। पूरे देश में अगर एवरेज 11 है तो यहां पर लगभग 150 प्रतिशत भू-जल दोहन है। अर्थात राज्य का लगभग 72 प्रतिशत भाग भू-जल की दृष्टि से अति दोहित है जिससे भू-जल की गम्भीरता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। भू-जल विनियम हेतु वर्तमान में केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.9.2020 एवं 29.9.2023 जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य में भू-जल का नियंत्रण एवं प्रबन्धन किया जा रहा है। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.2.1996, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विभिन्न निर्णय तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत ही भूमि जल प्रबन्धन और विकास से विनियमन और नियंत्रण हेतु उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई है।

केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा देश के 19 राज्यों, संघीय प्रदेशों में भू-जल निकासी को विनियमित किया जा रहा है। जिस प्रकार मैंने भू-जल के उपयोग हेतु प्राथमिकताओं का उल्लेख किया तथा माननीय सदस्यों ने भी चिन्ता प्रकट की है, इसी दृष्टि से केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा कतिपय निम्न श्रेणी को भू-जल निकासी के लिए एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए छूट प्रदान की गई है। कई माननीय सदस्यों ने पिछली बार जब बिल पेश किया था तब आपत्ति की थी कि इनमें हमारे कृषि से लेकर क्या-क्या चीजें हैं, इसमें छूट दी गई हैं।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यक्ति, घरेलू उपभोक्ता, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठान और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कृषि कार्यकलाप, 10 सीयूएम प्रतिदिन में कम भू-जल का दोहन करने वाले माइक्रो और स्माल उद्योग सभी आकलन इकाइयों में केवल पीने, घरेलू प्रयोजनों के लिए 5 घन मीटर प्रतिदिन

तक भू-जल की निकासी करने वाले सभी उद्योग, खनन परियोजनाएं, अवसंरचना परियोजनाएं, आवासीय अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी इन सबको छूट दी गई है इस बिल में।

प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2025 को राज्य में भू-जल प्रबन्धन और विकास के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु केन्द्रीय भू-जल प्राधिरकण की शर्तों के अनुरूप अधिसूचना जारी की गई तथा उपरोक्तानुसार ही भू-जल निकासी के लिए एन.ओ.सी. प्राप्त करने की छूट का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में यद्यपि देश के 19 राज्यों, संघीय प्रदेशों तथा राजस्थान प्रदेश में भू-जल निकासी को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जा रहा है परन्तु प्रत्येक प्रदेश की भौगोलिक एवं भूगर्भीय परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं। अत: प्राधिकरण के गठन की राज्यों को आवश्यकता है।

मैं माननीय सदस्यों को पुन: याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जल को संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय राज्य सूची के बिन्दु संख्या 17 पर रखा गया है। मैं पुन: संविधान के इस अंश को सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, सूची ए की प्रविष्टि 56 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल अर्थात जल प्रदाय सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबन्ध, जल भण्डारण और जल शक्ति इसी भावना से हमारे द्वारा आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प 2023 के बिन्दु संख्या 9.16.1 में भू-जल संरक्षण एवं प्रबन्ध प्राधिकरण स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। इस संकल्प पत्र को राज्य केबिनेट द्वारा दिनांक 18.1.2024 को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार किया गया। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबन्ध) प्राधिकरण के गठन हेतु बिल लाया गया है। जहां पर आवश्यक है वहां पर छूट देने का प्रावधान किया गया है जो एग्रीकल्चर और पेयजल जैसे विषयों पर और जहां पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है वहां कड़े प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

भू-जल स्तर की रोकथाम, भू-जल के पुनर्भरण, जल के उचित उपयोग एवं जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबन्धन हेतु राज्य स्पेसिफिक ऑथोरिटी का गठन अति महत्वपूर्ण हो गया है। राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबन्ध) प्राधिकरण विधेयक का उद्देश्य प्राधिकरण के माध्यम से राज्य के भू-जल संसाधनों का उचित न्यायसंगत तथा सतत उपयोग और प्रबन्धन विनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना, विनियमन के द्वारा भू-जल दोहन तथा उनसे सम्बन्धित विषयों पर भू-जल दोहन दर का निर्धारण किया जायेगा।

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबन्ध) प्राधिकरण विधेयक का संक्षिप्त विवरण जो प्रवर समिति के अन्दर माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार इसमें जो-जो संशोधन किये गये। दिनांक 1 अगस्त, 2024 को माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा में की गई चर्चा एवं व्यक्त की गई चिन्ताओं के उपरान्त बिल को प्रवर समिति के समक्ष भेजने का निर्णय लिया गया। प्रवर समिति द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश कर बिल को दिनांक 19.3.2025 को पुन: विधान सभा में चर्चा के लिए रखा गया परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों एवं चिन्ताओं के मद्देनजर बिल को पुन: प्रवर समिति के समक्ष भेजने का निर्णय लिया गया।

प्रवर समिति द्वारा पुनः चर्चा कर आवश्यक संशोधन पश्चात बिल माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं पारण हेतु प्रस्तुत है।

इस महत्वपूर्ण बिल पर जिन माननीय सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किये गये एवं बहुमूल्य सुझाव दिये गये उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। दिनांक 1.8.2024, 19.3.2025 व आज सदन में हुई चर्चा तथा प्रवर समिति की विभिन्न बैठकों में जिन माननीय सदस्यों द्वारा सारगर्भित चर्चा की गई उनमें अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय विधायक नेता, प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, बेगूं से आने वाले विधायक डॉ. सुरेश धाकड़, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक श्री रोहित बोहरा, सादुलपुर से आने वाले माननीय विधायक श्री मनोज कुमार, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय विधायक श्री संदीप शर्मा, नाथद्वारा से आने वाले विधायक श्री विश्वराज सिंह मेवाड़, आदर्श नगर जयपुर से आने वाले माननीय विधायक श्री रफीक खान, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय विधायक श्री डूंगरराम गेदर, भोपालगढ़ से आने वाली माननीय विधायक श्रीमती गीता बरबड़, भीनमाल से आने वाले माननीय विधायक श्री समरजीत सिंह, राजसमन्द से आने वाली माननीय विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, बून्दी से आने वाले माननीय विधायक श्री हरिमोहन शर्मा, तारानगर से आने वाले माननीय विधायक श्री नरेन्द्र बुडानियां, अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय विधायक श्रीमती अनिता भदेल, बगरू से आने वाले माननीय विधायक श्री कैलाश जी, सीकर से आने वाले माननीय विधायक श्री राजेन्द्र पारीक, बाड़मेर से आने वाली माननीय विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, माननीय विधायक छोटूसिंह जी भाटी, शाहपुरा से आने वाले माननीय विधायक श्री मनीष यादव...

Kas/rtm/10.09.2025/15.10/2k

विधायक हरलाल जी सहारण एवं माननीय सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित चर्चा की गई। इसके लिये मैं पुनः सभी को धन्यवाद देता हूं एवं उनके द्वारा उठाये गये कुछ बिन्दुओं से माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल की परिस्थिति को देखते हुए जिला भू-जल संरक्षण एवं प्रबन्ध परियोजनाएं तैयार की जायेंगी। इन योजनाओं में स्थान विशेष के लिये भू-संरक्षण एवं संवर्धन पर निर्णय लिये जायेंगे, जैसा कि पूर्व में मैंने उल्लेख किया कि जनहित से जुड़े हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे पेयजल, सिंचाई आदि के लिये विधेयक की धारा 14 के अंतर्गत पूर्ण छूट दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, प्रदेश के विकास को गति देने तथा युवाओं के रोजगार में सहायक एम.एस.एम.ई. सेक्टर हेतु आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे। उक्त अधिनियम से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही संपादित करने के लिये प्राधिकरण तथा साथ ही भू-जल विभाग क्षमता के विकास के लिये आवश्यक कदम उठाते हुए प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित है। जहां प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये तकनीकी दक्षता चयन की पात्रता उल्लिखित कर दी गई है, दूसरी ओर आमजन के हितों को प्राथमिकता मिल सके, यह

सुनिश्चित करने के लिये माननीय सदस्यों में से दो सदस्यों का प्राधिकरण के सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया है।

हमारे द्वारा इस बिल को निर्मित करते समय जहां एक ओर माननीय उच्चतम न्यायालय, केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका एवं अन्य राज्यों में लागू सर्वोत्तम प्रथाओं को आधार बनाया गया है, वहीं विधान सभा तथा प्रवर समिति के माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों का भी समावेश किया गया है। जिस प्रकार पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर सभी दलों एवं माननीय निर्दलीय सदस्यों द्वारा सारगर्भित चर्चा के दौरान जो सुझाव इस महत्वपूर्ण विषय पर प्राप्त हुए एवं प्रवर समिति की बैठकों में दिये महत्वपूर्ण सुझावों को समाहित करने के उपरांत संशोधित प्रारूप विधेयक जनहित एवं माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में भू-जल को सुनिश्चित करने एवं आमजन को राहत देने एवं प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर किया जाना संभव हो पायेगा।

अभी इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य रविन्द्र जी भाटी, श्रीचन्द जी, संदीप जी और सुभाष जी, सबने इस पर चर्चा की। सबकी एक ही मंशा थी कि संभाग स्तर पर इसमें कम से कम हमारे विधायक और बढ़ाये जायें। ....(व्यवधान).... इस बिल में संभाग स्तर पर और कोई जोड़ सकते हैं, क्योंकि विधेयक तो आज ही पारित करना है। ....(व्यवधान)....

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए प्लीज।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): ऐसा करना साहब, बजट सत्र में संशोधन ले आना। पारित तो करवा लीजिए, बजट सत्र में संशोधन ले आना।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इतना जरूर है कि यहां पर जो भी रूल बनेंगे, वह आपके बीच में रखेंगे। ....(व्यवधान).... अतः इसी भावना के साथ इस विधेयक को पारित करने हेतु मैं अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पुनः प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को पुनः प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और

प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 33 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित खण्ड 2 से 33 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित खण्ड 2 से 33 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री कन्हैयालाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 को पारित किया जाये।

श्री सभापतिः श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 का मैं समर्थन करता हूं। इसमें प्रवर समिति में आपने किया है कि आम आदमी, आम किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी, आम जनता को दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चित्तौड़गढ जिला पहले ही आपने डार्क जोन में ले रखा है। वहां किसानों को जल दोहन में कोई दिक्कत नहीं आये या कोई अपने खेत में या घर पर करवाये, उसे दिक्कत नहीं आये, इसका आप विशेष ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक छोटी सी बात माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में पानी अच्छा है, पानी बहुत अच्छा बरसता है, वहां बांध भी भर गये हैं, पानी ज्यादा गहराई में नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले के सभी एम.एल.ए., मंत्रियों एवं सभी जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से मांग है कि चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन में है, हमारे वहां औद्योगिक क्षेत्र भी है और काफी और उद्योग भी लगना चाहते हैं, पर डार्क जोन की वजह से दिक्कत हो रही है। माननीय श्रीचन्द कृपलानी साहब ने भी बताया, सभी एम.एल.ए. बता रहे हैं, इसको डार्क जोन से कैसे निकाला जा सकता है, उसे निकालें। इसमें चेयर पर्सन मंत्री बने, इसका विशेष ध्यान रखते हुए, माननीय संसदीय कार्य

मंत्री जी भी बैठे हैं, आप मुख्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके संशोधन करवा लें और इसका चेयर पर्सन मंत्री को रखें और हर संभाग से 3-3, 4-4 एम.एल.ए. उसके सदस्य हो, इसका भी आप ध्यान रखें और आम किसान एवं आम जनता को इस सम्बन्ध में कोई दिक्कत नहीं आये, इसका विशेष ध्यान रखें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल गर्ग।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 के समर्थन में मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा और हमारे मंत्री महोदय कन्हैयालाल जी को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान की विकट परिस्थितियों में भी, जो पानी के लिये हमेशा दुःखी रहती है, चाहे पेयजल हो, चाहे सतही जल हो, सबके लिये उनको परेशानियां रहती हैं। अब यह इन्होंने जो बिल रखा है, इसमें मेरी जो शंका थी, वह काफी मंत्री महोदय ने अभी बता दी।

Msk/rtm/10.09.25/1520/2l

कुछ चन्द्रभान सिंह जी आक्या ने भी इसके पहले बता दी। मेरी जो शंका है, हैंडपम्प हालांकि ट्यूबवैल की श्रेणी में तो नहीं आते हैं, लेकिन जहां भी सौ-डेढ़ सौ फीट पर सतही जल की वजह से ग्रेनाइट के ऊपर पानी ठहरता है तो उसको पीने के लिए या घरेलू उपयोग के लिए काम में लेते हैं तो उसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कृषि के लिए ट्यूबवैल मांगते हैं तो उनके लिए हमारे सुभाष जी गर्ग साहब ने बात रखी थी कि किसान लोग जब उसकी अनुमति लेने के लिए जायेंगे तो उनके साथ बड़ा छलावा हो जाएगा। मैं तो यह चाहूंगा कि उनकी जमाबन्दी के आधार पर उनको अनुमति मिल जाये। नीचे लेवल पर मिल जाये, क्योंकि ऊपर किसान पहुंच ही नहीं पाता है, जिला कलेक्टर लेवल पर। उसकी अनुमति को तहसीलदार लेवल तक रखें। इसके अलावा एक और है, जब वॉटर हार्वेस्टिंग किया जाता है तो नीचे 400-500 केवीटी आती है, वहां तक उसको बोरवैल करेंगे। वहां पानी तो नहीं है, लेकिन उसको बोरवैल करेंगे, उसके लिए अनुमति चाहिए, रिचार्ज करने के लिए। जहां पर पास में कोई तालाब है और उसका गन्दा पानी जा रहा है तो उसको वॉटर हार्वेस्टिंग के परपज से या रिसाइकिल के लिए उसको रिचार्ज करेंगे तो क्या उसके लिए भी अनुमति चाहिए? ये जो शंकाएं हैं, आप जब बिल के रूल बनायेंगे तब निश्चित रूप से ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो बिल बनाया है, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। इसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं।

श्री सभापतिः श्री अशोक कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): आभार। सभापति महोदय, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 संशोधन पश्चात आज पुनः सदन के पटल पर रखा गया। सभापति महोदय, हमारा प्रदेश जो कि एक जल संकट वाला प्रदेश माना जाता

है। जहां पर 2023 के एक आकलन अनुसार 216 ब्लॉक अतिदोहन श्रेणी में आ चुके हैं। बढ़ती जनसंख्या, कृषि उद्योग और घरेलू जरूरत के कारण भू-जल का स्तर तेजी से गिर रहा है। उस हेतु यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। विगत दो वर्षों में प्रदेश पर प्रभु की पूरी कृपा रही है कि पिछले दो वर्षों में भू-जल का स्तर बढ़ा है। अन्यथा हमारे प्रदेश को हमेशा भू-जल के अत्यधिक दोहन और भू-जल के गिरने की समस्या से जूझना पड़ता है। सरकार द्वारा विधेयक का अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, पर अभी भी कुछ सुझाव हैं, जो कि विधेयक को और अधिक सशक्त बनायेंगे। विधेयक में कहीं भी जल पुनर्भरण और रिचार्ज पर बात नहीं की गयी। उद्योग और बड़े उपयोगकर्ता को अनिवार्य रूप से वर्षा जल का संचयन और पुनर्भरण करना चाहिए। जिससे जितने पानी का उपयोग करे, उतने ही पानी का संचय करे। हो सके तो वाटर-प्लस कैटेगरी का भी निर्धारण किया जाये। शहर में उद्योगों को अनिवार्य रूप से एसटीपी से प्राप्त से पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर किसी शहर, निकाय के पास एसटीपी प्लांट लगा हुआ है तो वहां के उद्योगों को उसी ट्रीटेड जल का उपयोग करना चाहिए, जिससे जल संचय के साथ-साथ पानी के विक्रय से सम्बन्धित आमद निकाय को भी प्राप्त होगी। वर्तमान विधेयक में भू-जल को पब्लिक ट्रस्ट के तौर पर मान्यता देकर ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर और नगर निगम तक के नागरिकों को सीधे भागीदारी का अधिकार देना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और पारदर्शिता आयेगी। टैरिफ दरें अलग-अलग वर्गों के लिए तय हों, जिसमें घरेलू पीने का पानी न्यूनतम या सब्सिडी होती रहे और बड़े वाणिज्यिक उपयोग, टैंकर निकासी पर उच्च दर ब्लॉक स्थिति के अनुसार दरें निर्धारित हो सकें। डिजिटल निगरानी और जनरल मीटरिंग को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाये। सभी बोरवैल, नलकूप, ट्यूबवैल, पंप आदि का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो। साथ ही, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, जिससे अतिक्रमण और अनधिकृत दोहन पर सीधी नजर रखी जा सके। मीटर रीडिंग, सार्वजनिक पोर्टल पर अपडेट हो, क्योंकि वास्तविक कच्चे डेटा के बिना नीति नाकाफी है। सीजीडब्ल्यूबी गाइडलाइन भी एक्यूफायर लेवल आंकड़े मांगती है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट, भू-जल पुनर्भरण, निकासी आदि की समस्या अलग-अलग है। बिल में लोकेशन बेस्ड नीति का स्पष्ट ढांचा नहीं दिखता। एक ही राज्य में अलग-अलग ब्लॉकों की स्थिति अलग होती है। इस हेतु ब्लॉक वॉटर लेवल, स्टेट कैटेगरी लागू करे। उसी के अनुसार परमिट नीति बनायें। सभापति महोदय, समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री गुरवीर सिंह।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आज इस बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं राजस्थान सरकार का और सदन का धन्यवाद करता हूं। देश में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, आज राजस्थान ने पहल करते हुए हमारा बिल पास हुआ है। हमारा देश भारत पूरी दुनिया की 18 परसेंट आबादी वाला देश है, पर हमारे पास जो पानी के रिसोर्सेज हैं, वे मात्र 4 परसेंट हैं। 1947 में जहां हमारे पास 6042 क्यूबिक मीटर पर-कैपिटा

वॉटर था, जो 2021 में मात्र 1486 रह गया है। यह जो 75 परसेंट डिक्लाइन हुआ है, यह हमारे देश में सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। 2031 में सर्वे या जो हमारी उम्मदी है, पर-कैपिटा 1367 क्यूबिक मीटर रह जायेगी। राजस्थान में चिन्ता और भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास 780 क्यूबिक मीटर पर-कैपिटा पानी बचा है। आगे वाली जो रिपोर्टें हैं, मात्र 450 क्यूबिक मीटर पर-कैपिटा पानी रहने की उम्मीद है। इसके लिए देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी लगातार, जल शक्ति मंत्रालय बनाने के पीछे भी उद्देश्य यही था और जल शक्ति मंत्रालय ने भी इस पर जल मिशन अभियान लेते हुए, पूरे देश में जब यह फ्लोट किया, सर्कुलेट हुआ, एक मॉडल। उसी के तहत 21 राज्य इसमें पहले ही अपना बिल बना चुके हैं। आज राजस्थान में हमारा एक नया कानून बना, मैं इसके लिए सदन को बधाई देता हूं। जो चुनौती है, वह सेंटर ने ग्राउंड वॉटर में जो मास्टरप्लान बनाया है। केन्द्र सरकार ने तकरीबन 142 करोड़ नये वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभियान लिया है। इसके लिए पूरे देश में 185 बीसीएम का टारगेट तय किया गया है, ताकि हम दोहन से बाहर आ सकें। पूरे भारत में जो कुएं बनाये गये, राजस्थान में 66 परसेंट कुओं में पानी की गिरावट दर्ज की गयी। भारत से पहले अरूणाचल 80.95 परसेंट के साथ सबसे नीचे चल रहा था, आंध प्रदेश 77.92 के साथ दूसरे स्थान पर था और हमारा राजस्थान तीसरे स्थान पर चल रहा था।

मैं राजस्थान से जुड़ी बातें ही करूंगा, क्योंकि 2013 से 2024 में पूरे देश भर में पांच ऐसे स्टेट थे, जहां सबसे ज्यादा भू-जल दोहन हुआ है। बाकी के सभी चार राज्यों ने अपने पिछले डेटा से इम्प्रूव किया है, पर राजस्थान में हम निरन्तर डिक्रिजिंग लेवल पर थे, डिप्लीशन डे-बाई-डे बढ़ रहा था। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिन्ता की बात है। पूरे देश में आज 150 परसेंट के साथ देश में दूसरे स्थान पर हैं, जो सबसे ज्यादा भू-जल का उपयोग कर रहे हैं। अभी 21 राज्यों में तो यह प्रावधान बना है। वैसे अभी साथी बता रहे थे कि चित्तौड़गढ़ में रेडजोन कर दिया, परमिशन दे दीजिये। मेरा तो आपसे निवेदन है कि एग्रीकल्चर के लिए जो मर्जी परमिशन दीजिये, पर जहां इंडस्ट्रीयल यूज है, जब तक हम उनको कम्प्लसरी नहीं करेंगे, कोई चार्जेज या फंड जनरेट करने के लिए कोई सेस नहीं लगायेंगे, तब तक रेन-वॉटर हार्वेस्टिंग कागजों में बनकर रह जायेगी। जहां इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रमोट किया है, एटलीस्ट हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम ज्यादातर वर्षा जल पर हैं, आज भगवान ने सुनी है। जिस तरीके से राजस्थान में वर्षा हुई, बहुत सारे जिलों में वॉटर लेवल बहुत अच्छा रिचार्ज हुआ है। यह हमारे सारे राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है। हमारी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में माइक्रो इरिगेशन और वन-ड्रॉप-मोर-क्रोप की जो बात प्रधान मंत्री जी ने की, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो हमारे राजस्थान के किसानों को है। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं, जो कम पानी से उगाही जा सकती हैं। हम अगर सरसों की एमएसपी पर 100 परसेंट खरीद कर दें, क्योंकि सरसों में मात्र दो-तीन पानी से फसल तैयार हो जाती है, वहीं गेहूं में पांच से छह पानी चाहिए, पर सरकार को नीति निर्धारण करना पड़ेगा कि हमें

किस तरफ जाना है। अगर हमें फ्लड का पानी बचाना है, ड्रिप सिस्टम से पानी बचाना है, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन से हम 70 परसेंट तक पानी बचा सकते हैं। आपने इस बिल के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा बाहर रखा, इसके लिए किसान आपके धन्यवाद के पात्र हैं। जो फसलें कम पानी से होती हैं, अगर उनको एमएसपी के परव्यू में 100 परसेंट खरीद सुनिश्चित कर देंगे तो निश्चित तौर पर सिंचाई में भी पानी बचा सकेंगे। इसलिए डिग्गी अनुदान, ड्रिप सिस्टम को हमें बढ़ावा देना चाहिए। माननीय मेरा एक छोटा-सा निवेदन है कि हमारा कृषि प्रधान जिला है। वहां एथेनॉल, पूरे देश में जो फैक्ट्रीज लग रही हैं।

mdp/rtm/10.09.25/15:30/2m

पूरे देश में इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि हम इम्पोर्ट से बच सके और एथेनॉल का जो पेट्रोल और डीजल में जोड़ा जा रहा है, उसमें हम विरोध में नहीं हैं, निवेदन ये है कि जैसे हमारे हनुमानगढ़ में 1350 केएलपीडी की एथेनॉल की फैक्ट्री को परमिशन दे दी गयी। मेरा भी उनसे निजी तौर पर मिलना हुआ कि क्या वजह रही कि आपने हनुमानगढ़ को चुना, कि गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले ऐसे हैं जो अभी डार्क जोन में नहीं आये हैं। डार्क जोन में नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको डार्क जोन करके छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सारा एग्रीकल्चर नहरी सिस्टम से हो रहा है। 1350 केएलपीडी का मतलब है कि एक लीटर एथेनॉल तैयार करने के लिए आपको 4 लीटर पानी चाहिए। 1350 केएलपीडी के आप मानकर चलिए 54 लाख लीटर आप रोज ग्राउण्ड वाटर से निकालेंगे। ज्यादा दिन दूर नहीं बचेंगे, जो ऐसे जिले बच गये हैं, कौनसी इंडस्ट्री कहां लगेगी, उसको कितना पानी चाहिए, ये भी बोर्ड के परव्यू में आना चाहिए। मैं ये भी सदन से मांग करता हूं।

जो बेवरेजेज इंडस्ट्रीज हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक बने, चाहे बीयर बने, कुछ भी बने, तमाम इंडस्ट्रीज का जो ओवरऑल एवरेज है, वह उनका पर लीटर-पर प्रोडक्ट जो कंजम्पशन है, वह 2.38 लीटर है। हमें सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रीज ज्यादा पानी लेती हैं, उनका अलग से आप एक सेस बनाइए ताकि हम रेन वॉटर हार्वेस्टिंग में उसको यूज कर सकें। थोड़ा-सा निवेदन और है कि ये सिर्फ जो हमारा थ्रेट है, ये थ्रेट सिर्फ भू-जल का नहीं है, भू-जल में हमारे आज जो केमिकल मिक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से पहले पंजाब ने भुगता, हमारे जिले में लगातार कैंसर बढ़ रहा है। राजस्थान को इससे बचाया जा सके। आज जो खतरा हमारे लिए है, जो फ्लोराइड, नाइट्रेट और यूरेनियम हमारे इस पानी में आज मिल रहा है, वह सबसे ज्यादा पॉयजनस है। जो हमारे आज के हालात हैं, राजस्थान में तकरीबन डेढ़ लाख लोग फ्लोरोसिस से आज भी पीड़ित हैं और ऐसे 40 लाख लोगों की हमारे विभाग ने और शिनाख्त की है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये भी हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है।

माननीय सभापति जी, आज हमारे इस बिल में जो क्लॉजेज दिये हैं, एक रूल नंबर 4(2)

में दो एमएलएज का प्रावधान आपने किया। जन-प्रतिनिधि जोड़ लिये गये, परंतु उसमें एक क्लॉज डाला है कि उनको 20 साल का वॉटर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 20 साल का वॉटर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होल्डर कोई एमएलए बन पायेगा। अगर बन पायेगा तो उतनी केपेसिटी नहीं बची होगी। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें पर्टिकूलर विचार करने की जरूरत है। इसमें इंक्वायरी का जो क्लॉज आपने रूल नंबर 17 पैरा 4 में दिया है। इंक्वायरी को टाइम बाउंड नहीं किया है। आप उसका खुला टाइम नहीं छोड़ सकते। उसके लिए महीना, दो महीने का इंक्वायरी का टाइम बाउंड कर दीजिए ताकि इसकी जो अवहेलना करता है, उस पर सख्त एक्शन हो सके। रूल नंबर 19 में आपने हिंडरेंस की बात की है। हिंडरेंस में आपने, जो भी हमारे कैचमेंट एरिये हैं, मेरी चिंता ये है कि चूंकि ज्यादातर जयपुर से लोग यह जानते हैं कि हमारे पड़ोस में रामगढ़ बांध जयपुर के पास था, कैचमेंट एरिया में इतनी एंक्रोचमेंट हुई कि हमारे जल स्रोत ही, पानी का वहां इनपुट ही खतम हो गया है। हिंडरेंस के ऊपर भी आप इसमें विचार करके इसको जोड़ने का मैं सुझाव देना चाहूंगा।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर)ः सभापति जी, एक चीज रह गयी। रूल नंबर 21 में जो पैरा 1 और पैरा 2 में कंट्राडिक्शन है, आपने कंपनीज को इसके अन्दर लिया है। कंपनीज के डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी एक सेपरेट एनटिटि है, इसमें कंपनी को आपने दोषी मान लिया परंतु नीचे उसी में पैरा 2 में कंट्राडिक्ट्री दो लाइनें लिखी हैं - "if he proves that the offence was committed without his knowledge", जो कंपनी का शेयर होल्डर है, जो प्रोफिट शेयर कर रहा है, जो कंपनी चला रहा है, वह अपने आपको प्रूव दो मिनट में कर देगा कि मेरे किसी स्टॉफ मेम्बर ने पानी चोरी किया है, मैं इसमें नहीं हू। इसमें भी आप एक लाइन पर विचार कीजिए।

श्री सभापतिः बैठिए।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर)ः आपके दोनों क्लॉजेज में आपने इसको कन्क्लूड किया है। प्रूव तो कोई भी कंपनी होल्डर कर देगा।

श्री सभापतिः आप विराजिए। विराजिए।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर)ः सर, मेरा एक लास्ट निवेदन। इसमें जो हमारा प्रोविजन नंबर 22 है, जो आपने पनिशमेंट की है, किसी प्राइवेट के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर तो आप 50 हजार एक बार में लगा रहे हैं। दूसरी बार वह दोबारा वॉयलेट करता है तो एक लाख लगा रहे हैं। परंतु कॉरपोरेट कंपनीज, इंडस्ट्रीज के लिए 50 हजार क्या है? आज कोई लाखों लीटर पानी साल का निकाले और उसको हम साल में बोले कि तेरे पर एक लाख रुपये पेनल्टी है। मैं कहता हूं कि वह खुशी-खुशी दे देगा कि एक लाख पेनल्टी देने में क्या जाता है। इंडस्ट्रीयल परपजेज और फैक्ट्रीज के लिए जो पनिशमेंट का अमाउंट है, वह अलग निर्धारित कीजिए। व्यक्ति विशेष के लिए जो पनिशमेंट करना चाहते हैं, वह सफिशियंट है।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): इतना ही कहते हुए मैं बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

ओसिंया में लेपर्ड/शेरनी का प्रवेश व पशुधन पर हमला

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इंफोर्मेशन के माध्यम से एक सूचना देना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र ओसियां में एक ऐसा लेपर्ड घूस गया है और उसने लगभग 15-20 गायें मार दी है। गांव के भोले-भाले लोग यह कह रहे हैं कि ये तो लेपर्ड नहीं शेरनी है। अब ये शेरनी भूखी है या प्यासी है, जो भी है, माननीय वन मंत्री जी से निवेदन है कि इस शेरनी को रेस्क्यू करके या लेपर्ड को रेस्क्यू करके वन विभाग में भेजने का कष्ट करें, क्योंकि जो लेपर्ड है या शेरनी है वह आदमखोर भी है।

विधेयक का पारण

प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 पारित किया गया।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025, श्री जोगाराम पटेल।

विधेयक पर विचार

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री थावर चन्द।

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025, मैं आज सदन में राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक पर अपने विचार रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक की पृष्ठभूमि बड़ी स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल, 2023 के अपने फैसले में कहा कि रीको को केवल वैधानिक और पंजीकृत आधार पर ही अधिकार मिल सकते हैं। इस निर्णय के बाद 26 मई,

2023 से रीको ने भूमि सम्बन्धी अनुमतियां जारी करना बंद कर दिया। परिणामस्वरूप हमारे राज्य के औद्योगिक माहौल पर नकारात्मक असर पड़ने लगा। औद्योगिक गति थम-सी गयी। निवेशकों का विश्वास डगमगाया। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ये विधेयक लायी है।

माननीय सभापति जी, हमें यह स्वीकार करना होगा कि ये विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में अधूरा, कमजोर व दृष्टिहीन लगता है। विधेयक की प्रमुख कमियां मैं इस सदन के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली कमी, सरकार ने रीको को असीमित अधिकार देने का प्रावधान रखा है। भूमि का आवंटन, उप-विभाजन, भू-उपयोग परिवर्तन अनुमोदन, नियमितीकरण सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन इन अधिकारों पर कोई स्पष्ट निगरानी व्यवस्था नहीं है। जब शक्ति एक हाथ में केन्द्रित हो और जवाबदेही न हो तो दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

दूसरी कमी, यह विधेयक पुरानी गलतियों को वैध ठहराने का प्रयास है। जो काम कानूनन गलत थे, उन्हें ये विधेयक सही घोषित करना चाहता है। यह न्याय और पारदर्शिता की मूल भावना के खिलाफ है। तीसरी कमी, छोटे पट्टाधारियों, उद्यमियों और श्रमिकों के हितों की रक्षा का कोई ठोस प्रावधान इसमें नहीं है। जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनका हक इस विधेयक में सुरक्षित नहीं है। चौथी कमी, पारदर्शिता और जनता की भागीदारी का अभाव है। भूमि से जुड़े निर्णय बिना जनता की राय और शिकायत निवारण की व्यवस्था के बिना लिये जा रहे हैं, जो लोकतंत्र में स्थिति उचित नहीं मानी जा रही है। पाँचवी कमी, भूमि उपयोग व पर्यावरण संतुलन की अनदेखी। औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन अगर भूमि व पर्यावरण योजनाओं की अनदेखी करेंगे तो भविष्य में और बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अप्रैल 2023 में आ गया था, तब सरकार ने तत्काल कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने में इतनी देर हुई? क्यों प्रवर समिति की बैठकों में देरी हुई? समय सीमा चूक गयी। यह सब सरकार की गंभीरता की कमी को दर्शाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में पारित न किया जाए। इसमें पारदर्शिता, जनहित और न्याय को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान जोड़े जाएं। प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा और शिकायत निवारण तंत्र बने। भूमि उपयोग और पर्यावरण मानकों को अनिवार्य बनाया जाए। रीको के अधिकारों पर स्पष्ट निगरानी व जवाबदेही का तंत्र स्थापित किया जाए।

Ans/Rtm 15.40 2n 10.09.2025

कानून का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिये कि पुरानी गड़बड़ी को ढक दिया जाए। कानून का उद्देश्य यह होना चाहिये कि पारदर्शिता, न्याय व भविष्य की सुरक्षा होनी चाहिये। यदि यह विधेयक बिना सुधार के पारित हुआ तो यह सरकार की निष्क्रियता और उद्योगों के प्रति उदासीनता का प्रमाण होगा। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करता हूं किस इसे गम्भीरता से पुन: विचार करने के लिये भेजा जाए और जनता व उद्योग, दोनों के हितों की सुरक्षा

सुनिश्चित की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं दक्षिणी राजस्थान के ट्राइबल इलाक़े की ओर ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। हम चाहते हैं कि पलायन रुके, नये उद्योग स्थापित हो, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां बरसों से जिस जमीन पर आदिवासी रह रहा है, रोजगार व उद्योग की वजह से वह विस्थापित हो जाए, उसे अपनी ही मिट्टी से बेदखल किया जाए, अपने मूल वतन, अपनी मूल जमीन से बेदखल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997, इस मामले में मूक दर्शक है। हमारे वहां अभी ग्राम पंचायत अम्बाव के अन्दर रीको पौंड स्थापित किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम सभा की बिना अनुमति यह कहा जाता है जब ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की बिना अनुमति हो तो आर्टिकल 1996 की धारा-4 उप के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी भूमि का अधिग्रहण/हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। ....एक्ट 2013 की धारा 4-5 में साफ लिखा है कि जब तक किसी धारा का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मैं यह चाहता हूं कि अम्बाव गांव के अन्दर हो या अन्य गाँवों के अन्दर उद्योग स्थापित करने के लिये ज़मीनें ली जा रही है, जहां ग्राम सभा की अनुमति के बिना यदि लिया जा रहा है तो उसे निरस्त किया जाए। ग्राम सभा की अनुमति होनी चाहिये। गांव के लोगों की अनुमति हो सकती है। हमारी ग्राम सभा यह कहती है कि जहां पर आदिवासी गांव है वहां पर उनकी रूढ़िगत परम्परा है, उन ग्राम परम्पराओं के अन्दर यह मान्यता है कि जो गांव की जमीन है वह गांव है, जनसंख्या का जब विस्तार होगा तब आने वाले समय में, चारागाह भूमि हो, वन भूमि हो या अन्य बिलानाम भूमि हो उस पर पंचायत का अधिकार होगा। पंचायत व तहसील स्तर पर उसे पट्टा दिया जा सकता है, जिसके माध्यम से वहां के लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। इस तरीके से भूमि स्थानातंरण का काम हो रहा है, हम उसका खुला विरोध करें।

(समय:)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

साथ ही जो नये उद्योग स्थापित होने चाहिये ताकि बेरोजगारी खतम हो, लोगों का पलायन रुके। इस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका पुन: धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं हमने जो सुझाव दिये हैं इस पर जरूर अमल किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री यूनुस खान

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बिल आया है उस बिल के पीछे जो सरकार की मंशा है वह रेट्रोस्पेक्टिव है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि यह बात सही है कि 1955 में व 1966 में जो भूमि राज्य सरकार ने उद्योग के लिये आवंटित की थी, उन भूमियों पर कालांतर में 1979 में रीको को एक साथ एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से स्थानांतरित कर दी थी। स्थानान्तरण इस बात के लिये हुआ था कि इनकी सेवा का कार्य, यानी सर्विस देने का काम रीको करेगा। जबकि उद्योग विभाग उसका मूल विभाग था या यूडीएच था, या राजस्व था, अलग-अलग विभाग उन ज़मीनों के मालिक थे जब उद्योगों का आवंटन हुआ था। 1956 में राजस्व विभाग ने किया था, 65 में उद्योग विभाग ने किया था और 79 में रीको बना। उसके बाद एक आदेश के जरिये यह सारे के सारे प्लाट्स या उद्योग, जो स्थान थे वह लगभग 37 ऐसे स्थान थे जिनको यह ट्रांसफर्ड के नाम से बोलते हैं, यह रीको को ट्रांसफर किये। उसके बाद इनका भू-रूपान्तरण किया जाने लगा। लैण्ड डिस्पोजल एक्ट 79 रीको का है, उसके माध्यम से इसका भूमि रूपान्तरण किया जाने लगा। इसमें कोटा का एक प्रकरण ऐसा आया, उस प्रकरण में पिछली गवर्नमेंट थी 2018 में, जिसने उसका भू-रूपान्तरण कर दिया, उसको लास्ट सिक्स मंथ का मानते हुये कांग्रेस सरकार ने उसको चुनौती दी और उस चुनौती में उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना कि यह प्रकरण है वह सिर्फ इसलिये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वह आखिरी छह महीने का फैसला है। इस बात को मध्य नजर रखते हुये उच्च न्यायालय ने उसको बहाल कर दिया, फिर डीबी में गया और सरकार एसएलपी में, सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार जीतकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन यह कहा कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिये या जो रीको का स्वामित्व नहीं है, रीको इसका भू-रूपान्तरण नहीं कर सकता, इस बात को लेकर सरकार, चूंकि उस समय तक बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जिन्होंने अपना लैंड यूज चेंज कर लिया, किसी ने हॉटल लगा ली, किसी ने कामर्शियल कॉम्पलेक्स बना लिया, उनको तोड़ना सरकार के लिये मुमकिन नहीं था, सरकार ने थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने की मंशा रखी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें इतना ही कहना है कि पिछले सत्र में जब यह बिल आया था उस समय इस बिल को रोका गया और जिन कारणों से रोका गया वह कारण कोई जनहित के कारण नहीं थे। उसमें biased होकर सरकार ने इस बिल को रोका और बाद में इस बिल को सलेक्ट कमेटी ने भी कोई ऐसा नया उपाय नहीं दिया, क्योंकि उसमें जिनके हित थे, उन्होंने अपने हितों को पूरा किया और एक व्यक्ति की जमीन का आवंटन निरस्त करके इस बिल को वापिस लेकर आए। सिर्फ एक व्यक्ति के आवंटन को निरस्त करके इतने दिन सरकार का पैसा फिजूल में खर्च करना, लोगों को प्रताड़ना देना, यह सरकार के लिये ठीक नहीं है। ऐसा कौनसा कारण था, वह भी माननीय मंत्री जी जब अपना सम्बोधन करे जब बताये कि इसको सलेक्ट कमेटी को भेजा तो भेजा क्यों? उनकी बिल के पक्ष में जो

प्रस्तावना थी, जब वह बिल पास करने के लिये लाए थे हाउस में, उस समय एक ही बात थी कि हम जनहित में इस कार्य को कर रहे हैं। तो जनहित में होते-होते आखिरी लाइन कैसे बदल दी गईं? किसके दबाव में बदल दी गई, क्यों बदल दी गई, यह भी माननीय मंत्री जी बताये। अब ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि इस बिल को पास करवाना जरूरी है। इसलिये सरकार हमेशा जनता के लिये है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनहित के काम करे। अगर सरकार व्यक्ति हित के काम करने लगेगी तो यह उचित नहीं है। यही कहते हुए मेरा एक बार पुन: निवेदन है कि इस बिल में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, सलेक्ट कमेटी के सामने आया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया, इसलिये इस बिल को वापिस जनमत जानने के लिये भेजा जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। 'The Rajasthan Land Revenue (Amendment And Validation) Bill, 2025' पर सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसके साथ हम इस बिल पर विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से रीको के द्वारा बिना अधिकारों के तहत, बिना नियमों के तहत जो कारगुजारियां कर दी गईं उसको हम एक कानूनी जामा पहना रहे हैं, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दबाव में। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपने एक निर्णय के द्वारा रीको की सारी चीजों को यह कह दिया कि रीको का अधिकार ही नहीं था, यह किस तरह से कर दिया? जो कारगुजारियां की गई, किन लोगों ने कीं, कैसे हुईं? आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसका आप एक आयोग बना दीजिये। रीको ने जब से यह काम शुरू किया और अब तक किन-किन लोगों के लैंड यूज चेंज किये गये, किनके डिविजन किये गये, जिस परपज से किये गये क्या बाद में उन पर इण्डस्ट्रीज लग पाईं, क्या कोई टाउनशिप डवलप हुई, क्या कॉमर्शियल लैंड यूज चेंज हुआ? इसकी भी एक स्टडी करवा लेते तो अच्छा रहता। इस पूरे सदन को यह मालूम पड़ जाता कि कब-कब, किन-किन वर्षों में रीको के द्वारा कितनी-कितनी कारगुजारियां की गईं।

मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जो 79 की बात की गई है, मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो ठीक है, आप कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन इसका प्रोसपेक्टिव इफेक्ट भी है क्या, इसको स्पष्ट कर दें। इसमें सैक्शन-3 में जो दिया है वह यह है कि - "Notwithstanding anything contained in any other law, for the time being in force, the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) shall exercise all the powers in relation to industrial areas belonging to it, in respect of the development of industrial areas, preparation and amendment of layout plans, sub-division and merger of plots of land, disposal of land, specifications and change of land use...".

VPS-RTM-10.09.2025-15.50-2o

यह सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, चेंज ऑफ लैंड यूज। सबसे ज्यादा कारगुजारियां इसमें होती हैं। आप यह जानते हैं कि राजस्थान में छह-सात, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर हुआ, उदयपुर हुआ, जयपुर हुआ, भिवाड़ी हुआ, अजमेर हुआ या कोटा हुआ, यह ऐसे शहर हैं और सबसे ज्यादा यहीं पर खेल होता है। आज वी.के.आई. की बात करे तो वी.के.आई. टाउनशिप में आ गया है और इसके द्वारा जो सारे स्थानीय निकायों के अधिकार थे, वे सारे अधिकार रीको को दिये हैं और वह लैंड यूज का अधिकार देना, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इसके पीछे मकसद क्या था, क्या है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे, मंत्रीजी, क्योंकि वह लैंड, आप एक स्टडी करवा लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, मत करवाइये, आयोग मत बैठाइये, आप एक स्टडी करवा लीजिए कि कितने लैंड यूज किये गये और उसके बाद वहां उन प्लॉट्स का क्या हुआ, क्या वास्तव में इंडस्ट्रीज लग पायी? रीको को एक अधिकार तो है कि केवल वह इंडस्ट्रियल परपज के लिए लैंड यूज चेंज कर सकती है यह मान लीजिए और सब डिवीजन भी करेगी प्लॉट्स का, बड़े-बड़े प्लॉट्स होते हैं, बीस हजार मीटर के या पचास हजार मीटर के, एक लाख मीटर के, उनका अगर डिवीजन भी करती है तो इंडस्ट्रियल परपज के लिए तो वह कर सकती है पर इसमें कोई यह खेला नहीं हो या हुआ हो कि उसका परपज लैंड यूज चेंज करके अन्यथा जो उद्देश्य रहता है वह तो नहीं है, इस बात को भी आप सुनिश्चित कर लें।

एक सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि कई बार क्या होता है कि रीको के फंक्शन तो हम जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को तो मालूम ही नहीं पड़ता है। आप लिख तो रहे हैं नीचे, आप नीचे एक लाइन तो लिख रहे हैं- 'in the manner prescribed by the State Government.' लेकिन, रीको के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स, एम.डी. या सी.एम.डी. जो भी हैं, आप यह जानते हैं, कल भी मैंने यह क्वेश्चन उठाया था और आज भी मैंने उद्योग मंत्रीजी यह कहा था, वे बोले कि भाई, मंत्रीजी में दम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई, हर मंत्री आपकी तरह पावरफुल नहीं हो सकता। मैंने कहा कि भाई, मंत्री रीको का चेयरमैन क्यों नहीं हो सकता, जब 'बीडा' का चेयरमैन है उद्योग मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इन प्राधिकरण या कॉर्पोरेशंस के, जब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन मंत्री हो सकता है, जे.डी.ए. का चेयरमैन मंत्री हो सकता है तो भाई, उद्योग मंत्री रीको का चेयरमैन क्यों नहीं हो सकता? मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि एक संशोधन लेकर आएं और जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, जितनी कम्पनियां हैं या जितने भी प्राधिकरण हैं, उनमें विधायिका का रोल दीजिए और मंत्रीजी को रोल दीजिए। मैं आपको यह इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कांस्टीट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्थाएं की थीं कि विधायिका को एग्जिक्यूटिव पर कंट्रोल करने के लिए विधायिका को बनाया था तो इन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कॉर्पोरेशंस का, कम्पनीज का। चाहे आप डिस्कॉम को ले लीजिए या चाहे दूसरी

कम्पनीज को ले लीजिए कि वहां पर मंत्री का हस्तक्षेप सरकार का कम से कम हो जाये इसीलिए यह किया है नहीं तो आप बता दीजिए कि डिस्कॉम बनाने के बाद क्या हालत सुधर गयी ऊर्जा सेक्टर की? आप बता दीजिए। नहीं सुधरी है। कॉर्पोरेशंस बनाने के बादआपकी माली हालत सुधर गयी कॉर्पोरेशंस की? वे अगेन व्हाइट एलिफेंट बन गये हैं, गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर, गवर्नमेंट पर बर्डन डालते हैं और फिर गवर्नमेंट व्यवस्था करती है, उसका ऋण चुकाने के लिए, वह उसको ढोने का काम करते हैं। पहले विभाग रूप में बिजली विभाग काम कर रहा था, तब भी लोसेज होते थे, आज तो उससे ज्यादा हो गये तो मेरा जो सबमिशन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को सोचें कि इसका एक तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो, नहीं तो अन्यथा एक बहुत बड़ा गलत काम यह विधायिका करने जा रही है कि रीको को प्रोस्पेक्टिव हिसाब से उन चीजों पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड थी, उसको लैंड यूज चेंज करने का अधिकार या और कुछ देने का अधिकार जो दिया जा रहा है वह सही नहीं है, अच्छा नहीं है और इसके अलावा आप यह देखिये कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, कभी रीको ने देखा है कि उन इंडस्ट्रियल एरिया की क्या हालत है? इन चीजों को तो आप ले आयें, क्योंकि यह बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट हाउसेज से रिलेटेड बिल है, उनकी कारगुजारियों को हम सही ठहरा रहे हैं। उन इंडस्ट्रीज एरिया का, आप भरतपुर में जाइये, कब का कितना पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां यह हालत है, पानी की निकासी की व्यवस्था भी नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): उनको फैसिलिटीज नहीं हैं, उनकी सड़कें टूटी हुई हैं। आप आज भी वहां का वीडियो देखेंगे तो वहां पर जो ट्रैक्टर टॉली गिर रहे हैं, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एल.सी. 38 के सामने आज भी उस रीको पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की हालत खराब है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने अभी अठारह-बीस करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपकी बात आ गयी।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): वह सड़क ठीक होने जा रही है लेकिन रीको ने उस सड़क को ठीक नहीं किया। इसको भी देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं तो मैं यह चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाये और माननीय मंत्रीजी भी इस पर विचार करें। ...(व्यवधान)...

सूचना

पूर्व सरकार द्वारा फोन टैपिंग की घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिपक्ष का निजता हनन का आरोप बेमानी

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है।

कांग्रेस और विपक्ष जिस प्रकार की निजता की दुहाई दे रही है, वहां पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने पूर्व डिप्टी सी.एम. साहब का फोन टैपिंग करवाया, विधायकों का

फोन टैपिंग करवाया और पूरे होटलों में रहे, वह निजता कहां गयी? 'बाप' पार्टी जो थी, उनके एम.एल.ए. को घर से उठवाया तो वह निजता कहां गयी? विधायकों की जासूसी करवायी तो वह कहां गये? पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के फोन टैप करवाये तो वह कहां गये? उनके निजी सचिव ओ.एस.डी. लोकेश शर्माजी इस बात को कह रहे हैं, वे बारबार वी.सी. के माध्यम से कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हुए, इस प्रकार का क्रियाकलाप हुआ है तो आज पूरे दिन इन कैमरों के लिए वे इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो निजता की बात पर कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ने हमारी पार्टी, दल के सदन के नेता ने जिस प्रकार की निजता भंग की है, इसलिए कांग्रेस को इस बात पर बोलने का कतई हक नहीं है और इस बात पर कहीं बात करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

विधेयक पर विचार

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे संशोधन पर बोलने का मौका दिया।

मैं माननीय मंत्रीजी से यही पूछना चाहूंगा कि जो पूर्व में हमारे कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि संशोधन लाने से पूर्व रीको को आवंटित भूमियों के सम्बन्ध में किये गये भूमि के सम्बन्ध, अंतरण, उप विभाजन या भूखंडों या भूमि के विलयन, भूमि का व्ययन, भू-उपयोग के विनिर्देश एवं परिवर्तन और समस्त अधिकार किसके द्वारा दिये गये थे और साथ ही साथ समस्त कार्यों के लिए औपचारिक रूप से वैधानिक अनुमति राज्य सरकार से क्या प्राप्त की गयी थी? साथ ही साथ, प्रदेश में जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्रों में रीको को आवंटित की जाने वाली बेशकीमती भूमियों के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियां स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने और उसके लिए विनियमन बनाने तक की शक्तियां रीको को देना मुझे यह लगता है कि राज्य सरकार का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रह गया इस विषय पर।

साथ ही साथ, औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, मरम्मतीकरण, सुविधा क्षेत्रों पर अवैध कब्जों, अतिक्रमण या उनके रखरखाव की कार्यवाही किसके द्वारा की जायेगी, यह भी चीजें स्पष्ट करें। साथ ही साथ, कई माननीय सदस्यों ने इससे पहले भी अपनी बात इस सम्बन्ध में रखी है। मुझे यह लगता है कि इसके जो माननीय चेयरपर्सन है, उन पर पहले से ही बहुत ज्यादा भार है तो किसी और को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उनके भार को कम कर देना चाहिए।

साथ ही साथ, रीको का भी मसला है, रेवेन्यू का मसला है। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं और वहां पर आज बड़े स्तर पर जो लैंड अलॉटमैंट हुई है, मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले 'रेडा' ने, जो हमारा बहुत बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है, वहां पर जो हमारी लवणीय जमीन थी, उसको अलवणीय करके बड़े स्तर पर लैंड को

कहीं और अलॉट करने का एक बड़ा खेल जो चल रहा था, मैंने इसके लिए विरोध भी दर्ज करवाया है तो मेरा यह निवेदन है कि इस तरीके से आप नहीं करें। कम से कम जो पर्यटन क्षेत्र है, उनको बचा कर रखें। बाकी तो किस तरीके से लैंड अलॉटमैंट हो रही है यह आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है, तो मेरा तो यह निवेदन है कि इस वेस्टर्न राजस्थान को आप यथावत रखें। हां, अगर आप चाहें कि औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे बढ़े तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लायें, हम आपका स्वागत करते हैं पर आप जो सोलर और विंड के माध्यम से उस क्षेत्र का जो बंटाढार कर रहे हैं तो मेरा यह निवेदन है कि उसके बारे में हमें विचार करने की जरूरत है।

साथ ही साथ, जब हाउस शुरू हुआ था तो पहले दिन हमने यह डिमांड रखी थी कि हमारे वहां के जो खेजड़ी के पेड़ हैं, उनको बचाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। यह जिम्मेदारी सिर्फ एक विश्नोई समाज की नहीं है बल्कि हम सभी की है। आज के समय में लगभग 25 से 26 हजार पेड़ कटे हैं और आने वाले समय में 50 हजार के आस-पास पेड़ कटने वाले हैं पर इसके लिए ट्री-प्रोटेक्शन एक्ट लायें। बाकी स्टेट्स जब ट्री-प्रोटेक्शन एक्ट ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं लायें? मैं इसके लिए हमारे वन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस दिन मुझे भरोसे के साथ यह कहा कि हम आने वाले समय में, जब भी सदन चलेगा तब ट्री-प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है पर निवेदन है कि जितना जल्दी लाएंगे, उस तरीके से हम उन पेड़ों को बचा पाएंगे। साथ ही साथ, मोती की बेरी, रोहिड़ी, सुंदरा, यह पूरा बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है और यहां पर तमाम लागों की जो आजीविका है, वह मुख्यत: गोवंश पर, पशुधन पर चल रही है अगर हम उस लैंड को कई कम्पनियों को अलॉट कर देंगे तो वह गोवंश कहां पर जायेगा?

ssy/rtm/10.09.2025/16.00/2p

वह लोग कहां जायेंगे? पहले से वहां पर विस्थापन बड़ी संख्या में हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी आप मजबूती के साथ विचार करें। साथ ही आप उन लोगों के लिए एक बार पुन: सोचें अलॉटमेंट से पहले, क्योंकि यह जो अलॉटमेंट हो रहे हैं यह वाकई उस क्षेत्र के हित में नहीं हैं।

साथ ही थोड़े दिन पहले आपने देखा भी होगा, बरियाड़ा जहां पर हम लोग गये थे, वहां पर खेज़ड़ियां निकली थी। आप देखें कि खेज़ड़ियों को जमीन में छिपा दिया गया था, निकालने के बाद में भी, तमाम चीजों में छपने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही अभी तक भी नहीं हुई। प्रदेश की सरकार को एक बार मजबूती के साथ कार्यवाही करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए।

साथ ही एक अतारांकित सवाल था, जो इसी सत्र का था 16/4/114, अतारांकित सवाल रेवेन्यू से, रीको से तथा तमाम चीजों से रिलेटेड था। उसका जवाब असत्य था। इन चीजों पर तो हमें चर्चा करनी है।

मेरे से पहले चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर बात कही। निजता की बात कही। निश्चित रूप से इन तमाम चीजों पर सोचना चाहिए। हम लोग जो निर्दलीय हैं, हम देखते हैं कि विपक्ष के साथी किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। मेरा विपक्ष के साथियों से इस सदन के माध्यम से पुन: निवेदन है कि आप इस सदन को चलायें।

आज सदन के नेता कुर्सी पर थे, सदन में थे। हम बात करते। पानी की कीमत हमसे जानो कि स्थिति क्या है? हम सीमांत क्षेत्र से आते हैं जहां पर 2-2 हजार फीट तक पानी नहीं है। आज भू गर्भ, भू जल का इतना बड़ा विषय था। चर्चा चल रही थी, तब हमारे उन तमाम साथियों ने विचार करना तक सही नहीं समझा, अपनी बात कहना तक सही नहीं समझा। यह बहुत विकट स्थिति है। मुझे लगता है कि उनके मन में कई सारी और चीजें चल रही हैं।

जिस तरीके से तमाम चर्चाएं चल रही थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। उस समय कई बार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने लाठियां बरसायी थी।

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर रहें।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): बिलकुल, मैं मेरी एक बात, निजता की जिस तरह से यह बातें कर रहे थे उसके लिए सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि उस समय के मुकदमों में आज तक हम बैठे हैं। किस तरीके से इन्होंने तमाम चीजें की थी। मेरा निवेदन है कि सदन को चलायें और आज जो घटना हुई है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। साथ ही उस वेस्टर्न राजस्थान री विशेष भलावन आप सबां ने देर जावां। प्रदेश री सरकार ने देवां। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। एक सेकण्ड, मैं नाम बोल लूं, हैं तो नहीं।

श्री शान्ती धारीवाल। (अनुपस्थित)

श्री अभिमन्यु। (अनुपस्थित)

श्री ललित यादव। (अनुपस्थित)

श्री गणेश घोघरा। (अनुपस्थित)

माननीय मंत्री जी। रिकार्ड में तो आये ना, मैंने बोला है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में आज सबसे महत्वपूर्ण भूत लक्षीय प्रभाव और भविष्य लक्षीय प्रभाव रखने वाला राजस्थान के सर्वांगीण विकास, औद्योगिक विकास और उससे भी अधिक राजस्थान के भविष्य को निर्धारित करने वाले राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं। परंतु प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जान-बूझकर, आज इस सदन में बिना किसी कारण के और सदन के नेता द्वारा उनको कहने के बावजूद भी सदन से वाक-आउट कर गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल 25 फरवरी, 2025 को पुरःस्थापित किया गया था। इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। आज माननीय सदस्यों सुभाष जी ने, रविन्द्र जी ने भी अपनी बात कही। माननीय सदस्यों की भावना के अनुसार, उनकी बात को रखते हुए इस पर और अधिक गहराई से विचार हो, इसे प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति को 25 फरवरी को इसे भेजना था, लेकिन समय आपसे लिया। इसकी 4 बैठकें हुई और आखिरकार यह आपके सामने आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्यों ने इस बिल पर और प्रवर समिति में जितने भी माननीय सदस्य थे, श्रीमती शोभा जी चौहान, ताराचन्द जी जैन, गुरवीर सिंह जी, देवी सिंह जी शेखावत, कैलाश चन्द वर्मा, जेठानन्द जी व्यास, डॉ.शैलेन्द्र सिंह जी, हंसराज जी मीना, चेतन पटेल जी, भीमराज जी भाटी, सुरेश जी गुर्जर, दयाराम जी परमार, अनिल कुमार जी कटारा, जीवाराम जी चौधरी ने अपनी-अपनी बातें कहीं। इसकी 4 बैठकें हुई और 4 बैठकों के उपरांत संशोधित कर इस बिल को वापस आपके समक्ष, यहां विधान सभा के समक्ष भेजा गया। आज इस पर जो संशोधन हुए हैं, वह संशोधित बिल आपके सामने आया है। इसमें खण्ड 2 सब क्लॉज 2 को खण्ड 2 सब क्लॉज 3 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। खण्ड 2 सब क्लॉज 3 को खण्ड 2 सब क्लॉज 2 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है और एक नया प्रोविजो खण्ड 2 सब क्लॉज 3 के बाद में जोड़ा गया है। यह टोटल अमेंडमेंट होकर आपके सामने आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में जैसा माननीय गर्ग साहब ने बताया सबसे पहले राजस्थान सरकार स्वयं ही औद्योगिक इकाइयों को आवंटन, नियमितीकरण वगैरह करती थी। कालांतर में 1969 तक यह कार्य चलता रहा। औद्योगिक डिपार्टमेंट जो हमारा था, विभाग हमारा था वही इसको संचालित करता था। बाद में 1969 में एक आरएसएमएम और रीको का निगम बनाकर लॉ लाया गया। आरएसएमएम अपना काम करता रहा। माइनिंग के सम्बन्ध में करता रहा। रीको अपना काम करता रहा। धीरे-धीरे उसके बाद में रीको इंडिपेंडेंट हो गया।

यह जो प्रकरण आया है, जैसा अभी माननीय सुभाष जी गर्ग ने बताया, जिला कलेक्टर द्वारा सन 1958 में, 1965 में जमीनें अलॉट की गई। जे.के.सिंथेटिक लिमिटेड को लीज पर दी गई। इसकी लीज डीड जेकेएसएल को 1967 में निष्पादित हुई और वर्ष 1998 में जेकेएसएल रुग्ण इकाई घोषित हो गई। जो तत्कालीन नियम थे, उन नियमों के अनुसार कानूनी कार्यवाहियां करने के उपरांत आदेश दिनांक 23.01.2003 के द्वारा उक्त भूमि मैसर्स अराफात पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड को चलाने के लिए दी गई। फिर वर्ष 2000 में इसकी 7 लीज डिवाइड करके जिला कलेक्टर ने उनके हक में निष्पादित की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और विषय जो इसमें रहता है, रीको ने उक्त भूमि वाणिज्यिक एवं संस्थागत भू उपयोग परिवर्तन एवं भू विभाजन का आवेदन तत्कालीन जिसके पक्ष में लीज डीड लिखी थी, उसने किया और इस पर 31.8.2018 को रीको की बोर्ड

प्लानिंग कमेटी जो होती है, सबसे बड़ा बोर्ड जो रीको की प्लानिंग कमेटी है, उसने इसकी अनुमति प्रदान कर दी। तत्कालीन समय में परिवर्तन हुआ और पूर्ववर्ती सरकार के 6 माह के जो निर्णय थे उसका पुनर्निरीक्षण करने हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 6 माह के निर्णयों की समीक्षा के दौरान दिनांक 3.08.2019 को रीको द्वारा जो भू विभाजन, भू उपयोग परिवर्तन की परमिशन दी थी उसे गलत माना और इसी अनुसार इसमें निर्देश दिये, अपनी अनुशंसा की। उसी अनुशंसा की अनुपालना में रीको द्वारा दिनांक 11.10.2019 एवं 14.10.2019 को उक्त अनुज्ञा को विड्रा कर लिया, खारिज कर दिया। दिनांक 31.08.2018 वाला जो आदेश था उसे निरस्त कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां से विवाद शुरू हुआ। जिनके फेवर में अनुज्ञा थी वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में गये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय किया। जिसके विरुद्ध सरकार, रीको वगैरह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20.04.2023 को जो आदेश पारित किया उस आदेश के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 18.09.1979 को जो जमीन रीको को हस्तांतरित की वह केवल प्रबंधकीय सुविधाओं के लिए ही थी और उस स्थिति तक की सीमित थी। ऐसा माना गया। रीको द्वारा जो लीज ट्रांसफर की गई, सब डिवीजन किया गया, सब लीज दी गई, किराये पर दी गई, उसको उन्होंने अवैधानिक माना, ठीक नहीं माना।

spp/rtm/10.09.2025/16.10/2q

इस पर न्यायालय की पालना करते हुए रीको ने दिनांक 26.04.2023 को पूरे राजस्थान में रख-रखाव के अलावा, अन्य जो कार्य थे, चाहे वह लीज ट्रांसफर के हों, सब-डिवीजन के हों, सब-लीज के हों, किरायेदारी पर देने के हों, उस पर रोक लगा दी और ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो गया कि तब तक हमारे राजस्थान में रीको के द्वारा जो अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित किया गया था, लीज-ग्रांट की गयी थी, सब-लीज ग्रांट की गयी थी, सब-डिवीजन किया गया था, भू-उपयोग परिवर्तन किया गया था, कहीं किराये पर दी गयी थीं, तो वह सारी इस तरह की अवस्था हो गयी। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2023 के कानूनी प्रावधान अथवा किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर रीको को हस्तांतरित नहीं होने के कारण उक्त हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को रीको के समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होकर मात्र रखरखाव सम्बन्धी अधिकार ही प्राप्त होने की व्यवस्था दिये जाने के कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कानूनी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति को हस्तांतरित उद्योगों के उद्यमियों को आ रही परेशानियां, यथा भू-उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन, लीज-डीड निष्पादन, लीज-होल्ड, अधिकारों का हस्तांतरण आदि के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन कर रीको को उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक की गयी कार्यवाहियों के लिये विधिक रूप से अधिकृत सक्षम

बनाने तथा भविष्यवर्ती कार्यों के लिये अधिनियम में समुचित नये प्रावधान करने की बजट घोषणा वर्ष 2025 के बिन्दु संख्या 175(1) रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को भू-रूपांतरण एवं समस्याओं के समाधान के लिये ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैण्ड वैलिडेशन एक्ट लाया गया और उसी की अनुपालना में यह एक्ट आपके समक्ष लाया गया।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): लैण्ड यूज की बजट घोषणा नहीं थी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जो घोषणा थी, वह वापस पढ़ देता हूं। एज इट इज रिप्रोड्यूज किया है। एज इट इज मैंने रिप्रोड्यूज किया है, कोटेड इट। रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को भू-रूपांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिये ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैण्ड वैलिडेशन एक्ट लाया जायेगा, and I quote it from the budget announcement.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी की अनुपालना में विधेयक लाया गया। प्रस्तावित विधेयक द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन कर नवीन धारा 100 (क) जोड़ी गयी और साथ ही साथ इसकी उपधारा (1) में इस विधेयक के प्रारंभ होने तक और किसी भी रीति से तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा रीको के रहन में रखी गयी ऐसी कोई भूमि के कब्जे की दिनांक से रीको में निहित किये जाने के प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है। यह सब-क्लॉज वन है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 100(क) की उप-धारा (2) द्वारा रीको में निहित समझे गये औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपने कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस हेतु पृथक से जारी नियमों के अनुरूप सक्षम करने के लिये सशक्त किया जा रहा है। साथ ही साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, उप धारा (3) के द्वारा किसी भी न्यायालय, वह विशेष रूप से देखने योग्य है, उप-धारा (3) के अनुसार किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, विनिर्णय, डिक्री या आदेश के अनुसरण में ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के किये गये समस्त कार्य राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन माने जाने और समस्त प्रयोजनों के लिये विधिमान्य समझे जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया, जिसका उल्लेख आपने किया। साथ ही साथ, मैं आपकी सब बातों का भी जवाब दूंगा।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): इस एक्ट का भावी प्रभाव नहीं होगा, केवल भूतलक्षी प्रभाव होगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं आपको कोट करके बताऊंगा न, आपने जो बातें कही हैं उसको मैंने नोट किया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी को बोल लेने दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं आपकी बातों का जवाब भी दूंगा और कहां भूतलक्षी प्रभाव लिखा है और कहां भविष्यलक्षी है? Where is retrospective effect and where is prospective effect? Both are there. आपको दोनों बातों का जवाब मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: यह सबको हिन्दी में ही बता रहे हैं न।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): साहब हिंदी में बता रहा था, पर सुभाषजी को इंग्लिश में सुनना है।

श्री अध्यक्ष: केसाराम जी कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हिन्दी-इंग्लिश दोनों ही बोल रहा हूं न।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): पास कराओ आप तो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): करा दें। आपने जो बात कही, उसका जवाब नहीं दूं? आपने जो बात कही, उसका तो स्पष्ट जवाब दूंगा। आपने इंगित किया है कि प्रवर समिति को क्यों भेजा गया? इसका जवाब सुनिये, बैठिये। इसका जवाब सुनकर जाइये, बीच में जाना मत।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो दो। माननीय मंत्रीजी, आप जवाब तो दो, पूरा दो, लेकिन थोड़ा संक्षेप में दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जवाब देने का आनन्द तो प्रतिपक्ष होता है तो आता है। प्रतिपक्ष हमारी शक्ति है, परंतु अब वह उनकी अंतर्कलह के कारण मौका नहीं मिल रहा है तो उसका वही जाने।

समस्त किये गये राज्य सरकार के प्राधिकरण के अधीन किये जाने और समस्त प्रयोजन के लिये विधिमान्य समझे जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यह प्रावधान है। और प्रस्तावित उपधारा(4) द्वारा राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों के अध्यधीन रहते हुए रीको को विनिमय बनाने की शक्तियां दी जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर मैं आपके सामने यह भी निवेदन करूंगा कि यह जो प्रोविजंस लाये गये हैं, सब-क्लॉज (2) सब-क्लॉज (3) और सब-क्लॉज (3) के बाद में प्रोविजो, इनके पीछे विधिमान्य जो नियम है, सलाह है, कानून है, आज तक जो रीको द्वारा की गयी कार्यवाही है, सरकार द्वारा की गयी जो कार्यवाही है, भविष्य में औद्योगिक विकास के लिये जो जरूरी है, इन सब बातों को रखा गया है और जैसाकि आपने देखा होगा पहले सब-क्लॉज (1) के बाद अब जो सब-क्लॉज (2) है, वह (3) थी। जो प्रोसीजर मैटर के रूप में आती है, आप जैसे जानकार हैं और सब-क्लॉज (3) थी, वह सब-क्लॉज (2) थी। अब सब-क्लॉज (3) है, वह सब-क्लॉज (2) है और सब-क्लॉज (2) है, वह सब-क्लॉज (3) है और एक नया प्रोविजो, जिसके सम्बन्ध में अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित विधेयक द्वारा अधिनियम, 1956 की धारा 261(2) जो मेन एक्ट है, 102, 100 और 261 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की, संशोधन किया जाकर राज्य सरकार को नियम बनाने तथा रीको को उक्त विधेयक के उल्लेखित विषयों के सम्बन्ध में विनियम बनाने की शक्तियां प्रायोजित की जा रही हैं। उक्त प्रस्तावित विधेयक पर प्रवर समिति के सुझाव के आधार पर अध्यक्ष प्रवर समिति द्वारा विधेयक के उचित संशोधन को प्रस्ताव प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये और जिसका मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया। वह सब-क्लॉज (2) को सब-क्लॉज (1) बनाया गया। सब-क्लॉज (2) को सब-क्लॉज (3) बनाया

गया और जो नया प्रोविजो जोड़ा गया, वह एक के बाद लागू हुआ जिनकी कोई भी औद्योगिक प्रयोजना, जिसको मैं इंट्रोड्यूज करूंगा, थोड़ा सा उसका निवेदन करूंगा। उपधारा(2) को उपधारा(3) और उपधारा (3) को उपधारा (2) को करते हुए उक्त संशोधन उपधारा (3) के नीचे एक परंतुक, परंतुक मिंस प्रोविजो, परंतुक जोड़ा गया है। इस परंतुक द्वारा उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के प्रावधान उन प्रकरणों में लागू नहीं होंगे जिनमें कोई भी भूमि, जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु दिनांक 18.9.1979 से पूर्व अथवा तक आंवटित की गयी एवं उसकी लीज राज्य सरकार अथवा रीको द्वारा निरस्त कर दी गयी है तथा उस भूमि का कब्जा इस अधिनियम 2025 के लागू होने के दिनांक से पूर्व राज्य सरकार द्वारा, रीको जैसी भी स्थिति हो, लिया गया हो, जिनकी लीज डीड निरस्त कर दी गयी है, उसके लिये यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह प्रोविजो इसमें जोड़ा गया है और इसमें लिखा गया है - "Provided that nothing contained in sub-section (1) and (2) shall apply to any land allotted for industrial purposes on or before 18.09.1979 and lease of which has been cancelled by the State Government or the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), and the possession of the said land has taken over by the State Government or the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), as the case may be, on or before the date of coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment and Validation) Act, 2025 (Act No…..of 2025)"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रोविजो जोड़ने के पीछे मंशा यही थी कि जो लीज डीड कैंसिल हो चुकी है, उसके लिये प्रावधान लागू नहीं होंगे और यह भी मंशा थी कि उनको इस प्रावधान का कोई बेनिफिट लेने का अधिकार भी न तो पास्ट में रहेगा और न फ्यूचर में रहेगा।

jyg/rtm/10.09.2025/16.20/3a

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसमें जो मुख्य बिन्दु थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, उस निर्णय में हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र किसी भी कानूनी प्रावधान अथवा किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरित नहीं होने के कारण, कारण क्या माना सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ट्रांसफर गवर्नमेंट ने रीको को किये वो एक विधिवत मोड ऑफ ट्रांसफर से ट्रांसफर नहीं किये, ऐसे में उक्त क्षेत्रों के रीको पट्टाधारियों का अधिकार न होकर मात्र रख-रखाव सम्बन्धी कार्य थे तो उनको अधिकार देना था, अगर उनको अधिकार नहीं देते तो 1979 से लगातार आज दिन तक जो भी कार्यवाहियां हुई हैं, चाहे वो सब डिविजन की हुई है, चाहे वो ट्रांसफर की हुई हैं, चाहे वों कंवर्जन की हुई है, चाहे रेंट पर गयी है, उनकी वैलिडिटी कैसे होगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रीको ने जो अपना कार्य एकदम बंद कर दिया था, उसको ठीक करने के लिए, उसको वैलिडिटी देने के लिए, ये प्रावधान रेट्रोस्पेक्टिव लाये गये हैं। साथ ही साथ ये प्रोस्पेस्टिव भी लाये गये हैं, आपने जो प्रश्न किया कि ये प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव है, इसका जो जवाब है मेरा, रीको इन औद्योगिक क्षेत्रों में

इनके गठन के समय से ही राज्य सरकार के आदेशों के अधीन निरंतर एक विकास संस्था एवं स्थानीय निकाय के रूप में समस्त कार्यवाहियां अर्थात् भूखण्डों का विभाजन, विलयन, व्ययन, भू- उपयोग परिवर्तन, विभिन्न अनुज्ञाएं प्रदान करने के कार्य के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना के सम्बन्धित समस्त कार्यकलाप करता रहा है। रीको का गठन ही राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से किया गया था कि इस क्षेत्र में स्थानीय निकायों के रूप में समस्त विकास कार्य करेगा। इस उद्देश्य से इस विधेयक को भविष्यलक्षी प्रभाव दिया गया है क्योंकि रीको का वर्तमान में कोई भी विकल्प नहीं है। राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में वर्ष 1982 में संशोधन कर नियम 12 द्वारा उक्त क्रियाकलाप निष्पादित करने की शक्तियां रीको को दी गयी थी।

एक और प्रश्न आपने किया था, उसका जवाब, आपने प्रश्न यह किया कि कतिपय उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेषकर माननीय सदस्य ने निवेदन जो किया था, उसका भी मेरा जवाब है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एमएम वली खान बनाम राजस्थान राजस्थान राज्य, डीबी स्पेशल रिट पिटिशन थी, जो 2018 में हुई थी, इसमें जो निर्णय हुआ और जो आब्जर्वेशंस हुए, उनके अनुसार गुलाब कोठारी का भी प्रकरण हुआ, वो डीबी जोधपुर मेन बेंच में हुआ, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा मास्टर प्लान में भू परिवर्तन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को कानून के रूप में नहीं पढ़ा व समझा जाना चाहिए अर्थात् वे केवल डाइरेक्शंस मात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि अनेक बार यह विषय आते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुलाब कोठारी के प्रकरण में फलां निर्णय पारित किया या अनेक बार यह आता है कि अहमद अली के केस में फलां निर्णय पारित किया, परंतु उक्त दोनों ही निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हमारे ऊपर, हमको मानना है, मानना चाहिए, लेकिन एक होता है, मेंडेट और एक होता है डाइरेक्शन, तो डाइरेक्शन है उसकी यथा योग्य पालना होनी चाहिए, मेंडेट की शत प्रतिशत पालना होनी चाहिए, पहला। दूसरा, इसके अतिरिक्त गुलाब कोठारी प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में नगरीय एवं आवासन विभाग द्वारा 20 जुलाई 2017 को आदेश जारी किया गया था, जिसकी वर्णिय कतिपय परियोजनाओं के लिए भू-उपयोग परिवर्तन को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट श्रेणी में रखा गया तथा रीको द्वारा भी उसे ध्यान में रखते हुए भूमि परिवर्तन किया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट और जहां पब्लिक इंटरेस्ट है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, वहां इन दोनों चाहे गुलाब कोठारी का प्रकरण हो या अहमद अली खान के केस में किया गया निर्णय हो, उसके डाइरेक्शन को यथा योग्य ही मानने की उपधारणा रहती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अराफात प्रकरण में यह निर्णय पारित किया है कि प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः पालन तो आप लोग करेंगे। इस सदन का आराम से आनन्द उठाइये, आज आखरी दिन है इस सत्र का, 2025 का।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्योंकि रीको द्वारा भू परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान करना तथा भूखण्डों का उप विभाजन इस गलत उपधारणा पर आधारित था कि उसको 1959 के नियमों के अधीन ये शक्तियां थीं, इसमें रीको की दुर्भावना नहीं थी। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।

राज्य सरकार ने दिनांक 19.09.2003 को इस आशय का परिपत्र जारी किया था कि राज्य हित में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन को अनुज्ञात किया जाता है। स्वयं राज्य सरकार ने भी राजस्थार औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में संशोधन कर नियम 12 द्वारा रीको को भू विभाजन एवं भू विभाजन की शक्तियां दी थी, हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन शक्तियों को इनके भविष्यलक्षी सीमा तक ही सही माना है। मैं आपकी बात का आंसर दे रहा है, विशेषकर आपकी बात का। If you try to understand it. एक तो हमने लॉ बनाकर इसको प्रोस्पेक्टिव बनाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है कि जो आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सही माना, that is wrong. ये प्रोस्पेक्टिव से आपका ठीक है। इसलिए दोनों ही काउंट पर ये प्रोस्पेक्टिव भी है और रेट्रोस्पेक्टिव भी है। Yes. You have a right to reply on it…

श्री अध्यक्षः चलिये, हो गया?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा यह था, इसके अतिरिक्त विधेयक के प्रावधान रीको के द्वारा संचालित समस्त क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अध्यधीन विनियम बनायेगी, राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मोटे-मोटे रूप में, अब इसके साथ ही दो-तीन प्रश्न माननीय सदस्यों ने रखे हैं। उनका भी, जैसे माननीय युनूस खान जी ने कहा कि सरकार की मंशा क्या थी, प्रवर समिति को क्यों भेजा? प्रवर समिति को सरकार नहीं भेजती है, प्रवर समिति को भेजना या नहीं भेजने का निर्णय यह माननीय सदन लेता है और सदन जिस पर निर्णय लेता है उस पर आपको प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो निर्णय सदन ने लिया है सरकार ने नहीं लिया है। अधिकांश माननीय सदस्यों की यह मांग थी कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाये, इसकी और गहनता से जांच की जाये, उसके उपरांत लाया जाये इसलिए प्रवर समिति को भेजे गये विषय पर आपको क्वेश्चन करने का मेरे अनुसार कोई अधिकार नहीं है।

प्रशासनिक आदेशों से हस्तांतरित किया गया था। इसको आपने खुद ने सही माना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको आपने सही माना। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः और ज्यादा सुनने के लिए बोल रहे हो क्या? ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य सुभाष जी गर्ग साहब ने दो बात रखी, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, उसका जवाब आपको मिल गया।

श्री अध्यक्ष: ऐसी महत्वपूर्ण बातें और आ रही हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): साथ ही साथ आपका यह कहना कि सरकार की कारगुजारियों का रेस्ट्रीक्शंस किया है, तो इसमें यह लिखा है, इस लॉ में लिखा है, जिसको आपने खुद ने पढ़ा, कोट किया कि सरकार के, such industrial areas in the manner prescribed by the State Government. तो जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड करेगी, ...(व्यवधान)... ।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): रीको की।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सही पढ़ो आप। आपका जवाब भी देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आगे बढ़ो। ...(व्यवधान)... मेरे पास दूसरा काम भी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आज तो पूरा ही सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... आज विपक्ष तो सुन रहा है नहीं, किसको सुनाऊं? ...(व्यवधान)...

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): रीको को इण्डस्ट्रियल पर्जज के लिए जो लैंड दी गयी है वो कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल में कंवर्ट कर पायेगी, लैंड यूज चेंज कर पायेगी क्या?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ...as in the manner prescribed by the State Government. गवर्नमेंट के डाइरेक्शन, कण्ट्रोल के अन्दर रहते हुए रीको को पावर होगा।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): वो तो समय गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैं आखिर में आप सबसे अनुरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आखिर आ गया, सुन लो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्यों को धन्यवाद भी देता हूं और यह बिल राजस्थान के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और माननीय मुख्य मंत्रीजी राइजिंग राजस्थान जो लाये हैं, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्रता से प्रार्थना है कि इसको पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: इतना अच्छा भाषण था, लगता है रेवेन्यू विभाग भी आप सम्भाल सकते हैं। ...(व्यवधान)...

MLS/RTM/10.09.2025/16:30/3b

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

अभी 10 मिनट का विषय मेरे पास भी है।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खण्ड 2 से 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री जोगाराम पटेल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: अब तृतीय चरण में यदि कोई बोलना चाहे...। मेरे पास नाम तो नहीं आये, वैसे कोई बोल नहीं सकते, संक्षेप में। पहले नाम नहीं दिये हैं। वैसे तो मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। ...(व्यवधान)...

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इंडस्ट्रियल एरिया और रीको के लिए विशेष तौर पर अति महत्वपूर्ण इस बिल पर आज सरकार जो संशोधन लेकर आयी है, इसकी बहुत आवश्यकता थी और इसके पीछे का जो कारण था कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद, जो पहले राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में भी इसकी पैरवी की और हाई कोर्ट में डबल बैंच की जजमेंट में जहां निर्णय रीको के खिलाफ आया और इनके जो किये हुए प्रावधान हैं, जिन रूल्स और रैगुलेशंस में 1879 RIICO's disposal of land use में जो अथॉरिटी राजस्थान सरकार ने रीको को दी थी, उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेते हुए एक लम्बी-चौड़ी 113 पेज की जजमेंट दी गयी।

सुप्रीम कोर्ट ने रीको द्वारा किये गये सभी सीएलयूज को, जो change in land use हो, चाहे उसमें मर्जर हो, सबडिविजन हो और ऐसे कई प्रकरण थे, जिनके ऊपर रीको लगातार काम कर रहा था। उसमें दिक्कत यह आयी कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने statutory in nature नहीं माना। इस वजह से इतने सालों से, चाहे वह राजस्थान में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आयी हो, पिछले 45 सालों से लगातार जो रीको काम कर रहा था, जिसका उद्देश्य राजस्थान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का था, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आये और उसके जरिये इम्प्लॉयमेंट के अवसर खड़े हो सकें, हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें, यह हमारी सरकार का उद्देश्य था, पर उस पर जो रोक लगी, उसके कारण जितने भी काम, Rajasthan Industrial Rules, 1959 में जो राजस्थान की पावर्स थीं, उसके ऊपर जितनी लैंड हमारे रीको को अलॉट हुई थी, उस समय जो वेकेंट प्लॉट्स के लिए हुई, उसमें जो संशोधन की जरूरत थी, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल केसेज, कॉमर्शियल केसेज, उसमें सारे काम उनके जो पिछली सरकार के थे, रीको द्वारा रोक लगानी पड़ी।

आज उसके तवाज़ा से फाइनेंशियल स्टेटस और बैंक्स में इनकी पेमेंट की दिक्कत आयी। बहुत से नौजवान रोजगार से बेरोजगार हो जाते। आज राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छी पहल की। इससे तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज को और तमाम इंडस्ट्रीज को, रीको को एक बड़ा बल मिलेगा। इस एक बिल के माध्यम से जो लम्बे समय से समस्याएं चली आ रही थीं, वे खत्म होंगी। इस पर अभी जो चर्चा हुई, प्रवर समिति में एक-एक पहलू पर चर्चा की गयी, सभी इंडस्ट्रियल एरियाज की डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स पर चर्चा करके जो आवश्यक दिशा-निर्देश और जो जरूरत थी राजस्थान की, इस बिल में वे संशोधन किये गये हैं। रेट्रोस्पेक्टिव डेट में करने का कारण भी मैंने आपको बताया कि राजस्थान सरकार नहीं चाहती है कि हमारे यहां अभी जो राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 32 लाख करोड़ के एमओयूज किये गये, आज ease of doing business की तरफ देश बढ़ रहा है, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी भी चाहते हैं कि ease of doing business की वर्ल्ड में हमारी अच्छी रैंक हो, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की नामी इकोनॉमीज में आगे आये।

राजस्थान भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। आज ease of doing business के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए रीको को जिन अधिकारों की जरूरत थी, इस बिल के माध्यम से राजस्थान सरकार ने देने का काम किया है। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शत्रुघन गौतम।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से रीको राजस्थान की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें राजस्थान ही नहीं, अपितु देश के व्यापारियों का भी एक भरोसा, एक विश्वास है। कोई भी सरकार आती है, वह राजस्थान के समुचित विकास की सोच से काम

करती है। निश्चित रूप से 4 दिन में इस सत्र में जो बिल आये वे बड़े महत्त्वपूर्ण थे, लेकिन एक त्रासदी है कि यह राजस्थान का सदन है जो नियमों एवं प्रक्रियाओं से संचालित होता है। औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे आज भू-जल का बिल आया हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री, एक गरीब का बेटा, एक सामान्य से परिवार का बेटा, भारतीय जनता के शीर्ष नेतृत्व ने जिसे राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाकर राजस्थान की जनता की सेवा में लगाया।

दो साल में 20 महीने से जो काम कर रहे हैं, आज विपक्ष का देखें, आज आसन के ऊपर जो टिप्पणियां की गईं। यह सामान्य नहीं है। क्या टोपी पहनकर आये, ऊपर कोई टी-शर्ट पहनकर आये, जो यह 7 दिन से इनका व्यवहार देख रहे हैं, यह सारे राजस्थान की जनता जानती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की बात करूं, मेरे केकड़ी क्षेत्र में नगरपालिका में एक जमीन थी। सामान्य सी जमीन थी 240 बीघा और मेरे रीको को दी, रीको ने वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करने के लिए केकड़ी कस्बे को 80 करोड़ रुपये दिये और 80 करोड़ रुपये केकड़ी के चहुंमुखी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण होंगे। ऐसी इंस्टीट्यूशन है रीको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सोचें, मैं तो इस बिल में यह कहना चाहता हूं कि आज जो भी जिले हैं, चाहे जयपुर हो, अजमेर हो, कोटा हो, जोधपुर हो, इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, इसमें जो चरागाह जमीनें हैं, वे समुचित ढंग से नगरपालिका, नगर निगम, जेडीए, एडीए, केडीए के नाम खाते चढ़नी चाहिये। चरागाह सिवायचक जमीनों पर लोग कब्जा करके बैठे हैं, भू-माफिया कब्जा करके बैठे हैं, अगर ऐसी जमीनों को चिह्नित करके रीको को दिया जाये तो रीको को एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़े। समुचित तरीके से इस राज के विकास में वह काम आये। 33 लाख करोड़ के राइजिंग राजस्थान में एमओयू हुए और आज 4 लाख करोड़ के, 5 लाख करोड़ के धरातल पर काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो बिल है, वह राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के नौजवानों के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और यह जो मैंने निवेदन किया है, इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिये कि रीको में छोटी-छोटी चीजें हैं, इनको क्रमबद्ध तरीके से करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

Mkd/rtm/10.09.2025/16-40/3c

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

नेपाल में बिगड़े हालातों के दृष्टिगत वहां फंसे राजस्थान वासियों के साथ-साथ मा. सदस्या डॉ. ऋतु बनावत की सकुशल वापसी के प्रयासों हेतु सरकार से आग्रह

श्री अध्यक्षः मुझे पाइंट ऑफ इंफोर्मेशन के हिसाब से दो-तीन प्रस्ताव मिले हैं कि नेपाल में काठमांडू में विधान सभा क्षेत्र, उदयपुर ग्रामीण के, निवाई के और भी कई विधान सभा क्षेत्रों से कुछ लोग जो नेपाल गये थे, वर्तमान में जो नेपाल की स्थिति है, उसमें फंस गये हैं। प्रान्तभर के एवं अन्य स्थानों के भी, लेकिन साथ ही अपने यहां की एक विधायक डॉ. ऋतु बनावत भी वहां नेपाल में इस सारे प्रकरण में फंस गई हैं तो मैं सरकार, माननीय मुख्य मंत्री भी पधारे हैं, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, वे सकुशल यहां पर आ जाएं। राजस्थान के जितने भी लोग वहां पर हैं, सकुशल आ जाएं, इस प्रकार का एक आग्रह है।

सत्र समीक्षा

सोलहवीं राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2025 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 10 सितम्बर, 2025 को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित होगा। इस सत्र में कुल 06 बैठकें हुईं। दिनांक 10 सितम्बर, 2025 तक की कार्यवाही समाप्त होने तक 18 घण्टे 40 मिनट विधान सभा की कार्यवाही चली।

इस सत्र में माननीय सदस्यों से कुल 3008 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 1237, अतारांकित प्रश्न 1770 एवं अल्प सूचना प्रश्न 01 प्राप्त हुआ। कुल 120 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 53 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। इसी तरह 119 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

मुझे सदन को जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि प्रथम सत्र में 2098 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 2073 के उत्तर प्राप्त हो गये। द्वितीय सत्र में 7945 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 7657 के उत्तर प्राप्त हुए। तीसरा सत्र, उसमें 9701 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 8351 के उत्तर प्राप्त हुए।

तीनों सत्रों में कुल मिलाकर के 19744 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 1660 प्रश्न ही बाकी हैं। यानी, 91.5 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। इसलिए, मैं सारे माननीय मंत्रियों को और इनके सम्बन्धित अधिकारियों को भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि ये जो बाकी 8.5 परसेंट प्रश्न बचे हैं या सत्र के, वह भी जल्दी से जल्दी, अब ये प्रक्रिया करें कि ब्यूरोक्रेसी इज कमिटेड टू विधायिका, इसलिए सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएं तो सदन एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेगा।

प्रक्रिया के नियम-50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव, प्रक्रिया के नियम - 50 के अन्तर्गत कुल 134 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 21 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया तथा 17 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें।

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव, माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत 95 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 78 विशेष

उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी गईं या पढ़ी हुई मानी ली गईं। विशेष उल्लेख की 15 सूचनाएं विधायकों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण ही वे नहीं पढ़ी गई।

प्रथम सत्र में कुल 59 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से सभी के उत्तर प्राप्त हुए। द्वितीय सत्र में कुल 255 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 249 के उत्तर प्राप्त हुए। तृतीय सत्र में कुल 337 प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनमें से 307 के प्रस्ताव प्राप्त हुए। तीनों सत्रों में से कुल 651 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 615 के उत्तर प्राप्त हुए, केवल मात्र 36 लम्बित हैं।

पर्ची, माननीय सदस्यों द्वारा कुल 267 पर्चियां प्राप्त हुईं। जिनमें से क्षाका द्वारा कुल 20 पर्चियां चयनित हुईं व सम्बन्धित माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये।

इसी तरह, प्रक्रिया के नियम-131 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रक्रिया के नियम-131 के अन्तर्गत 437 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 14 प्रस्ताव अग्राह्य किये गए। राज्य सरकार की तथ्यात्मक जानकारी के लिये 402 प्रस्ताव प्रेषित किये गये, जिनमें से 17 प्रस्तावों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। 02 प्रस्ताव कार्य-सूची में सूचीबद्ध किये गये।

प्रथम सत्र में कुल 142 प्रस्ताव प्राप्त हुए, 136 के उत्तर प्राप्त हो गये। द्वितीय सत्र में कुल 733 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 707 के उत्तर प्राप्त हो गये। तृतीय सत्र में कुल 811 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 732 के उत्तर प्राप्त हो गये। इस तरह 1686 प्रस्तावों में से केवल 111 के उत्तर लम्बित हैं।

विधायी काम, वर्तमान सत्र में कुल 07 विधेयक पुर:स्थापित किये गये तथा प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत 03 विधेयकों कुल 10 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये तथा 01 विधेयक वापस लिया गया।

विधेयकों पर माननीय सदस्यों से कुल 161 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 46 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य और 115 संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

विगत सत्र में कुल 12 विधेयक पुर:स्थापित किये जाकर 10 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये तथा 3 विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किये गए। विधेयकों पर माननीय सदस्यों से कुल 210 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनमें से 39 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य तथा 171 संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

विभिन्न समितियों के द्वारा प्रतिवेदनों का उपस्थापन, सत्र में विभिन्न समितियों के कुल 29 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

अन्त में, मैं समस्त माननीय सदस्यों को उनके द्वारा सदन के कार्य-संचालन में दिये गये सहयोग के लिये उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं सभापति तालिका के सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही, मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष एवं सरकारी मुख्य सचेतक को उनके द्वारा सदन के कार्य संचालन में दिये गये सहयोग के लिये भी आभार व्यक्त करता हूं।

16वीं राजस्थान विधान सभा के इस चतुर्थ सत्र में भू-जल प्राधिकरण के गठन सम्बन्धी प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक, भू-राजस्व अधिनियम, विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक और राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर जैसे विधेयक भी सम्मिलित थे।

वर्तमान चतुर्थ सत्र में अनुभूत दृष्टांतों की दृष्टि में बेहतर आगामी सत्रों हेतु माननीय सदस्यगण के समक्ष विचारणीय विषय

इसमें बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा जो असहयोगात्मक रुख उन्होंने अपना, जिसने सदन की कार्यवाही के दौरान व्यवधान, शोर-शराबा, सदन कूप में एकत्रित होकर नारेबाजी तथा प्रदर्शन आदि से सदन के सुगम संचालन में निरन्तर बाधा उत्पन्न की गई। इससे राज्य की आठ करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए तत्पर सरकार को रोकने का प्रयास भी किया गया तथा इससे आमजन को लाभान्वित करने हेतु सदन में की जाने वाली उद्देश्पूर्वक चर्चा की प्रक्रिया को भी आघात लगा।

एक जो सदन की मर्यादा है कि कभी भी अध्यक्ष पांव पर हों या सदन के नेता बोल रहे हों या प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हों, उस समय सदन के सभी सदस्यों को शान्तिपूर्वक उनको सुनने की अपनी एक अपनी मर्यादा है। लेकिन आज बड़ी पीड़ा है, जब सदन के नेता बोल रहे हैं, उस समय विपक्ष वेल में आकर के नारेबाजी करे, इस तरह का दृश्य मैंने अपने इस 22-23 साल में नहीं देखा। यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है। मैं सोचता हूं कि इस पर उनको विचार करना चाहिए।

इसके अलावा मैंने जब भी गतिरोध आया, समाधान करने का भरपूर प्रयास किया, यहां तक कि मैं लगातार उनको बुलाता रहा और कल तो एक सीमा भी हो गई। बुलाया, बुलाने के बाद सहमति भी हो गई, लेकिन सहमति के बाद भी सदन चलाने में सहयोग न करके और सदन में गतिरोध करने की कोशिश की गई, वास्तव में वह बड़ी ही चिन्ताजनक, पीड़ादायक है। मैं बहुत ज्यादा शब्द तो नहीं कहता, लेकिन मेरे इन्हीं शब्दों में शायद संकेत पूरा है। इसके अलावा, आप सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आये, जिसमें प्रयास था कि सब लोग आयें। यहां तक कि सत्ताधरी दल के चारों माननीय मुख्य मंत्री स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। लेकिन, वहां पर भी नहीं आये और सबेरे आकर के खुद जो स्थगन प्रस्ताव पर जो सुझाव देते थे, उन सबका अनुपालन करते हुए और फिर आकर के स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा में भाग नहीं लें तो मैं समझता हूं सदन की मर्यादाएं निश्चित रूप से इस बार काफी हद तक भंग हुई हैं।

अतः मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की चीजें भविष्य में नहीं हों। आज मुझे आपको इतनी बड़ी संख्या में देखकर प्रसन्नता है, क्योंकि मैं पिछले भी सदनों में रहा, जब अन्तिम दिन होता है या कई बार होता तो उस समय संख्या बहुत सदन की, सत्ताधारी दल की भी कम हो जाती है। लेकिन, इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, एक सुझाव देते हुए मुझे ठीक लग रहा है कि सदन में जब भी बिल पारित हों, उस समय सारे मंत्रीगण सदन में उपस्थित रहें।

Bhs/Rtm/10.09.25/16.50/3d

तो सदन की भी शोभा बढ़ेगी और सदन को भी अच्छा लगेगा इसलिये प्रतिपक्ष के इस असहयोग के द्वारा भी कई बार उन्होंने महत्वहीन प्रकरणों को तूल देते हुए और सदन के बाहर हंगामा, प्रदर्शन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें आमजन की पीड़ा, तथा राज्य के विकास से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें महज समाचार पत्र और मीडिया में कवरेज की ही चिन्ता है। इसलिये मेरा आग्रह है कि सदन में प्रतिपक्ष होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का काम है सदन चलाना और जब नहीं होते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, तो दोनों ओर से उनको भी यह संकेत जायेगा मेरे बोलने से कि भविष्य में सदन चलेगा, सदन सबका है और आज यह दो दिन विषय, उसको मैं हालांकि पूर्व में कह चुका हूं कि सदन में जिस प्रकार का मुद्दा कैमरा का उठा, सबकी निजता सुरक्षित है लेकिन सदन की सुरक्षा का दायित्व आप सबका भी है, इनका भी है, मेरा भी है, उस नाते मुझे जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, वह करने के लिए मुझे सदन ने चुना है। इसलिये उसके लिए यदि कहीं कैमरे की व्यवस्था करनी पड़ती है तो सदन सब जगह है कोई प्राइवेट किसी का कमरा नहीं है जिसमें कोई निजता का हनन होता हो।

अब यहां पर सदन आज समाप्त हो जायेगा, कल जितने आईपैड लगे हैं, यहां हैं उनके मेंटीनेंस के लिए लोग आयेंगे, मेंटीनेंस के बाद यहां पर कर्मचारी काम भी करते हैं तो उस समय इसकी सुरक्षा के लिए यहां पर कैमरे होना आवश्यक है। कई बार शिकायत करते हैं कि अधिकारी नहीं बैठते, उससे जानकारी आ जाती है। सदन की दीर्घा में कुछ बैठते हैं, ऊपर के लोग बैठते हैं, सब पर कैमरा है यह केवल प्रतिपक्ष पर नहीं है यह पक्ष, प्रतिपक्ष, सदन के अध्यक्ष सब पर है। तो इस नाते मुझे लगता है कि इन्होंने आज जिस प्रकार का कल से इस वातावरण को बनाया और कहा जासूसी और इस तरह के शब्द उपयोग किये, यह किसकी जासूसी करेगा, यदि आप पारदर्शिता के साथ सदन में भाग लो न तो पता है कि साल भर के लिए कैमरा लगता ही है और मेरा नहीं लोक सभा में भी लग रहे हैं बाकी सदनों में भी लग रहे हैं, आजकल तो लोग अपने घरों में भी लगाने लग गये हैं, परिसरों में लगाने लग गये हैं, तो यहां उनको ऐसा कौनसा काम है जिसको कोई छिपाना चाह रहे हैं? मैं समझता हूं यह तो सार्वजनिक सब सदस्यों के लिए ओपन स्पेस है तो इसलिये इस प्रकार के मुद्दे उनके न उठायें।

मैं संसदीय मंत्री से भी आग्रह करूंगा और सचेतक से कि उनको मेरी भावनाएं आप पहुंचा दें ताकि भविष्य में यह सदन ठीक चल सके। आपने सहयोग किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह दूंगा कि आप कैमरे की नजर में हैं।

विधेयक का पारण

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025

श्री अध्यक्षः हां, मैं भी कैमरे की नजर में हूं। अब आप वाला पारित कराऊं पहले।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

बधाई एवं आभार

जीएसटी कर प्रणाली में आर्थिक जगत व उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी व्यापक सुधारों हेतु भारत के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी का आभार

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को विदित है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कराधान एक केन्द्र बिन्दु है। किसी भी सरकार की क्षमताओं का वास्तविक परीक्षण एक कर शासन को विकसित करने में निहित है जो उत्पादन को बढ़ावा देता है, खपत को प्रोत्साहित करता है और फिर भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है। हाल ही में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू किए गए जीएसटी में नए सुधारों में सभी प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

राजस्थान विधान सभा इस साहसिक और रचनात्मक रूप से विचारशील कदम के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देती है और लोगों की कृतज्ञता व्यक्त करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आठ साल पहले माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व के तहत, भारत ने 'वन नेशन, वन टैक्स' की दृष्टि को पूरा करते हुए माल और सेवाओं की कर प्रणाली को अपनाया। एक बार वैट और कई लेवी के एक खंडित और बोझिल कर शासन को एक एकीकृत बाजार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो हमारी अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता, सादगी और शक्ति लाई है। केवल आठ वर्षों में, जीएसटी करदाता आधार वर्ष 2017 में 66 लाख से दोगुना होकर आज 1.5 करोड़ से अधिक हो गया है, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक संग्रह रुपये 22 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। जीएसटी संग्रह, जब इन ऐतिहासिक सुधारों को लागू किया गया था तब से जीएसटी संग्रह अब एक महीने में रुपये दो लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है।

सुधारों के अगले चरण ने इस प्रणाली को और सरल बना दिया है और ऐसा करते समय आम नागरिक को अपने दिल में रखा गया है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीजों पर दरों को कम कर दिया गया है। छोटे व्यवसाइयों, निर्यातकों और स्टार्टअप्स के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। ये सुधार नागरिकों के जीवन पर बोझ को कम करने,

व्यापारियों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता के लिए भारत के मार्ग को सुदृढ़ करने के लिए एक गहरे लक्ष्य को दर्शाते हैं। मासिक संग्रह में स्थिर वृद्धि अधिक अनुपालन तथा अर्थव्यवस्था में उछाल का स्पष्ट संकेत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह संकल्प व्यापारियों को चाहे वह बड़ा हो या छोटा, यह सुनिश्चित करने में गर्व करने के लिए कहता है कि कटौती और छूट सीधे उपभोक्ता को प्रवाहित हो। कम कीमतें उच्च मांग को बढ़ावा देंगी, उच्च मांग व्यवसायों के लिए समृद्धि को बढ़ावा देगी और समृद्धि राष्ट्र की ताकत को सुदृढ़ करेगी।

ये दूरगामी परिवर्तन हमारी एकता, निष्पक्षता और साझा विकास को मूर्त रूप देते हैं। अतः अब यह प्रत्येक व्यापारी का कर्तव्य है कि वह राहत के प्रत्येक रुपये को उपभोक्ताओं तक उपलब्ध करवाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पृष्ठभूमि में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इन सभी प्रयासों के लिए प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को राजस्थान विधान सभा और राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि सचेतक द्वारा रखा गया प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

यह प्रस्ताव पारित किया गया।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.58 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)